For use
Copy — Report Section

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

प्रतिवेदन

संख्या-2

(राजस्व प्राप्तियाँ)

उत्तर प्रदेश सरकार

[illegible]

शुद्धि–पत्र

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन सं०–2

(राजस्व प्राप्तियाँ)

पृष्ठ सं०	प्रस्तर सं०	पंक्ति/स्तंभ	अशुद्ध	शुद्ध
विषय सूची	अध्याय 9	क्रम सं० 3	9.9	9.8
6	1.1 (i) टेबुल	क्रम सं० 1	2827.41*	2827.41
6	1.1 (i) पाठ टिप्पणी	न पढ़ी जाए	-----------------	-----------------
7	1.1 (ii) टेबुल	क्रम सं० 1	विविध सामान्य सेवायें	विविध सामान्य सेवायें*
8	1.2 (ख) टेबुल	क्रम सं० 2	(+) 0.20	(-) 0.20
9	1.3 टेबुल	क्रम सं० 5	1-4	1.4
17	1.8 (iv) टेबुल	क्रम सं० 1	2361 1996-97	2361
17	1.8 (iv) टेबुल	क्रम सं० 1	1988-89 से	1988-89 से 1996-97
29	2.2.8	आयत में	28.28	20.28
51	2.7 (2) (ब)	आयत में	38.28	38.19
113	5.2.4 (iii)	(iii)	11.09	11.00
124	5.2.17	अंतिम पंक्ति	57.30	57.39

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय 1 :	**सामान्य**	
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रुझान	5
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	8
1.3	संग्रह की लागत	9
1.4	कर निर्धारण के बकाया मामले	10
1.5	संग्रह का विश्लेषण	12
1.6	राजस्व के बकाये	13
1.7	लेखा परीक्षा के परिणाम	15
1.8	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियां	16
अध्याय 2 :	**व्यापार कर**	
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	23
2.2	व्यापार कर में जालसाजी एवं करापवंचन	24
2.3	ब्रांच/स्टाक ट्रान्सफर के माध्यम से करापवंचन	39
2.4	मालों के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनारोपण/कम आरोपण	41
2.5	गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण	43
2.6	अनियमित मान्यता प्रमाण–पत्र जारी करने से कारण राजस्व की हानि	46
2.7	अर्थदण्ड का अरोपित न किया जाना	49
2.8	कर से अनियमित छूट	54
2.9	कर निर्धारण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	56

2.10	कर की गणना में त्रुटियां	57
2.11	अतिरिक्त कर का न लगाया जाना	57
2.12	पात्रता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि	58
2.13	ब्याज का न लगाया जाना	59
2.14	टर्न ओवर का छिपाया जाना	59
अध्याय 3 :	**राज्य आबकारी**	
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	65
3.2	पोस्त तृण का उत्पादन, संग्रह, लेखांकन एवं विक्रय	66
3.3	अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली	74
3.4	अनुज्ञापन शुल्क का न वसूल किया जाना	75
3.5	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण आबकारी अभिकर का कम आरोपण	76
3.6	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	77
3.7	स्पिरिट के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी अभिकर का अनारोपण	78
3.8	निर्यात शुल्क की गलत दर लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि	78
अध्याय 4 :	**मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**	
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	83
4.2	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना एवं द्विपक्षीय अनुबन्ध	84
4.3	मोटर गाड़ियों की बिक्री में वृद्धि के संदर्भ में मार्गकर/ मोटर गाड़ी कर के संग्रह में वृद्धि	92
4.4	अनुबंधित वाहनों पर यात्रीकर का निर्धारण न किया जाना	95

4.5	यात्री कर की कम वसूली	96
4.6	यात्री कर से अनियमित छूट	97
4.7	रजिस्ट्रेशन मार्क पृष्ठांकित न करने से राजस्व की कम वसूली	98
4.8	स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अनियमित रूप से स्वीकृति	98
	संलग्नक	101
अध्याय 5 :	**स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस**	
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	111
5.2	स्टाम्प शुल्क आरोपण हेतु भवनों के मूल्यांकन में कमियां एवं स्टाम्प वादों का लम्बित रहना	112
5.3	उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों का महानगरों में निबन्धन	126
5.4	कृषि/इतर भूमि के अवमूल्यांकन के परिणाम स्वरूप स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	130
5.5	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	131
	संलग्नक	133
अध्याय 6 :	**भू–राजस्व**	
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	147
6.2	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	148
अध्याय 7 :	**अन्य कर प्राप्तियां**	
अ	**विद्युत शुल्क**	
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	153
7.2	रक्षा कर्मियों को आपूर्तित विद्युत विद्युत शुल्क का अनारोपण	153

ब	**गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार**	
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	154
7.4	क्रय कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी	155
अध्याय 8 :	**वन प्राप्तियां**	
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	161
8.2	विलम्ब शुल्क का वसूल न किया जाना	162
8.3	रायल्टी का वसूल न किया जाना	162
8.4	लाटों पर कार्य न होना	163
अध्याय 9 :	**अन्य विभागीय प्राप्तियां**	
अ	**सहकारिता विभाग**	
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	169
9.2	संग्रह प्रभारों का न/कम जमा किया जाना	169
ब	**सिंचाई विभाग**	
9.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	171
9.4	स्टाम्प शुल्क का न/कम वसूल किया जाना	171
9.5	अंश दान कार्यो पर सेन्टेज प्रभारों का अनारोपण	173
स	**लोक निर्माण विभाग**	
9.6	लेखा परीक्षा के परिणम	174
9.7	अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	174
9.9	राजस्व प्राप्तियों का अनियमित विनियोजन	175
द	**वित्त विभाग**	
9.9	ब्याज का जमा न किया जाना	176

प्रस्तावना

31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार की गयी है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत सम्पन्न की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 1996-97 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

इस प्रतिवेदन में 9 अध्याय हैं। अध्याय–1 में विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 1996-97 में राजस्व प्राप्तियों के रुझान का विश्लेषण है। यह बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व की वसूली तथा प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत राजस्व के संग्रह में कमी/आधिक्य भी प्रस्तुत करता है।

अध्याय–2 व्यापार कर विभाग से संबंधित है तथा इसमें व्यापार कर विभाग में कर के कम आरोपण, अर्थदण्ड का अनारोपण तथा गलत दर पर कर लगाये जाने से संबंधित विविध बिन्दुओं के अतिरिक्त ''व्यापार कर विभाग में धोखाधड़ी एवं करापवंचन'' पर एक समीक्षा सम्मिलित है।

अध्याय–3 राज्य आबकारी विभाग से संबंधित है तथा इसमें देशी मदिरा पर अतिरिक्त शुल्क की कम वसूली एवं अनुज्ञापन शुल्क आदि की वसूली न करने संबंधी अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त ''पोस्ते के तृण का उत्पादन, संग्रह, लेखाकरण एवं विक्रय'' पर एक समीक्षा सम्मिलित है।

अध्याय–4 में वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर का वर्णन है। इसमें ''राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना एवं द्विपक्षीय अनुबंध'' तथा ''मार्ग कर/मोटर गाड़ी कर के संग्रह में वृद्धि'' पर 2 समीक्षाओं का समावेश है। इस अध्याय में यात्री कर की कम वसूली विभाग द्वारा यात्री कर की अनियमित छूट आदि के संबंध में कुछ रोचक बिन्दु भी सम्मिलित हैं।

अध्याय –5 स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस के संबंध में हैं। इस अध्याय में ''स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु भवनों के मूल्यांकन में कमियां तथा स्टाम्प वादो का लम्बित रहना तथा ''उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का महानगरों में निबंधन'' पर 2 समीक्षाओं के अतिरिक्त कृषि भूमि पर स्टाम्प शुल्क के अवनिर्धारण संबंधी लेखा परीक्षा आपत्तियां भी सम्मिलित हैं।

अध्याय–6 भू–राजस्व विभाग के संबंध में है इस अध्याय में विभाग द्वारा संग्रह प्रभारों की वसूली न करने संबंधी आपत्तियां सम्मिलित है।

अध्याय–7 अन्य कर प्राप्तियों से संबंधित है जैसे–विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार।

अध्याय–8 वन प्राप्तियों के संबंध में है। इस अध्याय में विभाग द्वारा रायल्टी की वसूली न किये जाने का वर्णन है।

अध्याय –9 में सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग में अन्य विभागीय प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 37 प्रस्तर एवं 6 समीक्षाएं (व्यापार कर पर 1, राज्य आबकारी पर 1, मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर 2, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस पर 2) सम्मिलित हैं जो कर, अभिकर, शुल्क ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बन्धित हैं, जिसमें 562.86 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:–

1. सामान्य

- *वर्ष 1996–97 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व, दोनों कर (6305.97 करोड़ रुपये) तथा कर–भिन्न (1318.49 करोड़ रुपये) विगत वर्ष के दौरान 7868.33 करोड़ रुपये के विपरीत 7624.46 करोड़ रुपये ही रहा। कर राजस्व में व्यापार कर (2827.41 करोड़ रुपये) तथा राज्य आबकारी (1322.91 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत प्राप्तियां ही प्रमुख अंश (66 प्रतिशत) रही। कर–भिन्न प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ (478.97 करोड़ रुपये), अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग (159 करोड़ रुपये), वानिकी एवं वन्य जीवन (104.51 करोड़ रुपये) तथा वृहत एवं मध्यम सिंचाई (100.78 करोड़ रुपये) से थी। सहायता अनुदान सहित वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्तियों 8404.11 करोड़ रुपये थी।*

- *वर्ष के दौरान यद्यपि कर राजस्व में गत वर्ष की तुलना में थोड़ी सी (15 प्रतिशत) बढ़त रही किन्तु कर–भिन्न राजस्व में 45 प्रतिशत की भारी कमी मुख्यतः राज्य लाटरियों पर प्रतिबंध तथा उप शीर्ष अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रमुख घटोत्तरी के कारण देखी गई।*

  (प्रस्तर 1.1)

- *व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण के बकाये यद्यपि वर्ष 1995–96 में विगत वर्ष की अपेक्षा 28 प्रतिशत घटे, किन्तु वर्ष 1996–97 में पुनः 55.3 प्रतिशत बढ़ गये।*

  (प्रस्तर 1.4)

- *इस वर्ष के अन्त में राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व के बकाये 4421.24 करोड़ रुपये हो*

गये जिसमें से 2322.16 करोड़ रुपये 5 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.6)

- वर्ष 1996–97 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच करने पर 64.13 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण कम आरोपण, राजस्व–हानि आदि के 2197 मामलों का पता चला। वर्ष 1996–97 के दौरान ही सम्बन्धित विभागों ने 26.63 करोड़ रुपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण आदि के 793 मामले स्वीकार किया जिसमें से 7.80 करोड़ रुपये के 86 मामले वर्ष 1996–97 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो से सम्बन्धित थे।

(प्रस्तर 1.7)

- 496.68 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि के 4537 निरीक्षण प्रतिवेदन (31 दिसम्बर 1996 तक निर्गत) जिनमें 11630 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 1997 के अन्त तक लम्बित थे।इनमें से 210.70 करोड़ रुपये के 4851 प्रस्तरों वाले 1677 निरीक्षण प्रतिवेदन 5 वर्षों से भी अधिक समय से अनिस्तारित थे।

(प्रस्तर 1.8)

2. व्यापार कर

"व्यापार कर में धोखाधड़ी एवं करापवंचन" पर एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:–

(i) व्यापारियों के पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने तथा कर निर्धारण में विलम्ब के फलस्वरूप 15.32 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.7)

(ii) कर निर्धारण से प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां तथा घोषणा पत्रों के निर्गम एवं प्रयोग पर निगरानी न रखने के फलस्वरूप 20.28 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.8(i))

(iii) नई औद्योगिक इकाइयों जो बिना "पात्रता प्रमाण पत्र" के व्यापार करती थीं, के विरुद्ध समय से कर निर्धारण की कार्यवाही में असफलता के फलस्वरूप 11.60 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.10)

(iv) *छिपाये गये कर योग्य आवर्तन पर अर्थदण्ड के अनारोपण/न वसूली के फलस्वरूप 10.84 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।*

(प्रस्तर 2.2.12(अ))

(v) *परिगमन पासों पर दिये गये वाहन स्वामियों/चालकों के पूर्ण एवं सही पतों के सत्यापन में असफलता के फलस्वरूप 440 परिवाहकों द्वारा 10.61 करोड़ रुपये का करापवंचन किया गया।*

(प्रस्तर 2.2.13)

(vi) *स्वीकृत कर पर ब्याज की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप 7.92 करोड़ रुपये का ब्याज कम आरोपित हुआ।*

(प्रस्तर 2.2.14)

- *21.90 करोड़ रुपये मूल्य के वनस्पति का स्टाक जो गाजियाबाद से दिल्ली स्थित प्रमुख एजेन्ट को ट्रान्सफर किया गया था, का लेखांकन 1.01 करोड़ रुपये कम किया गया।*

(प्रस्तर 2.3)

- *उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं पर त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाये जाने के फलस्वरूप 1.39 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।*

(प्रस्तर 2.5—अ)

- *अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने, अर्थदण्ड के अनारोपण तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के व्यापारी के कर निर्धारण में विलम्ब से 1.24 करोड़ रुपये की हानि।*

(प्रस्तर 2.6, 2.7, 2.9)

3 ***राज्य आबकारी***

"पोस्ते के तृण के उत्पादन, संग्रह, लेखाकरण एवं विक्रय" पर एक समीक्षा ने निम्न तथ्य उद्धृत किये :

(i) *2 जिला आबकारी अधिकारियों को उनके जिलों में अफीम पोस्ते की खेती किये जाने की जानकारी नहीं थी।*

(प्रस्तर 3.2.9(i))

(ii) *इटावा और गाजियाबाद जिलों में, नियमों की अवहेलना करते हुए पोस्ते के तृण को औषधि के रोगियों को वाह्य प्रयोग एवं मौखिक उपभोग हेतु निर्गत किया गया। इस प्रकार का निर्गमन वर्ष*

1995–96 एवं वर्ष 1996–97 में अत्यधिक रहा।

(प्रस्तर 3.2.10)

- *लाइसेंस की अवधि में देशी मदिरा के कोटे में अनियमित वृद्धि के फलस्वरूप 2.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबकारी शुल्क कम आरोपित किया गया।*

(प्रस्तर 3.3)

- *लखनऊ स्थित एक यवासवनी में बियर के अनियमित रूप से रखे जाने के फलस्वरूप 20 लाख रुपये के अनुज्ञापन शुल्क की हानि हुई।*

(प्रस्तर 3.4)

4. मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

''राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना तथा द्विपक्षीय अनुबन्ध'' पर एक समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आए:–

(i) *मोटर वाहनों को उ. प्र. में चलाने हेतु अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्रों की सूचना न तो उनके द्वारा प्रेषित की गई और न ही राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा कभी भी मंगाई गयी।*

(प्रस्तर 4.2.5)

(ii) *अनुज्ञापत्रों का सम्पूर्ण कोटा प्रयोग में न लाने तथा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के नवीनीकृत न होने के फलस्वरूप 1.13 करोड़ रुपये के प्रतिहस्ताक्षर शुल्क की वसूली नहीं हुई।*

(प्रस्तर 4.2.6(i))

(iii) *अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 52134 बैंक ड्राफ्ट पूर्व संशोधित दरों पर प्राप्त किये गये जिससे 36.84 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।*

(प्रस्तर 4.2.7(i))

(iv) *1273 मामलों में अनुज्ञापत्र धारकों ने वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अपने अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया। विभाग ने भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। इन मामलों में कुल निहित राजस्व की धनराशि 8.19 करोड़ रुपये थी।*

(प्रस्तर 4.2.7(ii))

(v) *सीमा जांच चौकियों को समाप्त कर दिये जाने के कारण राज्य सरकार को 1994–95 से 1996–97 की अवधि में 3.74 करोड़ रुपये के यात्री/माल कर से वंचित होना पड़ा।*

(प्रस्तर 4.2.8)

"मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में मार्ग कर/मोटर वाहन कर के संग्रह में वृद्धि तथा देय मोटर वाहन कर एवं वास्तविक संग्रह के मध्य आपसी सह सम्बन्ध" पर एक समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आए:–

(i) *वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि में पंजीकृत 50089 हल्की मोटर वाहन (दो पहिया एवं कारें) व्यापारियों द्वारा बेचे गये मोटर वाहनों से कम थी। इसके फलस्वरूप 7.04 करोड़ रुपये के पंजीयन शुल्क एवं एक बार कर (मार्ग कर) की कम वसूली हुई।*

(प्रस्तर 4.3.1)

(ii) *न्यूनतम कारकों पर आधारित 317.23 करोड़ रुपये वसूले जाने के विरुद्ध वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि में केवल 249.28 करोड़ रुपये ही यात्री कर वसूल किया गया। इसके फलस्वरूप 67.95 करोड़ रुपये यात्रीकर की कम वसूली हुई।*

(प्रस्तर 4.3.2)

(iii) *वर्ष 1991–92 से 1996–97 की अवधि में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्रीकर के रूप में वसूल किया गया 101.11 करोड़ रुपये सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया।*

(प्रस्तर 4.3.3)

5. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

"स्टाम्प शुल्क आरोपण हेतु भवनों के मूल्यांकन में कमियां तथा स्टाम्प वादों का लम्बित रहना" पर एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:–

(i) *विलेखों में तथ्यों के प्रकट न करने के कारण 99.36 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।*

(प्रस्तर 5.2.6)

(ii) *विलेखों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण 160 मामलों में 84.48 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।*

(प्रस्तर 5.2.10)

(iii) *भवनों के निर्माण की अनुसूचित दर को अपनाये न जाने के कारण 70.91 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।*

(प्रस्तर 5.2.11)

(iv) *किराया निर्धारण मापदण्डों को लागू न किये जाने तथा भवनों के त्रुटिपूर्ण किराया मूल्य को मान लेने के फलस्वरूप 84.74 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।*

(प्रस्तर 5.2.12)

(v) *नोयडा में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया। इससे 12.05 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।*

(प्रस्तर 5.2.13)

(vi) *निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही प्रारंभ करने में असफलता ने सरकार को 57.39 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क से वंचित कर दिया।*

(प्रस्तर 5.2.17)

(vii) *कर्मचारियों की कमी के कारण विभाग का प्रतिनिधित्व न होने से न्यायालयों द्वारा 19.07 करोड़ रुपये का स्थगन दे दिया गया।*

(प्रस्तर 5.2.19)

"उत्तर प्रदेश में स्थित किन्तु महानगरों में निबंधित सम्पत्तियों के हस्तांतरण का निबंधन" पर एक समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

(i) *उत्तर प्रदेश में स्थित किन्तु महानगरों में निबंधित सम्पत्तियां सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर 1994 द्वारा अमान्य कर दी गयी थी। फिर भी मामले अब भी निबंधित किये जा रहे थे जिसके फलस्वरूप 9.35 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 5.3.5)

(ii) *4 महानगरों में निबंधित विलेखों की प्रतियां संबन्धित जिला निबंधकों को नहीं प्राप्त हुई थी। फलस्वरूप वे न तो सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर सके और न ही 7.00 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क की कमी को ही आरोपित कर सके।*

(प्रस्तर 5.3.6)

(iii) *जिला निबंधकों के कार्यालयों में प्राप्त हुई विलेखों की प्रतियों पर पुनर्मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की कमी को आरोपित करने की कार्यवाही न करने के फलस्वरूप 4.28 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 5.3.7)

6. गन्ने के क्रय पर कर

- *तिलहर एवं पुवायां (शाहजहांपुर) स्थित 2 चीनी मिलों द्वारा 1.56 करोड़ रुपये के क्रय कर का भुगतान किये बिना ही चीनी की निकासी दी गई।*

(प्रस्तर 7.4)

7. अन्य विभागीय प्राप्तियां

- *वर्ष 1993–94 से 1995–96 की अवधि में केन्द्र/राज्य सरकार के वास्ते किये गये 1.22 करोड़ रुपये के योगदान कार्यों पर 25.05 लाख रुपये का सेन्टेज प्रभार न तो आरोपित किया गया न ही वसूल किया गया।*

(प्रस्तर 9.5)

- *अप्रैल 1981 से मार्च 1995 की अवधि में उ0प्र0 जल निगम को स्वीकृत 117 ऋणों पर 122.43 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ साथ 56.43 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली नहीं की गई।*

(प्रस्तर 9.9)

अध्याय 1

सामान्य

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रुझान	5
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	8
1.3	संग्रह की लागत	9
1.4	कर निर्धारण के बकाया मामले	
	(क) व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	10
	(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले	11
1.5	संग्रह का विश्लेषण	12
1.6	राजस्व के बकाये	13
1.7	लेखा परीक्षा के परिणाम	15
1.8	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपतिया	16

अध्याय 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

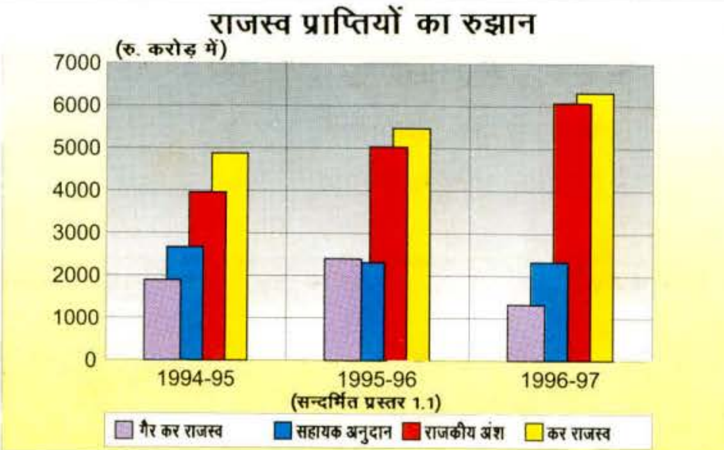

(सन्दर्भित प्रस्तर 1.1)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1996–97 के दौरान उगाहा गया कर एवं गैर कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़े सारणी में दिये गए हैं एवं चार्ट में भी दर्शाये गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

		1994–95	1995–96	1996–97
I	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क)	कर–राजस्व	4878.32	5468.92	6305.97
(ख)	गैर कर राजस्व	1889.32	2399.41	1318.49
	योग	**6767.64**	**7868.33**	**7624.46**
II	भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3959.76	5034.02	6072.38*
(ख)	सहायक अनुदान	2665.83	2312.86	2331.73
	योग	**6625.59**	**7346.88**	**8404.11**
III	राज्य की कुल प्रतियाँ (I+II)	13393.23	15215.21	16028.57
IV	I से III की प्रतिशतता	**51**	**52**	**48**

* विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1996–97 के वित्त लेखों में "लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण संख्या" देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में लेखा शीर्षक– कर राजस्व के अन्तर्गत 0021–निगम कर से भिन्न आयपर कर राज्यों को समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्से" के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

उपरोक्त से अवलोकनीय है कि वर्ष 1995–96 में गैर कर इतर राजस्व 2399.41 करोड़ रुपये से घट कर वर्ष 1996–97 में 1318.49 करोड़ रुपये रह गया।

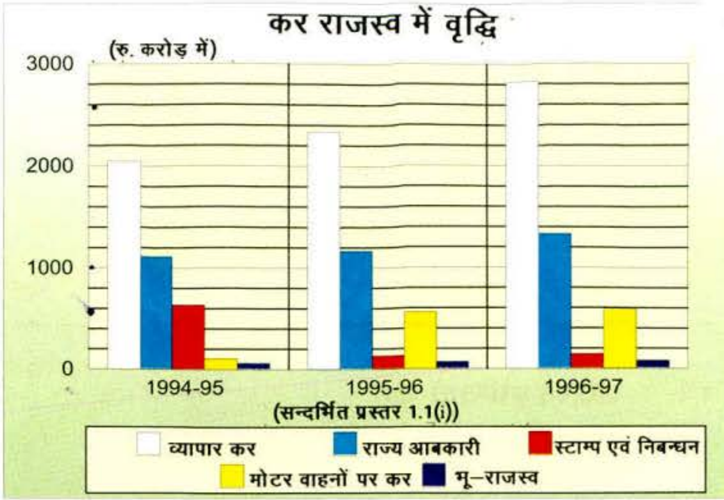

(i) वर्ष 1996–97 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े सारणी में दिये गये हैं तथा चार्ट में भी दर्शाए गये हैं :

(रुपये करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	1994–95	1995–96	1996–97	1995–96 के संदर्भ में 1996–97 में वृद्धि(+) अथवा कमी (–)	1995–96 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. व्यापार कर	2046.79	2335.38	2827.41*	(+) 492.03	(+) 21.07
2. राज्य आबकारी	1104.64	1158.61	1322.91	(+) 164.30	14.18
3. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस	631.54	734.78	875.06	(+) 140.28	19.09
4. मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	501.00	558.52	590.77	(+) 32.25	(+) 5.78
5. माल एवं यात्रियों पर कर	194.79	228.37	221.43	(–) 6.94	(–) 3.04
6. वाहनों पर कर	108.06	125.46	139.54	(+) 14.08	11.22
7. गन्ने के क्रय पर कर	57.64	72.87	55.01	(–) 17.86	(–) 24.51
8. विद्युत पर कर और शुल्क	68.69	75.71	78.32	(+) 2.61	3.45
9. भू–राजस्व	53.80	62.53	72.62	(+) 10.11	16.15
10. आय तथा व्यय पर अन्य कर	2.88	0.03	—	(–) 0.03	(–) 100
11. कृषि भूमि के इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	7.19	0.87	1.20	(+) 0.33	37.93
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	101.30	112.97	115.56	(+) 2.58	(+) 2.28
13. अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर)		2.82	6.14	(+) 3.32	117.73
योग	**4878.32**	**5468.92**	**6305.97**		

* वर्ष 1996–97 में 2034.99 करोड़ रुपये (व्यापार कर 1430.43 करोड़ रुपये, मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर 573.71 करोड़ रुपये तथा गन्ने के क्रय पर कर 30.85 करोड़ रुपये) त्रुटि वश "वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" शीर्ष के अन्तर्गत जमा दिखा दिया गया था।

भिन्नता जहां पर्याप्त थी के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाये गए थे, प्राप्त नहीं हुए हैं। (अक्टूबर 1997)

(ii) वर्ष 1996—97 के लिये कर—भिन्न राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े सारणी में दिये गये हैं एवं चार्ट में भी दर्शाये गये हैं।

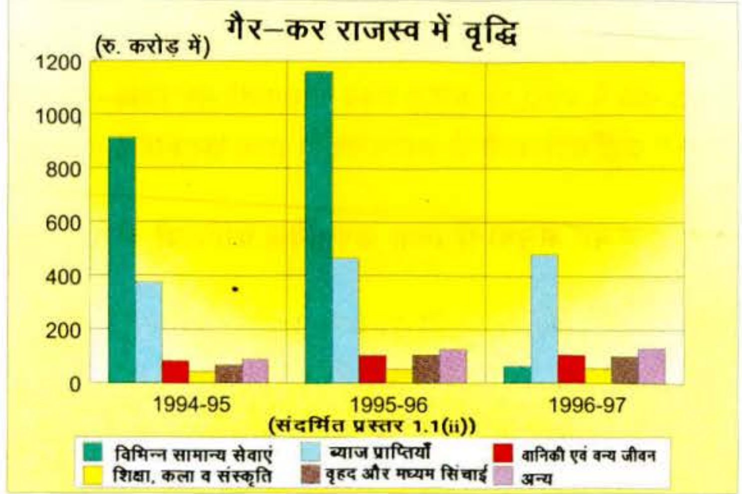

(रुपये करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	1994—95	1995—96	1996—97	1995—96 के संदर्भ में 1996—97 में वृद्धि(+) अथवा कमी (—)	1995—96 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवायें	914.15	1162.15	62.07	(—) 1100.08	(—) 94.66
2. ब्याज प्रप्तियाँ	373.43	463.77	478.97	(+) 15.20	3.28
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	81.89	101.08	104.51	(+) 3.43	3.39
4. वृहत और मध्यम सिंचाई	65.48	103.95	100.78	(—) 3.17	(—) 3.05
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	41.24	49.38	54.65	(+) 5.27	10.67
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	70.09	83.58	33.03	(—) 50.55	(—) 60.48
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	120.31	148.11	159.00	(+) 10.89	7.35
8. पुलिस	17.92	30.62	59.58	(+) 28.96	94.58
9. क्राप हस्बेण्ड्री	27.17	21.21	19.55	(—) 1.66	(—) 7.83
10. सामजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.46	5.73	16.09	(+) 10.36	180.80
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	18.95	13.79	18.85	(+) 5.06	36.69
12. लघु सिंचाई	27.94	40.58	36.75	(—) 3.83	(—) 9.44
13. सड़क एवं सेतु	18.18	16.02	20.09	(+) 4.07	25.41
14. लोक निर्माण	13.79	25.85	17.94	(—) 7.91	(—) 30.60
15. सहकारिता	7.30	9.21	5.96	(—) 3. 25	(—) 35.29
16. अन्य	88.02	124.38	130.67	(+) 6.29	5.06
योग	**1889.32**	**2399.41**	**1318.49**	**(—) 1080.92**	**(—) 45.05**

* वर्ष 1995—96 में "103 राज्य लाटरियों" शीर्ष के अन्तर्गत व्यय रुपये 1145.03 करोड़ रुपये के विरुद्ध प्राप्तियां 377.13 करोड़ रुपये थीं। इस शीर्ष के अन्तर्गत निबल प्राप्तियों की धनराशि (—) 767.90 करोड़ रुपये हुई।

1 "विविध सामान्य सेंवायें" शीर्ष के अंतर्गत राजस्व, राज्य लाटरियों (377.13 करोड़ रुपये) पर प्रतिबंध तथा "अन्य प्राप्तियां" 722.95 करोड़ रुपये। शीर्ष के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटोत्तरी के कारण वर्ष 1995–96 में 1162.15 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 1996–97 में 62.07 करोड़ रुपये ही रह गया। फिर भी भिन्नता जहाँ पर्याप्त थी के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाए गये थे, प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

(क) वर्ष 1996–97 के दौरान कर–राजस्व तथा कर–भिन्न राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर सारणी में दिये गये हैं।

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्रप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
क. कर राजस्व	6069.64	6305.97	236.33	3.89
ख. गैर कर राजस्व	1297.41	1318.49	21.0९	1.62

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत भिन्नता का विभाजन निम्नवत् है :

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्रप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
क. कर राजस्व				
1. व्यापार कर	2579.20	2827.41	(+) 248.21	(+) 9.62
2. राज्य आबकारी	1325.50	1322.91	(–) 2.59	(+) 0.20
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	794.25	875.06	(+) 80.81	(+) 10.17
4. मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	646.86	590.77	(–) 56.09	(–) 8.67
5. माल एवं यात्रियों पर कर	252.89	221.43	(–) 31.46	(–) 12.44
6. वाहनों पर कर	123.52	139.54	(+) 16.02	(+) 12.97
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, मनोरंजन कर	122.81	115.56	(–) 7.25	(–) 5.90
8. गन्ने के क्रय पर कर	100.05	55.01	(–) 45.04	(–) 45.02
9. विद्युत पर कर और शुल्क	76.18	78.32	(+) 2.14	(+) 2.81
10. भू–राजस्व	44.51	72.62	(+) 28.11	(+) 63.18

(रुपये करोड़ में)

	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	विभिन्नता की प्रतिशतता
ख.	गैर–कर राजस्व				
1.	विविध	75.15	62.07	(–) 13.08	(–) 17.40
2.	ब्याज प्रप्तियाँ	511.78	478.97	(–) 32.81	(–) 6.41
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	108.88	104.51	(–) 4.37	(–) 4.01
4.	वृहत एवं मध्यम सिंचाई	105.98	100.78	(–) 5.20	(–) 4.90
5.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	48.64	54.65	(+) 6.01	(+) 12.36

भिन्नता जहां पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाये गये थे, प्राप्त नहीं हुए हैं। (अक्टूबर 1997)

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1994–95, 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत सकल संग्रह, उनके संग्रह पर हुए व्यय तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 1995–96 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है।

(रुपये करोड़ में)

	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1994–95 के आधार पर अखिल भारतीय औसत
1.	व्याापर कर	1994–95	2046.79	45.00	2.2	
		1995–96	2335.38	62.95	2.7	1.29
		1996–97	2827.41	45.90	1.6	
2.	वाहनों पर कर	1994–95	108.06	5.78	5.3	
		1995–96	125.46	8.72	6.9	2.57
		1996–97	139.54	8.69	6.2	
3.	माल तथा यात्रियों पर कर	1994–95	194.79	2.04	1.0	
		1995–96	228.37	2.42	1.1	
		1996–97	221.43	2.22	1.0	
4.	राज्य आबकारी	1994–95	1104.64	12.01	1.1	
		1995–96	1158.61	13.40	1.2	3.20
		1996–97	1322.91	16.36	1.2	
5.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1994–95	631.54	9.32	1.5	
		1995–96	734.78	9.54	1.3	3.46
		1996–97	875.06	11.94	1–4	

यह देखा जा सकता है कि वाहनों पर कर संग्रह की व्यय, अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा आंशिक रूप से अधिक है।

1.4 कर निर्धारण के बकाया मामले

क) व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(1) वर्ष 1992–93 से 1996–97 तक के लिये वर्ष के प्रारंभ में लम्बित कर निर्धारण के मामलों, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु अपेक्षित मामलों, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, विवरण निम्न है :

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु अपेक्षित मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अंत में अवशेष	कालम 6 की 4 से प्रतिशतता
1992–93	710790	387506	1098296	416982	681314	62.0
1993–94	741996	394868	1136864	394102	742763	65.0
1994–95	801418	411320	1212738	372718	840020	69.0
1995–96	941134	428990	1370124	807277	562847	41.0
1996–97	562847	526778	1089625	486648	602977	55.3

अवलोकनीय है कि वर्ष 1992–93 से 1995–96 तक के अन्तशेष में अनुवर्ती वर्षों के आदि शेष से भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह स्थिति मामलों की संवीक्षा त्रुटि सुधार तथा पिछली तिथि से पंजीयन देने के कारण है। यह आवश्यक है कि विभाग अभिलेखों के रख रखाव की व्यवस्था को ठीक करे जिससे कि मामलों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

निस्तारित मामले तथा 31 मार्च, 1997 को लम्बित कर निर्धारण वादों का वर्ष वार विभाजन नीचे दिया गया है।

कर निर्धारण वर्ष	निष्पादित मामलों की संख्या	अवशेष मामलों की संख्या	कालातीत मामलों की संख्या
1992–93 तक	54521	1684	शून्य
1993–94	259010	18695	शून्य
1994–95	77131	231903	शून्य
1995–96	88944	346312	शून्य
न्यायालयों द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु प्रति प्रेषित वाद	7042	4383	शून्य
योग	**486648**	**602977**	

(I) उपरोक्त सारणी में वर्णित मामलों से अवलोकनीय है कि प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अंत में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति रही है। विभाजन दर्शाता है कि निपटाये गये अधिकांश मामले 3 वर्ष से अधिक पुराने थे जो वर्ष 1996–97 के दौरान निस्तारित न किये गये होते तो कालातीत हो जाते।

वर्ष 1996–97 में प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अंत में भारी संख्या में मामलों को निपटाने से शीघ्रता में किये गये कर–निर्धारण, अभिलेखों की अपर्याप्त जांच तथा समय व्ययगत होने के फलस्वरूप व्यापारियों के दिवालिया या गुम हो जाने की संभावना रहती है।

(2) वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के प्रथम 9 माह के दौरान तथा शेष 3 माह के दौरान निष्पादित कर निर्धारणों की तुलनात्मक स्थिति भी नीचे दी गयी है।

(रुपये करोड़ में)

अवधि	1995–96			1996–97		
	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	**उठाई गयी मांगें**	**निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की प्रतिशतता**	**निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या**	**उठाई गयी मांगें**	**निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की प्रतिशतता**
अप्रैल से दिसम्बर	497581	402.75	62	262798	494.88	54
जनवरी से मार्च	309696	1795.30	38	223850	1662.71	46
योग	**807277**	**2198.05**		**486648**	**2157.59**	

यह परिलक्षित है कि माह अप्रैल से दिसम्बर के मध्य मामलों के निस्तारण की दर (औसतन 29,200 मामले प्रतिमाह) वर्ष के अंतिम तिमाही से (औसतन 74,617 मामले प्रतिमाह) बहुत कम रही। वर्ष 1996–97 के प्रथम तीन तिमाही में उठाई गयी अतिरिक्त मांग (494.88 करोड़ रुपये) अंतिम तिमाही के दौरान उठाई गयी मांग (1662.71 करोड़ रुपये) से भी बहुत कम रही। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण धनराशि से सन्निहित कर के लम्बित वादों का निस्तारण वर्ष के एकदम अंत में किया गया।

ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

वर्ष 1992–93 से 1996–97 के दौरान अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों तथा व्यापार कर विभाग द्वारा निस्तारित किये गये मामलों की संख्या अगले पृष्ठ पर सारणी में दी गयी हैं :

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
अपील के मामले						
1992–93	67976	45219	113195	48765	64430	43
1993–94	64430	45017	109447	46775	62672	43
1994–95	62672	30150	92822	36520	56302	39
1995–96	56302	36715	93017	36138	56879	39
1996–97	56879	42166	99045	32913	66132	33
पुनरीक्षण के मामले						
1992–93	60427	23537	83964	19324	64640	23
1993–94	64640	22212	86852	19483	67369	22
1994–95	67369	16442	83811	16458	67353	20
1995–96	67353	14374	81727	19853	61894	24
1996–97	61894	8444	70338	13226	57112	19

अवलोकनीय है कि वर्ष 1991–92 के अन्त में लम्बित अपील के मामलों की संख्या 67,976 से घटकर वर्ष 1996–97 के अन्त में 66,132 रह गयी। इसी प्रकार वर्ष 1991–92 के अन्त में निस्तारण हेतु लम्बित पुनरीक्षण के मामलों की संख्या 60427 से घटकर वर्ष 1996–97 के अन्त में 57,112 रह गयी।

1.5 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 1996–97 के दौरान व्यापार कर विभाग का सकल संग्रह का विवरण (पूर्व निर्धारण के स्तर पर तथा नियमित निर्धारण के पश्चात्) पूर्ववर्ती दो वर्षो के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, सारणी में दिये गये हैं :

(रुपये करोड़ में)

कर शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था में संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत धनराशि	अन्य प्राप्तियां	प्रत्यापित धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	कालम 3 की 7 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
व्यापार	1994–95	1952.92	102.09	15.54	10.50	2060.05	95
कर	1995–96	2212.38	116.71	18.95	17.33	2330.71	95
	1996–97	2640.23	130.12		13.15	2757.20	96

मार्च 1997 को समाप्त होने वाले विगत् तीन वर्षों की व्यापार कर विभाग द्वारा दी गयी राजस्व वसूली की स्थिति यह बताती है कि पूर्व निर्धारण के स्तर का राजस्व संग्रह का प्रतिशत 95 से 96 हो गया जो कर दाताओं की स्वेच्छिक अनुपालन की जागरूकता तथा आय के उच्चतर लक्ष्य प्राप्ति में कर संग्रह मशीनरी के सीमित रोल को प्रकट करती है।

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 1997 को राजस्व के बकाया, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्न प्रकार थे :

(रुपये करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
1. व्यापार कर	4300.89	2299.16	4300.89 करोड़ रुपये में से 765.57 करोड़ रुपये के लिये मांग को भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 675.11 करोड़ रुपये तथा 83.11 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 138.09 करोड़ रूपये की वसूली त्रुटि सुधार/समीक्ष्य प्रार्थना पत्रों के कारण रुकी हुई थी। 172.35 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अन्य राज्यों को वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये थे। 116.83 करोड़ रुपये की मांग के अपलिखित

(रुपये करोड़ में)

	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
				होने की संभावना थी। 2349.83 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के संबंध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि मंगाया गया था (जून 1997), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 1997)।
2.	गन्ने पर क्रय कर (चीनी मिलें)	13.15	11.25	13.15 करोड़ रुपये में से 0.51 करोड़ रुपये की मांग भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गयी थी। 5.66 करोड़ रुपये की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 6.98 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के संबंध में विभाग द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि मंगाया गया था (जून 1997), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया था।
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	13.87	10.85	13.87 करोड़ रुपये में से 7.07 करोड़ रुपये की मांग को भू राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.62 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 0.12 करोड़ रुपये की मांग के अपलिखित होने की संभावना थी। 6.06 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के संबंध में की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि मंगाया गया था, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
4.	मनोरंजन कर	9.57	0.90	9.57 करोड़ रुपये में से 2.04 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था 6.55 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। 0.98 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण, यद्यपि मंगाया गया था (जून 1997), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

(रुपये करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
5. विद्युत कर	3.28	--	3.28 करोड़ रुपये में से 0.07 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। 3.21 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि वसूली की प्रक्रिया में है।
6. राज्य आबकारी	80.48	--	80.48 करोड़ रुपये में से 12.67 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 65.84 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। 1.96 करोड़ रुपये की वसूली व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण रूकी हुई थी। 0.01 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के संबंध में की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि मंगाया गया था, (जून 1997), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि मंगायी गई थी, (जून 1997), प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 1997)।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1996–97 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियां एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से 2197 मामलों में 64.13 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/कम–आरोपण/राजस्व–हानिके मामले प्रकाश में आये। वर्ष 1996–97 के दौरान संबंधित विभागों ने 793 मामलों में 26.63 करोड़ रुपये के कर अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 7.80 करोड़ रुपये के 86 मामले वर्ष 1996–97 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

इस प्रतिवेदन में कर शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड, आदि के अनारोपण, कम आरोपण, से संबंधित 6 समीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए 43 प्रस्तर है। जिनमें 562.86 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है।

विभाग/सरकार ने 3.24 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है जिसमें से अक्टूबर 1997 तक 0.33 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गयी थी। अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियां

(i) त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गई कमियों जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ii) राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर, 1996 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून, 1997 तक विभागों द्वारा लम्बित रहा, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गए हैं:–

(जून माह के अन्त तक) **(रुपये करोड़ में)**

		1995	1996	1997
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3390	3964	4537
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	10168	11078	11630
3.	निहित राजस्व की धनराशि	359.82	397.56	496.68

(iii) 30 जून, 1997 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा आपत्तियों का वर्ष वार विभाजन नीचे दिया गया है :–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये)	अनिस्तारित संख्या: निरीक्षण प्रतिवेदन	अनिस्तारित संख्या: लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	निहित राजस्व
1992–93 तक	1677	4851	210.70
1993–94	524	1317	78.68
1994–95	683	1806	96.24

(रुपये करोड़ में)

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये)	अनिस्तारित संख्या निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	निहित राजस्व
1995–96	1037	2144	52.25
1996–97	616	1512	58.81
योग	**4537**	**11630**	**496.68**

(iv) 30 जून, 1997 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग वार विभाजन नीचे दिया गया है :–

(रुपये करोड़ में)

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित संख्या निरीक्षण प्रतिवेदन	आपत्तियाँ	सन्निहित राजस्व की राशि	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	801	2361 1996–97	340.93	1988–89 से	शून्य
2. व्यापार कर	1129	3746	57.15	1987–88 से 1996–97	शून्य
3. सिंचाई	277	682	19.65	1984–85 से 1996–97	91
4. राज्य आबकारी	448	653	17.25	1984–85 से 1996–97	53
5. भू–राजस्व	294	626	9.91	1984–85 से 1996–97	शून्य
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	260	1118	8.06	1984–85 से 1996–97	शून्य
7. लोक निर्माण	258	559	12.74	1985–86 से 1996–97	67

(रुपये करोड़ में)

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित संख्या		सन्निहित राजस्व की राशि	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए
	निरीक्षण प्रतिवेदन	आपत्तियाँ			
8. गन्ने के क्रय पर	101	116	6.94	1985–86 से 1996–97	शून्य
9. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	521	1112	7.82	1984–85 से 1996–97	शून्य
10. अन्य विभाग					
(क) कृषि	113	216	7.88	1985–86 से 1996–97	37
(ख) विद्युत शुल्क	153	176	4.28	1985–86 से 1996–97	18
(ग) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	104	165	0.82	1985–86 से 1996–97	40
(घ) सहकारिता	54	73	2.90	1985–86 से 1996–97	14
(च) मनोरंजन कर	24	27	0.35	1986–87 से 1996–97	शून्य
योग	**4537**	**11630**	**496.68**		

इसे सरकार के संज्ञान में अप्रैल 1997 में लाया गया था, अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 1997)।

अध्याय 2

व्यापार कर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	23
2.2	व्यापार कर में जालसाजी एवं करापवंचन	24
2.2.1	प्रस्तावना	24
2.2.2	संगठनात्मक ढ़ांचा	24
2.2.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	24
2.2.4	प्रमुख अंश	25
2.2.5	जालसाजी एवं अपवंचन की स्थिति	26
2.2.6	विभागीय एजेन्सियों का निष्पादन	26
2.2.7	पंजीयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के फलस्वरुप अपवंचन	28
2.2.8	प्रक्रियात्म दोष के फलस्वरुप राजस्व की क्षति	29
2.2.9	अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन न करना	30
2.2.10	नई इकाइयों द्वारा अपवंचन	31
2.2.11	खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा अपवंचन	32
2.2.12	अर्थदण्ड का अनारोपण	33
2.2.13	ट्रांसपोर्टरों द्वारा अपवंचन	35
2.2.14	स्वीकृत कर पर ब्याज का कम आरोपण	36
2.2.15	अभिलेखों का रख–रखाव	37
2.2.16	अन्य रुचिकर बिन्दु	38
2.3	ब्रान्च ट्रांसफर/स्टाक ट्रांसफर के माध्यम से करापवंचन	39
2.4	माल के गलत वर्गीकरण से कर का अनारोपण/कम आरोपण	41
2.5	गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण	43
2.6	अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने से राजस्व की हानि	46
2.7	अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	49
2.8	अनियमित छूट	54
2.9	कर निर्धारण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व–क्षति	56
2.10	कर गणना में त्रुटियां	57
2.11	अतिरिक्त कर का न लगाया जाना	57
2.12	अनियमित पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से राजस्व–हानि	58
2.13	ब्याज का न लगाया जाना	59
2.14	टर्न ओवर का छिपाया जाना	59

अध्याय 2

व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

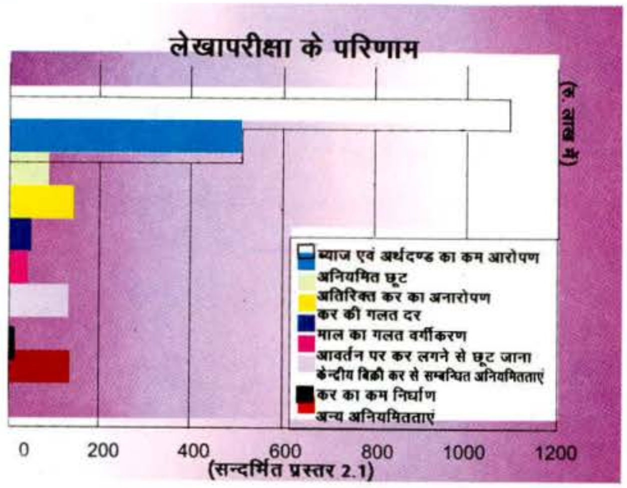

वर्ष 1996–97 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में 1442 मामलों में 2192.64 लाख रुपये के कर कम लगाये जाने तथा अर्थदण्ड और ब्याज आदि के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :–

(रुपये लाख में)

		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ ब्याज का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	628	1094.08
2.	अनियमित छूट	285	510.57
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	55	85.17
4.	कर की गलत दर	215	140.23
5.	माल का गलत वर्गीकरण	60	47.92
6.	आवर्तन (टर्न ओवर) पर कर लगने से छूट जाना	25	39.08
7.	केन्द्रीय बिक्रीकर से सम्बन्धित अनियमितताएँ	26	129.81
8.	कर का अवनिर्धारण	38	13.38
9.	कर का कम आरोपण	110	132.40
	योग	**1442**	**2192.64**

वर्ष 1996–97 के दौरान संबंधित विभाग ने 271 मामलों में 505 लाख रुपये कर कम लगाये जाने की पुष्टि की है जिसमें से 16 मामलों में निहित 12 लाख रुपये वर्ष 1996–97 की लेखा परीक्षा के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों में लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे। इसमें से 12 मामलों में निहित 14.31 लाख रुपये की वसूली हो गयी है (अक्टूबर 1997)।

व्यापार कर विभाग में जालसाजी और करापवंचन पर की गई समीक्षा सहित कुछ निदर्शी मामले जिनमें 87.65 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं।

F-144

2.2 व्यापार कर में जालसाजी एवं करापवंचन

2.2.1 प्रस्तावना

व्यापार कर में कर का अपवंचन सामान्यतः व्यापारियों द्वारा क्रय–विक्रय के गोपन, मिथ्या निरूपण तथा तथ्यों के त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण आदि का सहारा लेने से घटित होता है। जालसाजी करापवंचन से भिन्न है क्योंकि यह व्यापारियों द्वारा कर दायित्व को जानबूझकर अपवंचित करने/घटाने के उद्देश्य से प्रलेखों में जालसाजी जैसे अभिलेखों में हेर फेर करना, अशुद्ध/असत्य/मिथ्या घोषणा प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा घटित होता है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

व्यापार कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन का अधिकार कमिश्नर व्यापार कर उत्तर प्रदेश जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, में निहित है, कमिश्नर को अपर कमिश्नरों, उप कमिश्नरों, सहायक कमिश्नरों तथा व्यापार कर अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है। राज्य को 22 प्रशासनिक परिक्षेत्रें में बांटा गया है जिनमें प्रत्येक का प्रमुख उप कमिश्नर (शासकीय) होता है। पुनः इन परिक्षेत्रें को मण्डलों तथा खण्डों में विभाजित किया गया है जिनका प्रभारी विभागीय कर निर्धारण अधिकारी तथा सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण), व्यापार कर अधिकारी (व्या.क.अ. श्रेणी 1/2) होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में 6 परिक्षेत्र है जिनका प्रमुख उप कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) होता है जो 20 इकाइयों जिनका प्रभारी व्यापार कर अधिकारी (विशेष अनुसंधान शाखा) होता है, द्वारा व्यापारियों की जांच करा के व्यापार कर के अपवंचन की रोकथाम करता है तथा पता लगाता है। साथ ही व्यापार कर अधिकारियों के प्रभार में जाँच चौकी (54) तथा सचल दल (38) के रूप में एजेंसियाँ कार्यरत हैं, जो व्यापार कर के अपवंचन पर प्रभावकारी नियंत्रण रखती है।

2.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

जालसाजी तथा अपवंचन के रोकथाम करने व पता लगाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, व्यापार कर अधिनियम, 1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, इन अधिनियमों के अधीन बनाई गई नियमावलियां, व्यापार कर मैनुअल के प्रावधानों तथा समय –समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रणाली की असम्भवता तथा आन्तरिक नियंत्रण की त्रुटियों तथा पंजीयन के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना, पंजीयन योग्य व्यापारियों का पंजीयन न करना, कर निर्धारण में विलम्ब, अनियमित कर मुक्ति, अर्थदण्ड का अनारोपण, घोषणा–प्रपत्रों का दुरुपयोग, कर तथा ब्याज का गलत दर

से आरोपण पर विशेष ध्यान रखने के सम्बन्ध में सितम्बर 1996 से मई 1997 के मध्य एक समीक्षा की गई। इस अभिप्राय हेतु व्यापार कर कमिश्नर, विशेष अनुसंधान शाखा के 6 परिक्षेत्रों सहित 22 परिक्षेत्रों में 12* परिक्षेत्रों के सहायक कमिश्नरों (कर निर्धारण) और व्यापार कर अधिकारियों, सचल दल इकाइयों जांच चौकियों तथा डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) व्यापार कर के कार्यालयों के वर्ष 1991–92 से 1995–96 तक के कर निर्धारण वादों/अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

2.2.4 प्रमुख अंश

(i) व्यापारियों के पंजीयन सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने तथा कर निर्धारण के विलम्ब के परिणामस्वरूप 15.32 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.7)

(ii) कर निर्धारण की प्रक्रिया की कमियों और घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन तथा प्रयोग पर अनुश्रवण न करने के परिणामस्वरूप 20.28 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.8(i))

(iii) "पात्रता प्रमाण पत्र" के बिना व्यापार करने वाली नई औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध समय से कर निर्धारण की कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप 11.60 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.10)

(iv) खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी न रखने तथा उनके कर निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.11)

(v) छिपाये गये टर्न ओवर पर अर्थदण्ड के अनारोपण/वसूली न करने के परिणामस्वरूप 10.84 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.12(क))

(vi) पारगमन पत्र पर दिये गये वाहनों के स्वामियों/चालकों के पूर्ण एवं सही पते का प्रभावकारी सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप 440 ट्रांसपोर्टरों द्वारा 10.61करोड़ रुपये का करापवंचन किया गया।

(प्रस्तर 2.2.13)

(vii) स्वीकृत कर पर गलत दर के ब्याज लगाये जाने के परिणामस्वरूप 7.92 करोड़ रूपये का ब्याज कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 2.2.14)

---

* आगरा (2) इलाहाबाद, बरेली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर (2) लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी

2.2.5 जालसाजी एवं अपवंचन की स्थिति

1995–96 तक के 5 वर्षों के दौरान विभागीय एजेन्सियों द्वारा पता लगाये गये जालसाजी एवं अपवंचन के मामलों तथा उक्त अवधि में जिन मामलों में जांच तथा कर निर्धारण पूर्ण हुआ, की स्थिति निन्नवत रही :

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामले	वर्ष में पता लगाये गये मामले	योग	मामले जिनमें वर्ष में जांच/कर निर्धारण पूर्ण हुआ	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित मामले	कालम 5 का कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1991–92	6403	2031	8434	1857	6577	22
1992–93	6577	2569	9146	2744	6402	30
1993–94	6402	2752	9154	3599	5555	39
1994–95	5555	2354	7909	2223	5686	28
1995–96	5686	2822	8508	2936	5572	35

यह देखने में आया है कि जांच तथा कर निर्धारण को पूरा करने का प्रतिशत जो वर्ष 1991–92 से 1993–94 तक की अवधि में बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाता था, वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में कम हो गया। इस कमी के लिये विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।

पुनः विभाग के पास न लम्बित मामलों का वर्षवार विवरण उपलब्ध था, और न पुराने मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु कोई रजिस्टर/अभिलेख रखा गया था। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जाँच पूर्ण करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नही की गयी थी, समय से जाँच पूर्ण करने के लिये न केवल नियम बनाने की आवयश्यकता है साथ ही विभाग द्वारा नियंत्रण रजिस्टर/अभिलेखों के रख रखाव हेतु एक कार्यप्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

2.2.6 विभागीय एजेन्सियों का निष्पादन

वर्ष 1991–92 से 1995–96 तक के वर्षो के दौरान जालसाजी एवं अपवंचन को रोकने तथा पता लगाने के सम्बन्ध में तैनात विभागीय एजेंसियों के निष्पादन का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

* व्यापार कर विभाग के 1995–96 का वार्षिक प्रतिवेदन

विभागीय एजेन्सियां	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96
(I) विशेष अनुसंधान शाखा (वि.अनु.शा.)					
1. इकाइयों की संख्या	20	20	20	20	20
2. कुल सर्वेक्षणों की संख्या	2031	2569	2752	2354	2822
3. प्रतिकूल सर्वेक्षणों की संख्या	828	1111	1121	887	1349
4. अपवंचित विक्रय धनराशि (करोड़ रुपये में)	478.52	816.31	1176.99	550.95	1104.32
5. निर्धारित कर की धनराशि (करोड़ रुपये में)	31.93	67.99	91.75	91.56	260.54
6. प्रति व्यक्ति औसत सर्वेक्षण	51	64	69	59	71
(II) जांच चौकियां					
1. जांच चौकियों की संख्या	50	52	52	54	54
2. जांच चौकियों से गुजरे वाहनों की कुल संख्या	4718120	4295313	3865227	4109170	4730916
3. अनाधिकृत माल ले जाने वाले वाहनों की संख्या	335847	369992	351029	353652	370722
4. 3 का 2 से प्रतिशतता	7.1	8.6	9.1	8.6	7.8
5. वसूल की गई जमानत/अर्थदण्ड (करोड़ रुपये में)	33.60	39.16	45.26	40.17	37.85
(III) सचल दल					
1. सचल दल इकाइयों की संख्या	33	38	38	38	38
2. जांच किये गये वाहनों की संख्या	74409	83241	79052	70649	79001
3. दोषी पाये गये वाहनों की संख्या	10801	13834	12621	7490	8051
4. वसूल की गई जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि (करोड़ रुपये में)	9.15	11.73	12.53	9.82	10.15

तालिका यह दर्शाती है कि विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा किया गया सर्वेक्षण जो वर्ष 1991–92 से 1993–94 तक (51 से 69) तथा वर्ष 1995–96 में (71 लगातार बढ़ रहा था, वर्ष 1994–95 में (59) कम हो गया। सर्वेक्षण के पूर्ण किये जाने की मात्रा की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

प्रतिकूल सर्वेक्षण के आधार पर मामलों की संख्या एवं निर्धारित कर जो वर्ष 1991–92 से 1993–94 तक बढ़त की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा था। वर्ष 1994–95 में कम हो गया एवं वर्ष 1995–96 में पुनः बढ़ गया।

जांच चौकियों द्वारा वसूल किये गये जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि जिसमें वर्ष 1991–92 से 1993–94 तक बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी थी, वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 में घटोत्तरी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

इसी प्रकार जहाँ सचल दल इकाइयों द्वारा वसूली गयी जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि में 1991–92 से 1993–94 तक की अवधि में स्पष्ट बढ़ोत्तरी हुई, यह वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 में घट गयी।

विभाग ने उत्तर में बताया कि मामलों की संख्या (में कमी) तथा मुख्य कारण वर्ष 1991–92 एवं 1992–93 के मामलों को प्रतिकूल सर्वेक्षण के आधार पर विशेष अनुसंधान शाखा के द्वारा वर्ष 1994–95 में कर निर्धारण का निपटारा कर लिया जाना था।

विभागीय उत्तर सही नहीं है क्योंकि वर्ष 1991–92 एवं 1992–93 में इस प्रकार निर्धारित किया गया कर जैसा कि विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शित है आगामी वर्षों में अपरिवर्तित रहा।

जांच चौकियों तथा सचल दल इकाइयों द्वारा वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 में वसूली गयी जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि में कमी के लिये विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताये गये।

6 1/20.

2.2.7 पंजीयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के फलस्वरूप अपवंचन

पंजीयन के लिये नियम के अनुपालन न करने, फार्मों के निर्गमन तथा प्रयोग की नियमितता तथा समय से कर निर्धारण न करने के फलस्वरूप 15.32 करोड़ रुपये की हानि

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 तद् अधीन निर्मित नियमावली एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कर मैनुअल के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यापारी जिसका सकल आवर्त्त किसी कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक होने की दशा में, वह पंजीयन हेतु उस दिन से 30 दिन के अन्दर आवेदन करेगा जिस तिथि से वह पंजीयन योग्य होगा। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं है। व्यापार कर अधिकारी द्वारा व्यापारी को पंजीयन प्रमाण–पत्र यह सन्तुष्ट होने के उपरान्त जारी करेगा कि पंजीयन प्रार्थना–पत्र पूर्ण एवं सही है, तथा व्यापारी की असलियत उसका स्थायी एवं स्थानीय पता, पूर्व क्रिया कलाप, वित्तीय स्थिति की सम्भावना आदि की स्थल जांच कर सत्यापन करेगा। पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व व्यापारी से पर्याप्त जमानत भी प्राप्त की जाती है।

8* व्यापार कर मण्डलों के 23 मामलों में यह पाया गया कि पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व एवं उसके बाद भी विभाग द्वारा निर्धारित जांच एवं सत्यापन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप ऐसे व्यापारी पंजीकृत हो गये एवं माल की कर मुक्त अथवा रियायती दर पर खरीद हेतु भारी संख्या में घोषणा पत्र फार्म XXXI, 'सी', 3 'ख' एवं 3 'ग' प्राप्त कर उनका दुरुपयोग किये और बड़े पैमाने पर व्यापार कर के क्रय विक्रय आवर्त्त एवं कर को छिपाते रहे तथा विभाग द्वारा कर निर्धारण सम्पन्न करने के पूर्व ही व्यापार बन्द कर लापता हो गये। पंजीयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने, विभागीय घोषणापत्रों के जारी करने एवं उनके उपयोग की जांच में विफल रहने तथा व्यापार बन्द करने के पूर्व ही कर निर्धारण कार्यवाही पूर्ण न करने (जनवरी 19989 एवं मार्च 1996 के मध्य) के फलस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1985–86से 1993–94 में 15.32 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई। व्यापारियों द्वारा इस प्रकार के करापवंचन के मामलों में निहित राशि के अपलेखन हेतु कार्यवाही चल रही थी।

2.2.8 प्रक्रियात्मक दोष के फलस्वरूप राजस्व की क्षति

एक पंजीकृत व्यापारी को खरीद बिक्री, आयात/निर्यात पर कर की रियायती दर एवं व्यापार के दौरान माल के पारेषण हेतु सुविधा विभिन्न विभागीय घोषणा पत्रों/प्रमाण–पत्रों के अधीन अनुमन्य है। नये विभागीय फार्म व्यापारी को पुनः तभी जारी किये जा सकते हैं जबकि वह पूर्व में जारी फार्मों का लेखा प्रस्तुत कर दे। अन्तिम कर निर्धारण के समय व्यापारी द्वारा समस्त घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

सितम्बर 1991 से मार्च 1996 की अवधि के मध्य फार्मों के निर्गम तथा प्रयोग पर नियंत्रण के अभाव में एवं कालावधि के समाप्ति पर कर निर्धारण के फलस्वरूप 28.28 करोड़ रुपये की हानि

(1) 10** व्यापार कर मण्डलों में पाया गया कि 32 व्यापारियों ने विभाग में पंजीयन प्राप्त करके कर निर्धारण अधिकारियों से घोषणा पत्र/प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जबकि पूर्व में प्राप्त घोषणा–पत्रों का उन्होंने कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कर मुक्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में वांछित घोषणापत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण के समय प्रस्तुत करना आवश्यक था जो व्यापारियों ने प्रस्तुत नहीं किया और विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतिम क्षणों में कर निर्धारण पूर्ण करने के पूर्व ही वे अथवा) व्यापार बन्द करके लापता हो गये। घोषणापत्रों

* आगरा (2), बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर(2), लखनऊ, वाराणसी

** आगरा (2), इलाहाबाद, बरेली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी

के जारी करने एवं उनके उपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने एवं कर निर्धारण कार्यवाही को निर्धारित समयावधि के अन्त तक लम्बित रखने के फलस्वरूप जबकि व्यापारी गायब हो गये, कर निर्धारण वर्ष 1985–86 से 1994–95 तक निर्धारित कर (सितम्बर 1991 एवं मार्च 1996 के मध्य) के रूप में 20.28 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई। समस्त मामले अपलेखन की स्वीकृति हेतु संयुक्त जांच में थे।

मार्च 1991 सें मार्च 1996 की अवधि के मध्य प्रतिष्ठानों के बंद होने की सूचना पर भी कर निर्धारण में एक से चार वर्षों के विलम्ब के फलस्वरूप 59.79 लाख रुपये की हानि

(2) 5* व्यापार कर मण्डलों में 8 व्यापारियों के मामले में पाया गया कि विभाग द्वारा कर निर्धारण की कार्यवाही फर्म बन्दी की सूचना अथवा व्यापार कर की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा प्रेषित प्रतिकूल सूचना प्राप्ति की तिथि से 1 से 4 वर्षो से अधिक विलम्ब से पूर्ण की गयी, जबकि व्यापारी लापता हो चुके थे। विलम्ब से कर निर्धारण के परिणामस्वरूप 59.79 लाख रुपये के कर राजस्व की क्षति (मार्च 1991 से मार्च 1996 के बीच) कर निर्धारण वर्ष 1986–87 से 1993–94 में हुई। चूंकि व्यापारी लापता हैं, अतः बकाया राशि के अपलेखन हेतु संयुक्त जांच चल रही है।

(3) व्यापार कर मण्डल, नोयडा में एक व्यापारी से कर निर्धारण वर्ष 1987–88 के बकाये 92.40 लाख रुपये की भू–राजस्व बकाये की भांति वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र 28 जनवरी 1992 को जारी हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगनादेश के अनुपालन में वसूली प्रमाण–पत्र त्रुटिवश वापस ले लिया गया जबकि, इसे रोक कर रखना चाहिये था। जांच में पाया गया (दिसम्बर 1996) कि यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 22 दिसम्बर 1995 को ही स्थगन आदेश वापस ले लिया गया, वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

2.2.9 अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन न करना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3(3) के अन्तर्गत व्यापारी को प्रान्त बाहर से आयातित माल अथवा स्वनिर्मित माल की बिक्री पर कर देय होता है। इस प्रयोजन हेतु व्यापारी को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन प्राप्त करना वांछित है।

बिना पंजीयन प्राप्त किये व्यापार कर के करापवंचन करने वाले व्यापारियों को प्रकाश में लाने हेतु अगस्त, 1985 तक विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाता था। यह सर्वेक्षण सितम्बर 1985 से समाप्त कर दिया गया।

विभागीय सर्वेक्षण के दौरान प्रकाश में आये अपंजीकृत व्यापारियों के मामले में, व्यापार कर मैनुअल के प्रस्तर 136 के प्रावधानों के अन्तर्गत 15 दिनों के अन्दर उन्हें पंजीकृत करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अपंजीकृत व्यापारियों का कर निर्धारण वरीयता के आधार पर सूचना प्राप्ति के एक वर्ष के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लेना चाहिये।

---

* बरेली, कानपुर(2), मेरठ, मुरादाबाद

(अ) 7* व्यापार कर मण्डलों में 13 व्यापारियों के मामले में पाया गया कि वे एक से तीन वर्षों तक व्यापार करते रहे, परन्तु विशेष अनुसंधान शाखा एव जांच चौकी से प्राप्त सूचना के उपरान्त भी विभाग द्वारा वे पंजीकृत नहीं किये गये। उनके कर निर्धारण में भी वरीयता नहीं दी गयी और सूचना प्राप्त होने के 1 से 3 वर्षों के उपरान्त कर निर्धारण पूर्ण किया गया, जबकि व्यापारी लापता हो गये। पंजीयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही में विफलता एवं कर निर्धारण कार्यवाही में हुए विलम्ब के फलस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1986–87 से 1993–94 में ऐसे व्यापारियों पर आरोपित कर (अगस्त 1989 से मार्च 1996) के रूप में 1.95 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई। विभाग द्वारा इस धनराशि के अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है। अतएव यह सुनिश्चित करने की अतीव्र आवश्यकता है कि वरीयता के आधार पर अपेक्षित कर निर्धारण वादों का निस्तारण द्रुतगति से किया जाये।

व्यापारियों के पंजीयन में समुचित कार्यवाही न करने तथा कर निर्धारण में विलम्ब के फलस्वरूप 1.95 करोड़ रुपये की हानि

(ब) 7* व्यापार कर मण्डलों के 726 मामलों में पाया गया कि वर्ष 1991–92 से 1995–96 की अवधि में जांच चौकियों अथवा सचल दल इकाइयों द्वारा पाये गये अपंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन के सम्बन्ध में विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे व्यापारियों को पंजीकृत न करने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रान्त के बाहर से आयातित 6.68 करोड़ रुपये मूल्य के माल पर 56.82 लाख रुपये कर लगाने एवं वसूल होने से रह गया।

वर्ष 1991–92 से वर्ष 1995–96 की अवधि में सचल दल द्वारा 726 अपंजीकृत मामलों से 56.82 लाख रुपये के कर का अनारोपण पकड़ा जाना

2.2.10 नई इकाइयों द्वारा अपवंचन

बिना पात्रता प्रमाण–पत्र के व्यापार करने पर व्यापारियों पर करारोपण/अर्थदण्ड की कार्यवाही समय से न करने के फलस्वरूप 11.60 करोड़ रुपये की हानि

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4–ए के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र धारक नई औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर कुछ शर्तों के

* आगरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर (2), लखनऊ, वाराणसी

अधीन विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कर मुक्ति की सुविधा अनुमन्य है। आयुक्त, व्यापार कर ने समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को 4 मार्च, 1985 को निर्देश जारी किया कि जिन नई औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं है, उनके सम्बन्ध में तत्काल कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6* व्यापार कर मण्डलों में पाया गया कि 12 नई औद्योगिक इकाइयों का पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में भी बिना कर जमा किये व्यापार जारी रखने दिया गया। इन इकाइयों का वर्ष 1986–87 से 1993–94 तक 11.60 करोड़ रुपये का कर निर्धारण (नवम्बर 1990 के मध्य से मार्च 1996 के मध्य) विलम्बित रूप से किया गया, जबकि व्यापारी व्यापार बन्द कर गायब हो गये। बिना पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये व्यापार कर करे व्यापारियों के सम्बन्ध में समय से कर निर्धारण की कार्यवाही करने में विफलता एवं उनके गायब होने से पूर्व कर निर्धारण पूर्ण न करने के फलस्वरूप 11.60 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई। इन इकाइयों द्वारा इस प्रकार अपवंचित कर की राशि के अपलेखन की स्वीकृति हेतु विभाग संयुक्त जांच कर रहा है।

2.2.11 खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा अपवंचन

खादी ग्रामोद्योग से प्रमाणित संस्थाओं के व्यापार पर सतर्कता के अभाव में 1.70 करोड़ रुपये की राजस्व –क्षति

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी 1985 के अन्तर्गत विज्ञप्ति में उल्लिखित सूची के अनुसार अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिक्री पर और विर्निर्माण से सम्बद्ध किसी वस्तु के क्रय या ग्रामोद्योग के उत्पादों के क्रय पर कर के भुगतान से छूट है। आयुक्त के परिपत्र (अक्टूबर ~~96~~ 1986) के अनुसार संस्थान इनके द्वारा निर्गत एवं सम्बन्धित जिला उद्योग अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के बल पर पूर्ण कर मुक्ति पर कच्चे माल के क्रय के भी हकदार हैं।

व्यापार कर मण्डल कानपुर में यह संज्ञान में आया कि 4 व्यापारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा प्रमाणित संस्थान होते हुए स्वयं को व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होकर निर्धारित प्रमाण–पत्र के विरुद्ध कच्चे माल की कर मुक्त खरीद किये। वे विभाग से घोषणा पपत्र (प्रपत्र 31) भी प्राप्त किये तथा उनका प्रयोग करके प्रान्त बाहर से माल क्रय किये। इन प्रमाण पत्रों /घोषणाओं के विरुद्ध खरीदे गये माल

* इलाहाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद

को निर्माण में प्रयुक्त किए बिना संस्थाओं द्वारा बिक्री कर दी गई। इसके अलावा, वे अपने कर योग्य विक्रय धन को छिपाते हुए कर के दायित्व से बच गये तथा अन्त में अपने व्यापार को बन्द करके पलायित हो गये। विभाग के स्तर पर ऐसी संस्थाओं के व्यापारिक गतिविधियों पर चौकसी न किये जाने, प्रमाण–पत्रों/ घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन एवं प्रयोग का अनुश्रवण न किये जाने और व्यापारिक गतिविधियों के निलम्बन के पूर्व कर निर्धारण के अनिस्तारण के फलस्वरूप उक्त संस्थानों के विरुद्ध 1989–90 से 1993–94 तक के कर निध ारिण वर्ष हेतु 1.70 करोड़ रुपये के निर्धारित कर (फरवरी 1994 एवं सितम्बर 1995 के मध्य) की राजस्व क्षति हुई। संयुक्त जांच के दौरान इन संस्थाओं के विरुद्ध 1.70 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली योग्य नहीं पाई गयी (मार्च 1996 तक) इसलिये अपलेखन हेतु प्रतीक्षारत थी।

2.2.12 अर्थदण्ड का अनारोपण

(क) टर्न ओवर का छिपाया जाना

टर्नओवर छिपाने पर अर्थदण्ड के अनारोपण/ वसूली न करने के फलस्वरूप 10.84 करोड़ की हानि

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 15–क (1) (ग) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो अपने टर्न ओवर का ब्यौरा छिपाया है अथवा जानबूझकर ऐसे टर्न ओवर का त्रुटिपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया है वह दण्ड का उत्तरदायी है। कर निर्धारण अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझें यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त दण्डात्मक कार्यवाही के बदले ऐसे कर की धनराशि का, जो इस प्रकार बचा ली गई होती 24 अप्रैल 1990 तक कम से कम पचास प्रतिशत किन्तु अधिकतम उसके डेढ़ गुना तथा 25 अप्रैल 1990 से दो सौ प्रतिशत तक अर्थदण्ड के रूप में देगा।

व्यापार कर के 10* मण्डलों में यह संज्ञान में आया कि 36 व्यापारियों ने कर निर्धारण वर्ष 1985–86 से 1994–95 से सम्बन्धित अपने टर्न ओवर का ब्योरा छिपाया जाना अथवा जान बूझ कर ऐसा टर्न ओवर का त्रुटिपूर्ण ब्योरा प्रस्तुत किया। टर्न ओवर छिपाया जाना विभाग की विभिन्न एजेंसियों जैसे विशेष अनुसंधान शाखा, जांच चौकियों तथा सचल दलों द्वारा पता किया गया और कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण का निस्तारण करते समय 21.68 करोड़ रुपये की धनराशि का कर आरोपित किया गया (अगस्त 1990 एवं मार्च 1996 के मध्य) लेकिन 10.84 करोड़ रुपये का न्यनतम अर्थदण्ड यद्यपि आरोपणीय था, न तो आरोपित किया गया न ही संग्रहीत किया जा सका।

* आगरा(2), बरेली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कनपुर(2), लखनऊ, मेरठ, एवं वाराणसी

(ख) कर का जमा न किया जाना

कर के जमा न करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण/वसूली के फलस्वरूप 1.72 करोड़ की हानि

प्रत्येक व्यापारी जो कर का देनदार है, को प्रदत्त समय के अधीन एवं निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसके द्वारा अदा किये गये कर के चालान के साथ विक्रय–धन का आवधिक विवरण पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इन शर्तों के उल्लंघन होने पर व्यापारी दण्ड का भागी है। कर निर्धारण अधिकारी ऐसी जांच के पश्चात, यदि कोई हो, निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो, दण्डात्मक कार्यवाही के बदले अर्थदण्ड के रूप में देय होगा।

व्यापार कर के 7* मण्डलों में यह संज्ञान में आया कि 11 व्यापारियों ने 3.44 करोड़ रुपये के धनराशि का कर जो 1986–87 से 1992–93 तक के कर निर्धारण वर्ष के 27.79 करोड़ के कर योग्य विक्रय धन पर उनके द्वारा स्वीकृत रूप से संदेय था, को जमा नहीं किया। स्वीकृत कर न जमा करने पर व्यापारी 1.72 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के दायी थे जो कि आरोपित/वूसल नहीं किया गया।

(ग) माल का अनाधिकृत आयात

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 28–क पठित उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 के नियम 85 के अन्तर्गत राज्य के बाहर से रोड, रेल, नदी, वायु या डाक द्वारा माल आयात करने के इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से प्रपत्र 31 प्राप्त करेगा। प्राप्त घोषणा प्रपत्र की एक प्रति माल के आयात करने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को इसे पार करने से पूर्व देगा। इसकी एक प्रति कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इन प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में कर निर्धारण अधिकारी विनिर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो 13 अप्रैल, 1994 तक माल की कीमत चालिस प्रतिशत से अधिक न हो (उसके पश्चात् कर का 40 प्रतिशत या 3 गुना जो अधिक हो)।

व्यापार कर के दो मण्डलों (आगरा तथा लखनऊ) में यह संज्ञान में आया कि दो व्यापारियों द्वारा 1991–92 एवं 1993–94 के कर निर्धारण वर्षों में 13.95 लाख रुपये का इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रकल्स का

* आगरा, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर (2), लखनऊ

सामान प्रपत्र 31 के प्रयोग के विरुद्ध प्रान्त बाहर से आयात किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि घोषणा पत्र में वास्तविक इन्दिराज 4 लाख रुपये था। जो कि बाद में परिवर्तित करके 12.63 लाख रुपये कर दिया गया। इस प्रकार से 9.95 लाख रुपये का माल बिना विधि मान्य घोषणा पत्र के आयाता करने के फलस्वरूप व्यापारी 3.98 लाख रुपये के अर्थदण्ड का दायी था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

(घ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से कर के रियायती दर पर किसी वस्तु का आयात निर्धारित प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रस्तुत करने पर कर सकता है कि ऐसी वस्तु उसके पंजीयन प्रमाण–पत्र में पुनर्विक्रयार्थ, माल के निर्माण हेतु या प्रसंस्करण में प्रयोग हेतु उल्लिखित है। अगर रियायती दर से राज्य के बाहर से क्रय किये हुए सामान का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये पंजीयन स्वीकृत किया गया था के अन्यथा करता है तो व्यापारी दण्डात्मक कार्यवाही का दायी है। कर निर्धारण अधिकारी, जैसा भी हो, ऐस सामान की बिक्री पर अधिनिमय की धारा 8 (2) के अन्तर्गत देय कर के डेढ़ गुने के बराबर उस पर दण्डात्मक कार्यवाही के बदले अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

व्यापार कर मण्डल, लखनऊ में यह संज्ञान में आया कि 2 व्यापारियों ने 4.54 लाख रुपये (कर की दर 15 प्रतिशत) के मूल्य के ट्रांसफार्मर एवं स्पंज आयरन 26.23 लाख रुपये (कर की दर 10 प्रतिशत) जो उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र से आच्छादित नहीं थे, का क्रय प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं के विरुद्ध किया। अतः वे 4.95 लाख रुपये के अर्थदण्ड के दायी थे,(ट्रांसफार्मर के मामले में 1.02 लाख रुपये एवं स्पंज आयरन के सम्बन्ध में 3.93 लाख रुपये)

2.2.13 ट्रांसपोर्टरों द्वारा अपवंचन

वर्ष 1984–85 से वर्ष 1995–96 के मध्य लापता ट्रासपोर्टरों द्वारा करापवंचन के फलस्वरूप 10.61 लाख रूपये की हानि।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 के अन्तर्गत जब राज्य के बाहर किसी स्थान से आने वाले और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाले वाहन राज्य से होकर गुजरे तब ऐसे वाहन का चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश करने के पश्चात पहली जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी से पारगमन पत्र (फार्म–34) निर्धारित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से अपने बहिर्गमन करने से पूर्व अन्तिम जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी को वही पारगमन पत्र सौंप देगा और ऐसा न करने पर यह उपधारण की जाएगी कि उसके

द्वारा ले जाया जाने वाला माल वाहनों के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है। व्यापार कर जांच चौकी और सचल दल मैनुअल के अनुसार पारगमन–पत्र में उल्लिखित वाहन के चालक एवं स्वामी के नाम एवं पूर्ण पते का सत्यापन चालक के लाइसेंस एवं गाड़ी के पंजीयन किताब से करना अपेक्षित है। आवश्यक सत्यापन के उपरान्त आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से पारगमन–पत्र को खारिज करने हेतु प्रवेश जांच चौकी पर प्रेषित किया जाता है। किसी कारणवश इसके सत्यापन न होने पर अपंजीकृत ट्रांसपोर्टरों के सन्दर्भ में कर निर्धारण आयुक्त द्वारा अधिकृत जाचं–चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे वादों में कर निर्धारण के पश्चात् राज्य के सम्बन्धित जिले के राजस्व अधिकारियों को ट्रान्सपोर्टरों से वसूली करने हेतु पारगमन पत्रों पर दिये गये पते पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

व्यापार कर के 11* मण्डलों में यह संज्ञान में आया कि ट्रान्सपोर्टरों द्वारा पारगमन पत्रों पर अपूर्ण एवं गलत नाम तथा पता अंकित करने और विभागीय स्तर पर उनका चालकों के लाइसेंस एवं वाहनों के पंजीयन किताब के सत्यापन न किये जाने के कारण 440 ट्रान्सपोर्टरों द्वारा उनके विरुद्ध वर्ष 1984–85 से 1995–96 तक के कर निर्धारण वर्षो में आरोपित 10.61 करोड़ रुपये के कर का अपवंचन किया गया क्योंकि वे लापता थे।

2.2.14 स्वीकृत कर पर ब्याज का कम आरोपण

ब्याज की त्रुटिपूर्ण दर आरोपित किये जाने से ब्याज का 7.92 करोड़ रुपये का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जो कर देनदार हैं को विनिर्धारित अन्तराल में अपने टर्न ओवर का विवरण पत्र प्रस्तुत करना होता है तथा विनिर्धारित समय के अन्दर देय कर की धनराशि जमा करनी होती है। अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय कर का देय तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है तो अदत्त धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होता है। स्वीकृति रूप से देय कर से अन्यथा कर पर अगर मांग पत्र में विनिश्चित अवधि के समाप्त होने के तीन माह तक अदत्त रह जाता है डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आकर्षित होता है। विनिर्धारित समय में न भुगतान किया गया कर भू–राजस्व के बकाए की तरह वसूली योग्य होता है।

व्यापार कर के 8** मण्डलों में यह संज्ञान में आया कि कर निर्धारण वर्ष 1986–87 से 1994–95 से सम्बन्धित 27 वादों में वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत करते समय 7.06 करोड़ रुपये के स्वीकृत कर पर ब्याज

* आगरा (2), इलाहाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर (2), लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद तथा वाराणसी

** आगरा, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी

2 प्रतिशत के स्थान पर 1–1/2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से आरोपित किया गया। स्वीकृत कर पर सही दर से ब्याज न आरोपित किये जाने के परिणामस्वरूप (अक्टूबर 1996 और मई 1997 के बीच) 7.92 करोड़ रुपये का कम ब्याज आरोपित हुआ।

2.2.15 अभिलेखों का रख–रखाव

(1) वाहन स्वामी/चालक की पंजी

पारगमन पत्र की निकासी न होने पर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध निर्धारित कर की वसूली को सुनिश्चित करने तथा बकाये को कम करने के उद्देश्य से, आयुक्त ने जांच चौकी पर वाहन स्वामी/चालक पंजी बनाये जाने के अनुदेश जारी किये थे (16 दिसम्बर 1992) जहां पर असत्यापित प्रपत्र 34 शेष थे। इस पंजी में वाहनों का पंजीकरण तथा चालकों के लाइसेंस की राज्यानुसार सूची, रखी जानी चाहिये तथा राज्य के सम्बन्धित जनपद के परिवहन विभाग से इसका त्रैमासिक सत्यापन कराया जाना एवं जहां पर वाहन स्वामी का पता और चालक का लाइसेंस फर्जी पाया जाये, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराया जाना चाहिये। नमूना जांच में यह पाया गया कि सभी 4* जांच चौकियों पर यह पंजी नहीं बनायी गयी।

(2) पंजी–5 रजिस्टर

व्यापार कर जांच चौकी एवं सचल दल मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सभी जांच चौकियों/सचल दल इकाइयों द्वारा विहित प्रारूप में पंजी–5 रजिस्टर बनाया जाना अपेक्षित है। इस रजिस्टर में वाहनों, ट्रान्सपोर्टरों, दैनिक जांच तथा भौतिक सत्यापन के परिणाम, पकड़े गये माल, जमानत की वसूली आदि का विवरण होता है।

10 * व्यापार कर मण्डलों की जांच चौकियों एवं सचल दल इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच पर पाया गया कि यह पंजी नियमित ढ़ंग से नहीं बनायी गयी। ऐसी स्थिति में वाहनों के भौतिक सत्यापन का पूर्ण विवरण नाम और मात्रा, व्यापारी परिवहन कर्ता चाहे पंजीकृत हो या अपंजीकृत आदि, के बहुत मामलों में सूचनाएं नहीं पायी गयीं।

---

* ट्रांसपोर्ट नगर (गाजियाबाद), नौवतपुर (वाराणसी), तमकुहीराज (पडरौना) एवं सोनौली (महराजगंज)

* आगरा, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद तथा वाराणसी

2.2.16 अन्य रुचिकर बिन्दु

(क) घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 'ख' में प्रावधान है कि मिथ्या अथवा गलत घोषणा प्रपत्रों को जारी करने की स्थिति में जिसके कारण वस्तु की खरीद अथवा बिक्री पर लगने वाला कर आरोपणीय नहीं रह जाता है, तो व्यापारी उस राशि के बराबर राशि का देनदार होगा, जो उसने कच्चे माल, पैकिंग मैटीरियल आदि की खरीद पर कर में छूट के रूप में बचाया हो। इसके अतिरिक्त ऐसी धनराशि पर जमा की तिथि तक, 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य होता है।

चार व्यापार कर मण्डलों में, यह संज्ञान में आया कि तीन व्यापारियों ने प्रपत्र 3 'ख' में घोषणा जारी करके कर मुक्त कच्चा माल मशीनरी खरीदा था जिसके लिये वे अधिकृत नहीं थे। अतः व्यापारी उनके द्वारा बचाये गये कर की छूट के बराबर 2.20 लाख रुपये के धनराशि के दायी थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की तिथि तक (सितम्बर से दिसम्बर 1996) 3.46 लाख रुपये का ब्याज भी प्रभार्य था। विवरण नीचे दिया गया है:–

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माल खरीद	खरीदे गये माल की कीमत	धनराशि	ब्याज	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नोयडा	1991–92	मशीनरी	65.75	0.82	1.02	1.84
2.	कानपुर	1984–85 29.1.85 से पूर्व	लोहा एवं इस्पात	11.42	0.46	1.32	1.78
3.	उक्त	1992–93	रबड़ उत्पाद	4.89	0.49	0.53	1.02
4.	वाराणसी	1988–89 से 1993–94	टिन शीट्स प्लेट्स	9.12	0.43	0.59	1.02
		योग		91.18	2.20	3.46	5.66

(ख) निर्यात पर अनियमित छूट

निर्यातित माल पर अनियमित छूट के फलस्वरूप 8.61 लाख रुपये के कर का अनरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा बनाये गये नियमों के अधीन, भारत के भू–भाग से बाहर निर्यात के दौरान खरीदे या बेचे गये माल पर कर देय नहीं होगा, यदि खरीद अथवा बिक्री या तो केवल ऐसे निर्यात के दौरान पर हुई हो, या माल के स्वामित्व के दस्तावेजों

के हस्तान्तरण द्वारा माल का भारत की सीमा के पार कर जाने के बाद प्रभावी हुई हो। ऐसे निर्यात के सम्बन्ध में समझौता या आदेश को पूरा करने के उद्देश्य से, उसी माल के निर्यात के अवसर पर पूर्व में की गयी खरीद अथवा बिक्री या बाद में की गयी खरीद अथवा बिक्री भी ऐसे निर्यात हेतु किसी माल की अंतिम खरीद बिक्री मानी जायेगी। इस उद्देश्य के लिये, उपान्तिम विक्रेता से अपेक्षित है कि निर्यात कर्ता द्वारा ऐसे माल के निर्यात के साक्ष्य के साथ–साथ विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र 'ज' में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

यह संज्ञान में आया कि 3 व्यापार कर मण्डलों में, वर्ष 1990–91 से 1992–93 (मई 1995 एवं फरवरी 1996 के मध्य कर निर्धारण) तक सैडलरी गुड्स, पोलीथीन बैग्स एवं फुट वियर की बिक्री 86.10 लाख रुपये पर भारत के भू–भाग बाहर से निर्यात को बिक्री मानकर गलत ढंग से कर मुक्ति प्रदान किया गया। यद्यपि लेनदेन से निर्यात के निर्धारित प्रमाणों से आच्छादित नहीं था। निर्यात को प्रपत्र 'ग' अथवा 'घ' से अनाच्छादित अन्तर्प्रान्तीय बिक्री मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार गलत ढंग से कर मुक्ति प्रदान करने के परिणामस्वरूप 8.61 लाख रुपये कर का अनारोपण हुआ।

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	निर्यात किया गया माल	कीमत	आरोपणीय कर	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	कानपुर	1990–91 1991–92	सैडलरी गुड्स	45.29	4.53	बिना बिल आफ लैंडिंग के निर्यात
2.	नोयडा	1991–92 1992–93	पालीथीन बैग्स	17.46	1.75	उक्त
3.	आगरा	1992–93	फुटवियर	23.35	2.33	निर्यात पूर्व बिक्री
	योग			**86.10**	**8.61**	

विभाग तथा शासन को सूचित किया गया (सितम्बर, 1997) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 1997)

F-140

2.3 ब्रांच ट्रांसफर/स्टाफ ट्रांसफर के माध्यम से करापवंचन

21.98 करोड़ की बनस्पति गाजियाबाद से दिल्ली हस्तांतरण के दौरान प्रधान अभिकर्ता द्वारा 1.01 करोड़ रुपये का कम आगणन

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में यह प्रावधान किया गया है, कि जहाँ व्यापारी या निर्माता माल के स्टाक /ब्रांच ट्रांसफर पर छूट प्राप्त करने कर दावा करता है, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व ट्रांसफर करने वाले पर होगा

कि ये स्टाक ट्रांसफर है न कि अन्तर्राज्यीय बिक्री कर से छूट प्राप्त करने के लिये व्यापारी को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नियत समय में प्रपत्र 'एफ' प्रेषित करना होगा, जो पूर्ण रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित हो एवं जिसमें निर्धारित फार्म में समस्त विवरण हो तथा माल प्रेषण का (साक्ष्य भी हो) ।

आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 1986 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय* का उल्लेख करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि यदि ब्रांच ट्रांसफर/स्टाफ ट्रांसफर/के साक्ष्य में प्रपत्र 'एफ' नहीं दिया गया है तो ऐसे सम्व्यवहारों को व्यापारी की केन्द्रीय बिक्री मानी जायेगी।

उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के बीच अगस्त–सितम्बर 1996 के मध्य स्टाफ ट्रांसफर/ब्रांच ट्रांसफर से सम्बन्धित एक लेखा परीक्षा अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान गाजियाबाद की एक कम्पनी के मामले में यह परीक्षण किया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा अपने वनस्पति का स्टाक जिसकी कीमत 21.90 करोड़ रुपये थी, अपने प्रिंसपल एजेंट को वर्ष 1992–93 में स्थानान्तरित किया गया। इस सम्बन्ध में दिल्ली के एजेंट के लेखों का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इनके लेखों में वनस्पति का 1.01 करोड़ रुपये का स्टाक कम दर्ज किया गया था। मामला व्यापार कर विभाग उत्तर प्रदेश और दिल्ली को प्रतिवेदित कर दिया गया है। (सितम्बर 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

जांच में आगे देखा गया कि गाजियाबाद की एक कम्पनी के प्रिंसपल एजेंट द्वारा दिल्ली में 20.86 करोड़ रुपये का प्रपत्र 'एफ' जमा किया गया था जब कि उक्त फर्म के कन्साइन्मेंट विवरण के अनुसार 21.08 करोड़ का माल स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार से 22 लाख रुपये के माल को लेखे में कम अंकन किया गया। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर गाजियाबाद के व्यापार कर अधिकारियों ने यह बताया कि 21.08 करोड़ रुपया माल की एक अनुमानित कीमत हो सकती है अथवा इस पर "ट्रांजिट लास" भी शामिल हो सकता है। उनका उत्तर इस आधार पर अमान्य है, कि कम्पनी के इक्साइज रिकार्ड यह प्रदर्शित करते है कि रु. 21.08 करोड़ पर इक्साइज ड्यूटी का भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में "ट्रांजिट लास" की किसी संभावना से इन्कार किया जा सकता है क्योंकि भेजने वाले व्यापारी द्वारा किसी प्रकार के बीमा क्लेम, हेतु कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराने के साक्ष्य नहीं दिखाये गये हैं।

मामला व्यापार कर विभाग को प्रतिवेदित किया गया है (सितम्बर 1996) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1997)।

* मेसर्स साहनी स्टील्स एवं प्रेस वर्क लि. बी. एस. कामर्शियल टैक्स आफिसर, एस.टी.सी. 60 पेज 301, 1985

जांच में यह भी तथ्य प्रकाशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के व्यापार कर के करों की दरों में बहुत बड़ी विभिन्नता है और इसके कारण करावंचन की निश्चित संभावना भी बनी हुई है। टाक ट्रांसफर के मामले में अकेले उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मामले में जांच करने पर जब एक करोड़ की विसंगति देखी जा सकती है तो इसका आशय यह है कि इस प्रकार के करापवंचन की संभावना बड़े पैमाने पर भी होने से इंकार नहीं की जा सकती। यह संभावना इसलिये की जा रही है कि यह कम्पनी पूरे देश में इस प्रकार के स्टाक ट्रांसफर का कार्य कर रही है। यद्यपि व्यापार कर आयुक्त के परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 1986 में इस प्रकार के निर्देश है तथापि उनके परिपालन में व्यापार कर विभाग उत्तर प्रदेश और दिल्ली इस प्रकार की अनियमितता को पकड़ पाने में असफल रही है।

2.4 माल के गलत वर्गीकरण से कर का अनारोपण/कम आरोपण

माल का सही वर्गीकरण न करने के फलस्वरूप 24.25 लाख रूपये का कम करारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दर से कर का अरोपण किया जाता है। ऐसे माल की बिक्री पर जिन्हें अन्यथा वर्गीकृत न किया गया हो, 7 सितम्बर, 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। 1 नवम्बर, 1985 तथा 1 अगस्त, 1990 से क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

9 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा–परीक्षा (दिसम्बर, 1994 और जनवरी, 1997 के मध्य) में यह पाया गया कि माल के गलत वर्गीकरण से कर की दर का आरोपण त्रुटिपूर्ण रहा, जिसके फलस्वरूप रु. 24.25 लाख का कर कम आरोपित किया गया। विवरण निम्न तालिकानुसार है :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपित कर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	सहायक आयुक्त (क.नि.)–4 व्यापार कर लखनऊ	1990–91	अधेसिव प्लास्टर	34.80	10	7.5	0.87
2.	सहायक आयुक्त (क0नि0) 13 व्यापार कर कानपुर	1991–92 तथा 1992–93	चिविंगगम	39.54	10	6.25	1.48

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपित कर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
3.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–2 व्यापार कर मेरठ	1991–92 तथा 1992–93	इलास्टिक यार्न	87.92	10	2.5	6.59
4	सहायक आयुक्त (क.नि.)–2 व्यापार कर–अलीगढ़	1991–92	फेब्रिकेटेड गुड्स	159.57	10	4.4	9.57
5.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 बरेली.	1989–90	वर्न्ट कापर वायर	1.31	8.8	2.2	0.75
6.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड 1–वाराणसी	1990–91	नाइलान मोना फिलामेंट यार्न	22.55	8.8	2.2	1.61
7.	तदैव	1992–93	तदैव	7.39	10	2.5	0.55
8.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड 2– वाराणसी.	1989–90	अनस्वेटेड आटो रेडियेटर	8.43	8.8	2.2	0.56
9.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड 6–वाराणसी	1992–93	परफ्यूमरी	18.17	15	2.5	2.27
		योग		**389.68**			**24.25**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा क्रम संख्या 1, 5 तथा 7 पर अंकित मामलों में कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित करते हुए रु. 2.18 लाख कर आरोपित कर दिया गया है।

मामले शासन को (दिसम्बर 1995 और अप्रैल 1997 के मध्य) सूचित कर दिये गये हैं, उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

2.5 गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

(अ) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत

त्रुटिपूर्ण कर की दर लगाने से कर 1.39 करोड़ रुपये कम लगाया गया।

23 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा में यह देखा (मार्च 1995 और अगस्त 1996 के मध्य) गया कि कर का आरोपण गलत दर पर किया गया। इसके फलस्वरूप रु. 138.59 लाख का कर कम आरोपित किया गया। विवरण निम्न तालिकानुसार है :

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपित कर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–2 व्यापार कर–झांसी	1990–91	नान फेरस मेटल स्क्रैप	42.59	5	2.5	1.06
2.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–3 व्यापार कर मुजफ्फरनगर	1990–91 और 1991–92	कापर स्क्रैप	115.73	5	2.5	2.89
3.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–8 व्यापार कर गाजियाबाद	1992–93 और 1993–94	हार्ड बोर्ड	29.25	12.5	7.5	1.46
4.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 खण्ड–6 वाराणसी	1990–91	इलेक्ट्रानिक गुड्स	12.00	13.2 (जुलाई 1990 तक) 15.00 (जुलाई 1990 के बाद)	8.8 13.2	0.58
5.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–3 व्यापार कर वाराणसी	1991–92	सुपर इनामेल्ड कापर वायर	67.08	15	10	3.35
6.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–3 व्यापार कर–वाराणसी	1994–95	गेहूं	195.50	4	2	3.91

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपित कर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
7.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–21, कानपुर	1990–91	गिट्टी सीमेन्ट	20.00 30.00	7.5 12.5	5 10	1.25
8.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–1 व्यापार कर– कानपुर	1990–91 और 1991–92	इलेक्ट्रिकल गुड्स	312.11	12	4	34.18
9.	सहायक आयुक्त क.नि. व्यापार कर–फैजाबाद	1991–92	बर्न्ट कापर वायर, ओल्ड कोर स्टैंपिंग	17.93 6.29	10	5 4	1.27
10.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–1 व्यापार कर –नोयडा (गाजियाबाद)	1990–91	टेलीवीजन कम्पोनेन्ट्स	300.00	13.2 (जुलाई 1990 तक) 15.00 (जुलाई 1990 के बाद)	11 12.5	6.96
11.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–5 लखनऊ	1992–93 से 1994–95	आडियो कैसेट	32.57	8 (अप्रैल 1992 से) 4 (अक्तूबर 1994 से)	4 2	1.43
12.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 मुजफ्फरनगर	1992–93	कम्पूटर्स	14.25	15	7.5	1.07
13.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–8–कानपुर	1988–89	आइरन एवं स्टील	20.00	8	4	0.80
14.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–17 कानपुर	1987–88	स्टील फर्नीचर	300.00	13.2	12	3.60
15.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–10 आगरा	1990–91 और 1991–92	वनस्पति	100.00 180.00 300.00	11 12.5 12.5	8.8 10 10	2.20 4.50 7.50
16.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–13–आगरा	1990–91 तदैव 1991–92	आयल तदैव तदैव	235.00 465.00 200.00	5.5 6.25 6.25	4.4 5 5	2.58 5.81 25.02

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपित कर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
17.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 नोयडा	1986–87	कलर टेलीविजन	260.00	13.2	12	3.12
18.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 नोयडा	1992–93	आटो पार्ट्स	168.00	12.5	10	4.20
19.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 नोयडा	1990–91	मोटर–साइकिल आटो पार्ट्स	418.00	12.5	11	6.27
20.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–9 वाराणसी	1991–92	इलेक्ट्रिकल गुड्स	169.34	15	10	8.47
21.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4 वाराणसी	1991–92	सीमेंट	25.00	12.5	10	0.63
22.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–10 लखनऊ	1991–92	आयल	70.00	6.25	5	0.88
23.	तदैव	1991–92 1992–93	सीमेंट	240.0	12.5	11	3.60
	योग						138.59

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा क्रम संख्या 1, 2, 4, 7, 8, 10 एवं 11 में अंकित मामले पुनरीक्षित करके रु. 46.08 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है, जिसमें से रु. 6.32 लाख की वसूली कर ली गयी है

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1995 एवं अप्रैल 1997 के मध्य), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 1996)।

ब केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, निर्धारित घोषणा प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' से असमर्थित वस्तुओं की बिक्री पर 10 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से अथवा उस राज्य के अन्दर उस वस्तु के क्रय अथवा बिक्रय पर लागू दर से, जो भी अधिक हो, आरोपणीय है।

F-84

(i) जनवरी, 1997 में व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1, वाराणसी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि व्यापारी ने वर्ष 1992–93 में "नाइलान मोना फिलामेंट यार्न" की रु. 6.41 लाख की बिक्री बिना प्रपत्र 'सी' से अच्छादित करते हुए किया। इस बिक्री पर 2.5 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से "यार्न" प्रतिपादित करते हुए कर आरोपित किया गया जबकि इस बिक्री पर सही कर की दर 10 प्रतिशत होनी चाहिए थी। इसके फलस्वरूप रु. 51.280 का कम कर आरोपित किया गया।

मामला शासन को तथा विभाग को (अप्रैल, 1997) में प्रतिवेदित कर दिया गया है, उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर, 1997)।

F-85

(ii) इसी खण्ड में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1993–94 और 1994–95 में "कार्बन ब्लैक" की रु. 29.75 लाख की बिक्री बिना प्रपत्र 'सी' से समर्थित की गयी। इस बिक्री पर सही कर की दर 10 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप रु. 1.78 लाख का कर कम आरोपित किया गया।

मामला विभाग तथा शासन को (अप्रैल 1997 प्रतिवेदित किया गया है), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हैं (अक्टूबर 1997)।

F-32

2.6 अनियमित मान्यता प्रमाण–पत्र जारी करने से राजस्व की हानि

कच्चे माल के क्रय करने हेतु अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के फलस्वरूप 34.76 लाख रुपये की राजस्व–हानि

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 29 अगस्त, 1987 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 'ख' के अन्तर्गत, कुछ शर्तों के अधीन विज्ञापित मालों के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीद में निर्माताओं को कर में विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। विज्ञापित मालों में से भिन्न वस्तुओं के निर्माण की दशा में मान्यता प्रमाण–पत्र धारक निर्माता कच्चा माल रिआयती दर से ही खरीद सकता है।

जुलाई 1993 और जुलाई 1996 के मध्य 11 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि व्यापारियों द्वारा विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल की खरीद पर रियायती दर की सुविधा अनुमन्य है। विभाग द्वारा ऐसे निर्माण–व्यापारियों को कच्चे माल की खरीद पर पूर्ण कर मुक्ति का लाभ देते हुए मान्यता प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया जिसके फलस्वरूप रु. 34.76 लाख की हानि उठानी पड़ी। विवरण अगले पृष्ठ पर (तालिकानुसार) है:

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्मित आइटम हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र	पूर्ण कर मुक्त	माल का मूल्य	राजस्व क्षति
1	सहायक आयुक्त (क.नि.)–1 व्यापार कर, सहारनपुर	1990–91 और 1991–92	शूटेक	सी.आर.शीट	20.54	1.03
2.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–3 व्यापार कर, नोयडा, गाजियाबाद	1990–91 और 1992–93	मेटल फिनिशिंग केमिकल	केमिकल एव कास्टिंग सोडा	402.45	20.11
3.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–1, सहारनपुर	1986–87 और 1987–88	इनैमेल और बीयर	फेब्रिकेटेड आइरन बेयर	16.87	1.48
4.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–12 व्यापार कर, कानपुर	1992–93 और 1993–94	रोलिंग और मैटीरियल	मोविल आयल फर्नेश आयल लाइट डीजल आयल	18.13	0.91
5.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–10 लखनऊ	1988–89 और 1989–90	दरवाजा और खिड़की	उड हिन्जेस	18.01	0.79
6.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–3 व्यापार कर, सहारनपुर	1991–92 और 1992–93	ट्रांसमिशन रबड़ और वेल्टिंग	रा रबड़	33.27	1.66
7.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–2 व्यापार कर, सहारनपुर	1991.92 से 1993.94	रबड़ बेल्टिंग	काटन कैनवस कन्स्यूमेबल स्टोर्स एवं फ्यूल	25.38	1.27

(रुपये लाख में)

	क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्मित आइटम हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र	पूर्ण कर मुक्त	माल का मूल्य	राजस्व क्षति
F-112	8.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–7 इलाहाबाद	1989–90 से 1993–94	सिल्वर्ड ग्लास	केमिकल,रिजेक्टेड शीट, ग्लास और सिल्वर नाइट्रेट	53.73	2.66
F-121	9.	सहायक आयुक्त (क.नि.) व्यापार कर, फैजाबाद	1992–93	पेपर	केमिकल, रेजिन वेस्ट पेपर और हैसियन	29.61	2.62
F-136	10.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–10 व्यापार कर, आगरा	1989–90 और 1990–91	रबर शीट एण्ड रबर प्रोडक्ट, पी.बी.सी. शीट एण्ड पी.वी.सी. प्रोडक्ट, पी.वी.सी. कपलिंग एवं पी.वी.सी.शोल	पी.बी.सी.सीट वेल्ट, बनवर पी.बी.सी. शोल	16.31	0.77
F-137	11.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–10 व्यापार कर,	1990–91 आगरा	रबर गुड्स	रा,रबर,केमिकल कारवन, रेजडियू आयल, कैल्शियम, चाइना क्ले, लुब्रीकैंट आयल, रेड आक्साइड आदि	29.12	1.46
		योग					**34.76**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने क्रम संख्या 3 तथा 5 पर अंकित मामलों में रु. 2.30 लाख की मांग सृजित कर दी है।

मामले को शासन को सूचित कर दिया गये हैं, (दिसम्बर 1994 और जनवरी 1997 के मध्य), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (अक्टूबर 1997)।

2.7 अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना

अ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत

(1) कच्चे माल के दुरुपयोग पर

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 सपठित शासकीय अधिसूचनायें दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 तथा 29 अगस्त, 1987 में निहित कुछ शर्तों को पूरा करने पर, कुछ विज्ञापित मालों के निर्माण में प्रयोग करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल के क्रय पर निर्माताओं को कर में विशेष राहत प्रदान करने का प्रावधान है। यदि कच्चे माल का प्रयोग, मान्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित वस्तुओं के निर्माण में न करके किसी अन्य वस्तु के निर्माण में किया जाता है, अथवा उसका निस्तारण किसी अन्य प्रकार से किया जाता है, तो व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा, जो उसके द्वारा कर में प्राप्त राहत की राशि से कम न होगी परन्तु उस राशि के तीन गुने से अधिक भी न होगी।

7 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया है (अगस्त 1994 और अगस्त 1996 के मध्य) कि मान्यता प्रमाण–पत्र धारक निर्माताओं ने पूर्ण कर मुक्त/रिआयती दर का लाभ लेकर विज्ञापित माल के निर्माणार्थ कच्चे माल का क्रय करके उसका प्रयोग अन्यथा उद्देश्यों में कर लिया जिसके फलस्वरूप ऐसे निर्माता व्यापारी रु. 24.11 लाख के अर्थदण्ड के दायी थे। विवरण निम्न (तालिकानुसार) है:

(रुपये लाख में)

क्रम सं. कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्माणार्थ वस्तु हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र	क्रय किया गया कच्चा माल	पूर्णकर मुक्त/ रियायती	माल का मूल्य	माल का अन्यथा प्रयोग/ बिक्री	अर्थदण्ड आरोपणीय
1. व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–3 गाजियाबाद	1990–91	बेल्डिंग एलोक्ट्रोड	वायर राड	पूर्णकर मुक्ति	37.69	उसी दशा में विक्रीत	4.52
2. व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–3 मुजफ्फरनगर	1991–92 से 1993–94	आइरन एण्ड स्टील	कास्ट आइरन स्क्रैप	तदैव	22.18	मशीनरी पार्ट और सेंट्रीफ्यूगल पम्प के निर्माण में प्रयोग	0.89

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्माणार्थ वस्तु हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र	क्रय किया गया कच्चा माल	पूर्णकर मुक्त/ रियायती	माल का मूल्य	माल का अन्यथा प्रयोग/ बिक्री	अर्थदण्ड आरोपणीय
3.	सहायक आयुक्त (क.नि.) व्यापार कर फिरोजाबाद	1988–89 और 1989–90	ग्लास एण्ड बैंगिल	ग्लास शीट	पूर्ण कर मुक्त	11.44	साइंटिफिक आपरेटस के निर्माण में प्रयोग	0.76
4.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–11 व्यापार कर, कानपुर	1992–93	रबड़ और रबड प्रोडक्ट	रा रबर	तदैव	28.16	माइक्रो सेलुलर शीट के निर्माण में में प्रयुक्त	1.41
5.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–2	1994–85 से 1989–90	वायर	आइरन एण्ड स्टील	तदैव	248.64	उसी दशा मे बिक्रीत	9.95
6.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1, बाराबंकी	1991–92 और 1992–93	ट्रांसफारमर	अल्मुनियम वायर वार्निश इत्यादि	रियायतीदर	17.49	ट्रांसफारमर के मरम्मत में प्रयुक्त	1.32
7.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–2 व्यापार कर, अलीगढ़	1991–92	आइरन एण्ड स्टील	आइरन एण्ड स्टील	पूर्ण कर मुक्ति	131.54	फेब्रिकेटेड गुड्स के निर्माण में प्रयुक्त	5.26
	योग					**497.14**		**24.11**

लेखा परीक्षा द्वारा इस तथ्य के इंगित किये जाने पर विभाग क्रम संख्या 1 तथा 3 पर अंकित मामलों में रु. 3.42 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया है।

शासन को ऐसे मामले प्रतिवेदित किये जा चुके हैं (नवम्बर 1994 और जनवरी 1997 के मध्य), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1997)।

(2) टर्न ओवर छिपाने के फलस्वरूप

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यदि किसी कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण के दौरान यह विश्वास हो जाता है कि व्यापारी ने अपने विक्रय धन के ब्योरे को छिपाया है अथवा जान बूझकर ऐसे बिक्रय धन का गलत ब्योरा दिया है, तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में कम से कम ऐसे अपवंचित कर यदि छिपाये गये आवर्तन का पता न चलता, का 50 प्रतिशत किन्तु कर के डेढ़ गुने से अधिक नहीं हो, भुगतान करेगा।

(अ) व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 फैजाबाद के अंतर्गत लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1993 में) कि एक व्यापारी ने अपने कर योग्य टर्न ओवर रु. 37.80 लाख वर्ष 1987–88 में छिपा लिया। इस छिपाये गये टर्न ओवर पर रु. 1.51 लाख का कर तो आरोपित कर दिया गया परन्तु तद्नुसार रु. 75600 का अर्थदण्ड नहीं आरोपित किया गया।

सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 1993) विभाग ने रु. 75,600 का अर्थदण्ड (फरवरी 1994) आरोपित कर दिया, वसूली की स्थित अप्राप्त है (अक्टूबर 1997)।

मामला शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया है (जून 1993) उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 97)।

वर्ष 1988–89 से वर्ष 1989–90 के मध्य 8.14 करोड़ रुपये के गुड़ तथा खाद्यान्न का क्रय/विक्रय छिपाने के फलस्वरूप 38.28 लाख रुपये के कर का अनारोपण

(ब) सहायक आयुक्त (क.नि.) व्यापार कर, गुलावटी (बुलन्दशहर) की लेखा परीक्षा के दौरान (सितम्बर 1994) यह देखा गया कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1988–89 और 1989–90 में गुड़ तथा अनाज का क्रमशः 312 लाख तथा 502 लाख टर्न ओवर छिपा लिया। इस छिपाये गये टर्न ओवर पर रु. 29.38 लाख तथा रु. 46.99 लाख क्रमशः कर आरोपित कर दिया गया। इस छिपाये गये टर्न ओवर पर व्यापारी पर क्रमशः रु. 14.69 लाख तथा रु. 23.50 लाख का कम से कम अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (फरवरी 1995) विभाग द्वारा रु. 153.40 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (जनवरी 1996)। वसूली की स्थिति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मामला शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया है (फरवरी 1995), उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1997)।

(3) विवरणी विलम्ब से जमा करने के फलस्वरूप

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने अपने क्रय विक्रय धन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा नियत समय के भीतर और निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के अपेक्षानुसार विवरण–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या विवरण पत्र के साथ देय कर जमा नहीं किया है, तो वह देयकर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और पचास प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो, अर्थदण्ड का दायी होगा।

व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–2, बलिया के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1994) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1989–90 के दौरान चार माहों में नतो नियत समय के भीतर अपने क्रय विक्रय धन का विवरण प्रस्तुत किया और न ही देय कर जमा किया। इस प्रकार व्यापारी 76040 रुपये के अर्थदण्ड का दायी था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभान ने 76040 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (नवम्बर 1994) वसूली की सूचना प्राप्त नही हुई है (अक्टूबर 1997)।

(ब) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत

(1) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी, कोई सामान मिथ्या रूप से निरूपित करते हुए कि ऐसा सामान उसके पंजीयन प्रमाण–पत्र से आवृत्त है, प्रपत्र 'सी' में घोषणा–पत्र के आधार पर कर की रिआयती दर पर राज्य के बाहर से क्रय करता है तो वह अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा, जो ऐसे सामान के बिक्रय पर आरोपणीय कर की धनराशि के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी।

केन्द्रीय बिक्री पर अधिनियम के अंतर्गत अनधिकृत खरीद पर 21.03 लाख रुपये के अर्थदण्ड का अनारोपण

12 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा (जुलाई 1992 तथा अक्टूबर 1995) गया कि व्यापारियों ने प्रपत्र 'सी' के माध्यम से ऐसे सामानों का क्रय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र

में उल्लिखित नहीं थे। ऐसे क्रय किये गये सामानों का मूल्य रु. 132.48 लाख है। इस अनधिकृत खरीद पर व्यापारी रु. 21.03 लाख के अर्थदण्ड के दायी रहे। विवरण निम्न (तालिकानुसार) है:–

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रय किया गया माल	माल की कीमत	अर्थदण्ड आरोपणीय
1.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–1, व्यापार कर, गाजियाबाद	1983–84 से 1987–88	वायर सपोर्टिफ्रेम केमिकल, इलेक्ट्रिकल गुड्स	5.82	0.95
2.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–II, खण्ड–6, वाराणसी	1990–91	इलेक्ट्रिक स्टार्टस, इलेक्ट्रिक मोटर, इंजन, प्रोजेक्टर स्प्रिंग एवं मशीनरी	5.81	1.15
3	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–I खण्ड–2, पीलीभीत	1988–89	डीजल जनरेंटिंग सेट	7.98	1.58
4.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–1, व्यापार कर, आगरा	1989–90	कोपरा (आयल सीड़)	9.01	1.08
5.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–I, खण्ड–7, इलाहाबाद	1990–91	प्लास्टिक पाउडर प्लास्टिक ग्रेनूल तथा स्टैविलाइजर	15.50	2.33
6.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–4, मुजफ्फरनगर	1992–93 और 1993–94	आइरन सर्किल और आइरन कमानी	40.68	5.44
7.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–2 व्यापार कर, वाराणसी	1990–91	स्पोर्ट गुड्स तथा रिफ्रैक्टरी मैटीरियल	18.22	2.80

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रय किया गया माल	माल की कीमत	अर्थदण्ड आरोपणीय
8.	तदैव	1991–92	ट्रांसफारमर लैमिनेशन	15.14	3.40
9.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–3 वाराणसी	1987–88	केमिकल तथा पाली प्रापीलीन	4.21	0.63
10.	व्यापार कर अधिकारी मोदीनगर, गाजियाबाद	1988–89	जनरेटर तथा अल्टरनेटर	2.62	0.52
11.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–1 इलाहाबाद	1988–89	फिनाल फाइवर फिनाल फाइवर शीट पालीएस्टर फिल्म्स	4.15	0.62
12.	सहायक आयुक्त (क.नि.)–3, व्यापार कर, नोयडा (गाजियाबाद)	1988–89	स्प्रे कलर	3.54	0.53
	योग			**132.68**	**21.03**

लेखा परीक्षा में इस बिन्दु को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि सभी मामलों में रु. 19.37 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है, जिसमें से रु. 3.50 लाख की वसूली भी हो गयी है।

मामले शासन को प्रतिवेदित कर दिये गये हैं (दिसम्बर 1992 और मई 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

2.8 अनियमित छूट

(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 क क क तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी जो उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर कर योग्य वस्तुओं को कर मुक्त खरीदना चाहता है, उसे एक घोषणा प्रपत्र–3 क में विक्रेता व्यापारी को प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा न करने पर विक्रेता व्यापारी को उन वस्तुओं की बिक्री पर कर देना होगा। टूटा हुआ शीशा एक वर्गीकृत वस्तु है और इस पर 31 मार्च, 1992 तक 8 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल, 1992 से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय हैं। इसके अतिरिक्त 1 नवम्बर, 1985 से तथा 1 अगस्त, 1990 से क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी देय है।

व्यापार कर अधिकारी, मोदीनगर (गाजियाबाद) के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1994) कि एक व्यापारी ने अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किये गये 53.36 लाख रुपये मूल्य के ब्रोकन ग्लास की बिक्री वर्ष 1990–91 से 1992–93 के दौरान की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्रोकन ग्लास को अवर्गीकृत मानते हुए इस बिक्री को कर मुक्त कर दिया गया। चूंकि यह बिक्री घोषणा प्रपत्र 3क से समर्थित नहीं थी अतएव विक्रेता व्यापारी 4.10 लाख रुपये का कर का दायी है।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1994), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-64 (2) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, सपठित शासन की विज्ञप्ति दिनांक 13 सितम्बर, 1990 के अन्तर्गत, निर्धारित घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित अनाज की अन्तर्राज्यीय बिक्री करमुक्त है बशर्ते इन जिन्सों पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कर अदा कर दिया गया हो।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 मथुरा के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1995) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1990–91 से 1992–93 की अवधि में घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित 40.26 लाख रुपये की पर्ल बार्ली (बार्ली से निर्मित) की अन्तर्राज्यीय बिक्री किया। चूंकि पर्ल बाली अनाज की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अनाज में सम्मिलित मानते हुए करमुक्ति प्रदान कर दी। इसके फलस्वरूप 1.61 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ।

यह मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-52 (3) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत यदि कोई वस्तु राज्य के बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत कर मुक्त होती है तो इस वस्तु की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर भी कर मुक्ति अनुमन्य होगी। परिशोधित स्पिरिट तथा विकृत स्पिरिट जो पूर्व में यू0पी0 सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेसन एक्ट, 1939, के अन्तर्गत कर योग्य थी, परन्तु उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948 के अन्तर्गत कर मुक्त थी, उन्हें 1 अप्रैल, 1978 से पूर्वगामी प्रभाव से इस

अधिनियम के अन्तर्गत ले आया गया है और इस प्रकार इन वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर कोई कर मुक्ति अनुमन्य न होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)–3 व्यापार कर मेरठ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1994) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1989–90 के दौरान घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरुद्ध 18.17 लाख रुपये की परिशोधित स्पिरिट तथा विकृत स्पिरिट की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री किया। इस बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। तथापि, कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी को कर के भुगतान से इस आधार पर छूट दे दिया कि उक्त वस्तुएं उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत सामान्यतया कर मुक्त है। इसके फलस्वरूप 72,697 रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1995), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-120

2.9 कर निर्धारण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व–क्षति

कर निर्धारण में असाधारण विलम्ब के फलस्वरूप 26.24 लाख रुपये की राजस्व–क्षति

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत, भारत में बनी विदेशी मदिरा की बिक्री पर 7 सितम्बर, 1981 से 26 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर, 1985 तक 5 प्रतिशत की दर से तथा 1 नवम्बर, 1985 से 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

व्यापार कर अधिकारी, श्रेणी 1, खण्ड–4 मेरठ, की कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1993) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1985–86 की अवधि में बियर सहित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री 229.16 लाख रुपये घोषित की। कर निर्धारण अधिकारी ने इस वाद के कालातीत होने के ठीक एक सप्ताह पूर्व कर निर्धारण किया और उसकी बिक्री 252.00 लाख रुपये निर्धारित किया तथा 70.60 लाख रुपये कर आरोपित किया। लेखा परीक्षा में जांच करने पर यह पाया गया कि उस व्यापारी की वास्तविक बिक्री 346.45 लाख रुपये की थी तथा 94.45 लाख रुपये की बिक्री कर निर्धारण से छूट गयी जिसके फलस्वरूप 26.21 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को संशोधित कर दिया तथा 26.24 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (मार्च 1994)। व्यापारी ने

अपील दायर की और अपीलीय अधिकारी ने संशोधित कर निर्धारण आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह मामला कालातीत हो गया था। इस प्रकार इस वाद के कर निर्धारण में असाधारण विलम्ब के कारण शासन को 26.24 लाख रुपये की राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

यह मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 1993), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

2.10 कर गणना में त्रुटियां

व्यापार कर कार्यालय (गाजियाबाद एवं बरेली) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि माल का वर्गीकरण तो सही था लेकिन कर गणना में त्रुटि हो गयी जिसके फलस्वरूप 1.63 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (जुलाई 1995 और जुलाई 1996) विभाग ने त्रुटि को सुधारते हुए 1.63 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी है। वसूली की सूचना नहीं प्राप्त हो पायी।

मामला शासन को प्रतिवेदित कर दिये गये हैं (सितम्बर 1996 और दिसम्बर 1996), जिनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1997)।

2.11 अतिरिक्त कर का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत, 1 अगस्त, 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है। अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के मामले में राज्य अधिनियम के अन्तर्गत कर के रूप में जो कुछ भी देय होता है वही केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भी देय होगा।

(1) व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–1 मुगलसराय (वाराणसी) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1996) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1991–92 के दौरान 42.07 लाख रुपये का पका हुआ भोजन, बिस्कुट तथा केक की बिक्री की। इन बिक्रियों पर 6.25 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की सही दर के बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। देय कर पर इसके फलस्वरूप 52,715 रुपये अतिरिक्त कर नहीं आरोपित हुआ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने कर निर्धारण आदेश को संशोधित करते हुए 52,715 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी है। वसूली की सूचना अभी तक प्राप्त नही हैं (अक्टूबर 1997)।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया है (दिसम्बर 1996)। उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 1997)।

(2) सहायक आयुक्त (क.नि.)–4 व्यापार कर लखनऊ के लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1996) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1992–93 में 132.72 लाख रुपये का राइस ब्रान आयल की अन्तर्राज्यीय बिक्री की। इस बिक्री पर मात्र 2.5 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) के बजाय 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। अतिरिक्त कर के अनारोपण के कारण 66,360 रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

लेखा परीक्षा में (त्रुटि के) इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1996) कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को संशोधित करके 66,360 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी, इसमें से 53,639 रुपये की वसूली की जा चुकी है।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1997), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1997)।

2.12 अनियमित पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से राजस्व हानि

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 'ए' के अन्तर्गत कुछ शर्तों के पूरा किये जाने पर, पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयों को निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर निर्धारित अवधि तक व्यापार कर से छूट का प्रावधान है। शासकीय अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 1991 के अनुसार मिठाई, नमकीन, रेवडी, गजक तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को बनाने वाली इकाइयां तथा भोजनालय जो अप्रैल 1990 अथवा उसके बाद स्थापित हुए हैं, कर से छूट अथवा कर की दर में कमी की हकदार नहीं हैं।

व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–1, खण्ड–5 सहारनपुर के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1996) कि एक इकाई को 10 फरवरी, 1992 से टाफी तथा स्वीट कैंड़ी के निर्माण हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया। इस इकाई ने वर्ष 1991–92 से 1993–94 के दौरान 1.46 लाख रुपये की कर से छूट का लाभ लिया। चूंकि टाफी तथा कैंडी मिठाई तथा "स्वीट मीट तथा नमकीन" के प्रवृष्टि के अन्तर्गत वर्गीकृत है अतः पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जाना अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप 1.46 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई।

यह मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)

E 27

2.13 ब्याज का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यापारी से अपेक्षित है कि वह निर्धारित कालान्तरों में अपने व्यापार के परिलेख प्रस्तुत करे तथा निर्धारित समय के भीतर देय कर की धनराशि जमा करे। किसी व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर यदि नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता तो भुगतान की गयी धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आकर्षित होता है।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3, देहरादून की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 1996) कि 11.70 लाख रुपये का कर 13 से 49 महीने के विलम्ब से जमा किया गया। इसलिये कर के विलम्ब से भुगतान के लिये 7.23 लाख रुपये का ब्याज आरोपणीय था जो आरोपित/वसूल नहीं किया गया।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (अक्टूबर 1997)।

2.14 टर्न ओवर का छिपाया जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 'च' के अन्तर्गत टर्न ओवर पर, किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण या किसी सकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व के अन्तरण पर कर देय है। शासन की विज्ञप्ति दिनांक 27/4/87 के अन्तर्गत वातानुकूलित ''संयत्र'' के टर्न ओवर से सम्बन्धित, उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर 1 मई, 1987 से 4 प्रतिशत की दर से कर देय है। इसके अलावा 1 नवम्बर, 1985 तथा 1 अगस्त, 1990 से क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत् की दर से अतिरिक्त कर भी देय है।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड–5 वाराणसी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक व्यापारी ने वर्ष 1989–90 से 1991–92 की अवधि में वातानुकूलित संयंत्र से सम्बन्धित हायर चार्जेज के रूप में प्राप्त 21.71 लाख रुपये के अपने टर्न ओवर के विवरण में घोषित नहीं किया (जबकि इसे लेखा–बही में दिखाया गया है) और यह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण से छूट गया (मार्च 1995 एवं फरवरी 1996) परिणामस्वरुप 1.02 लाख रुपये की धनराशि का कर अवनिर्धारण हुआ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया है (सितम्बर 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 1997)।

अध्याय 3

राज्य आबकारी

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	65
3.2	पोस्त तृण का उत्पादन, संग्रहण लेखाकरण एवं किक्रय	66
3.2.1	प्रस्तावना	66
3.2.2	विधान	66
3.2.3	संगठनात्मक ढांचा	67
3.2.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	67
3.2.5	मुख्य अंश	67
3.2.6	राजस्व का रुझान	68
3.2.7	पोस्त तृण का उत्पादन	68
3.2.8	पोस्त तृण का निस्तारण	69
3.2.9	नियन्त्रण अभियंत्रिकी में कमियां	70
3.2.10	व्यसनियों को विक्रय	72
3.3	अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली	74
3.4	अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न करना	75
3.5	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण अभिकर का कम आरोपण	76
3.6	विलिम्बिल भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	77
3.7	स्पिरिट के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क आरोपित न किया जाना	77
3.8	निर्यात शुल्क की गलत दर लगाये जाने से हानि	78

अध्याय 3

राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा के परिणाम

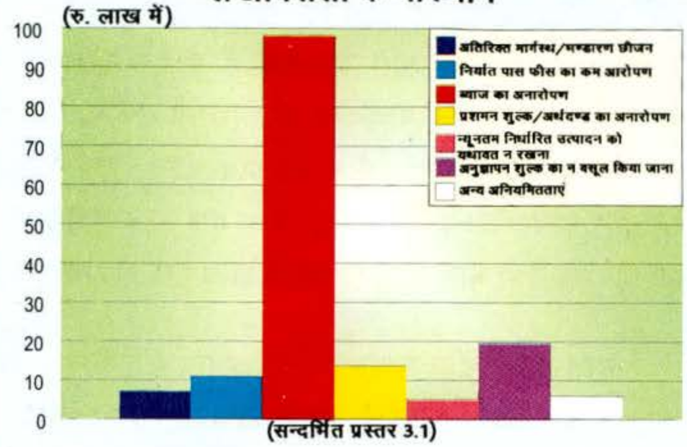

वर्ष 1996–97 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जांच में 160.32 लाख रुपये की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 87 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:–

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अतिशय मार्गस्थ/ भंडारण छीजन	7	7.08
2.	निर्यात पास फीस का कम आरोपण	6	10.92
3.	ब्याज का अनारोपण	9	98.13
4.	प्रशमन शुल्क/ अर्थदण्ड का अनारोपण	14	13.70
5.	न्यूनतम निर्धारित उत्पादन को बरकरार न रखना	11	5.06
6.	अनुज्ञापन शुल्क का वसूल न किया जाना	8	19.50
7.	अन्य अनियमितताएँ	32	5.93
	योग	87	160.32

वर्ष 1996–97 में संबन्धित विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों की लेखा परीक्षा में इंगित 10.49 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि के 71 मामले स्वीकार्य किये जिसमें से 5.76 लाख रुपये वसूल किय जा चुके हैं। उदाहरण के लिये कुछ मामले तथा पोस्त तृण का उत्पादन, संग्रहण लेखाकरण एवं विक्रय पर एक समीक्षा, जिसमें 281.03 लाख रुपये सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं:–

F-137

3.2 पोस्त तृण का उत्पादन, संग्रहण लेखाकरण एवं विक्रय

3.2.1 प्रस्तावना

भारत में अफीम पोस्त के कृषक इसे नकद फसल के रूप में उगाते हैं और इसका आर्थिक अकुंरण क्षमता अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व की है। अफीम पोस्त एक वार्षिक शाक (रबी फसल) है जो अक्टूबर के महीने में बोया जाता है। स्थिति, बोने के समय व जिनोटाइप के अनुसार पर यह 50–150 सेंटी मीटर ऊंचा उगता है जिसमें 2–15 बीजकोष प्रति पौधा होते हैं, पौधे में फूल बनने के लिये 75–80 दिन लगता है तथा पंखुड़ियां गिरने के बाद में बीजकोष, क्षीर (कच्ची अफीम) निकालने के लिये तैयार हो जाता है। क्षीर निकालने के बाद ये बीजकोष "चीरा लगे डोडा पोस्त" (एल.पी.एच.) कहलाते हैं एवं फसल कटने के बाद पौधे का शेष भाग (बीज को छोड़कर) "पोस्त तृण" कहलाता है चाहे अपने मूल रूप में, कटे हुए, पिसे हुए अथवा चूर्ण रुप में हो चाहे उसमें से रस निकाला गया हो अथवा नहीं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये अफीम के विधिक उत्पादक के रूप में विश्व के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसके उत्पादन का 90 प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है। भारत में अफीम के पौधे की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों का अफीम का वर्ष वार कृषि क्षेत्र तथा उत्पादन जैसा कि नारकोटिक विभाग से प्राप्त हुआ है, निम्न प्रकार है:

वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उत्पादन (क्विन्टल में)
1992–93	2385	773
1993–94	2182	774
1994–95	459	141
1995–96	112	19
1996–97	567	218

3.2.2. विधान

नारकोटिक औषधि एवं मनःप्रभावी (एन डी पी एस) अधिनियम, 1985, तथा उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम अफीम पोस्त के पौधों की खेती को नियन्त्रित करते हैं। अधिनियम द्वारा राज्य सरकार में निवेशित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नारकोटिक औषधि

नियमावली, 1986 बनायी है जो कि उत्तर प्रदेश में पोस्त तृण के क्रय, विक्रय, कब्जा, गोदामों में रखाव एवं उपभोग को नियंत्रित करती है। पोस्त तृण पर यद्यपि आबकारी शुल्क नहीं है।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985, के लागू होने से पूर्व नारकोटिक विभाग द्वारा अफीम के पौधे की खेती हेतु अनुज्ञापन देने के कार्य को अफीम अधिनियम, 1857 के द्वारा शासित किया जाता था।

3.2.3 संगठनात्मक ढांचा

पोस्त तृण के संग्रहण, कब्जा, विक्रय व उपयोग से संबंधित नियमों को कार्यानवित कराने के लिये उत्तरदायी आबकारी विभाग जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, का प्रमुख आबकारी आयुक्त होता है। उसकी सहायता दो अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी करते हैं।

3.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

अफीम पोस्ट की खेती करने वाले 8 जिलों में से 6 (बाराबंकी, बदायूं, बरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर और गाजीपुर) जिला आबकारी कार्यालयों एवं इलाहाबाद स्थित मुख्यालय के लेखों की नमूना जांच माह अप्रैल–मई 1997 में की गई। जिसमें पाई गई मुख्य कमियां एवं अनियमिततायें आगे प्रस्तरों में दी गयी है।

3.2.5 मुख्य अंश

1 एक जिले में व्यसनियों को नियमों के विरुद्ध मौखिक उपयोग के लिये वृहद मात्रा में पोस्त तृण दिया गया।

(प्रस्तर 3.2.10)

2 दो जिलों के जिला आबकारी अधिकारी अपने जिले में अफीम की खेती से अनभिज्ञ रहे।

(प्रस्तर 3.2.9(i))

3 पोस्त तृण के उत्पादन का मानक निर्धारित न किये जाने के कारण विभाग द्वारा निचन्त्रण अप्रभावी रहा।

(प्रस्तर 3.2.7)

4 नियमों के प्रावधान के विरुद्ध एक जिले में कृषकों को 31 जुलाई के बाद स्टाक रखने एवं तत्पश्चात् विक्रय की अनुमति दी गई।

(प्रस्तर 3.2.8(iii))

5 अनुज्ञापन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, व्यापारियों द्वारा अवशेष 301.18 कुन्तल पोस्त तृण का निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 3.2.9(iv))

3.2.6 राजस्व का रुझान

चूंकि राज्य सरकार ने पोस्त तृण के क्रय, विक्रय और उपयोग पर आबकारी शुल्क* आरोपित करने के लिये कोई विधिक प्रावधान नहीं किया है, पोस्त तृण से राजस्व केवल भण्डारण हेतु अनुज्ञापत्र शुल्क तथा चिकत्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजन हेतु व्यापारी अनुज्ञापन एवं अनुज्ञापत्र शुल्क अनुज्ञापन शुल्क 100 रुपये प्रतिवर्ष, अनुज्ञापन शुल्क 10 रुपये प्रति अनुपालन के रूप में ही प्राप्त होता है। वर्ष 1992–93 से 1996–97 की अवधि में पोस्त तृण से प्राप्त राजस्व कुल आबकारी राजस्व 6024.97 करोड़ रुपये की तुलना में उन्तीस हजार रुपये ही था।

3.2.7 पोस्त तृण का उत्पादन

केन्द्र सरकार अफीम पोस्त की खेती के लिये तहसीलों/जिलों के (अनुमत टैक्ट्स क्षेत्र) अधिसूचित करती है तथा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (नारकोटिक्स विभाग) कृषकों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करता है। उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्त की खेती बाराबंकी, बरेली, बदांयू, शाहजहांपुर, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद व गाजीपुर जिलों में सीमित है। अफीम पोस्त के डोडो से निकाली जाती है। 1991–92 में अफीम की न्यूनतम विशेषक उत्पत्ति (न्यू. वि.) 31.5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर जैसा कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा निश्चित किया गया था, जिसमें समय–समय पर संशोधन हुआ और वर्ष 1995–96 में 46 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया। राज्य सरकार द्वारा पोस्त तृण उत्पादन का कोई मानक कभी नहीं निर्धारित किया गया था।

तथापि नारकोटिक्स विभाग द्वारा वर्ष 1995–96 हेतु निर्धारित अनुमानों के अनुसार पोस्त तृण की पैदावार 6 क्विन्टल प्रति हैक्टयर रही। इस आधार पर गणना के अनुसार वर्ष 1992–93 से 1996–97 तक पोस्त तृण की अनुमानित पैदावार अगले पृष्ठ की सारणी के अनुसार होनी चाहिए थी :

* अनुज्ञापन शुल्क 100 रुपये प्रतिवर्ष, अनुज्ञापन शुल्क 10 रुपये अनुज्ञापन

वर्ष	कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	पोस्त तृण का अनुमानित उत्पादन (क्विन्टल में)
1992–93	2385	14310
1993–94	2182	13092
1994–95	459	2754
1995–96	112	672
1996–97	567	3402

पोस्त डोडों के उत्पति एवं मानकों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी किये जाने पर उप आबकारी आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा कहा गया कि पोस्त डोडों के उत्पादन से विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के उत्पति मानक निर्धारित न किये जाने से इन वर्षों में पोस्त तृण के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सका।

3.2.8 पोस्त तृण का निस्तारण

अफीम पोस्त से रस का सार मार्च माह में एकत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश नारकोटिक औषधि, नियमावली, 1986, के नियम 20 के अनुसार, प्रत्येक कृषक अपने स्वत्य में पोस्त के सम्पूर्ण स्टाक और उस रीति जिस प्रकार उसका निस्तारण किया जाना आशयित हो, की घोषणा जिले के कलेक्टर को अफीम की प्रत्येक कटाई के पूर्ण होने के एक पखवारे के भीतर और किसी भी स्थित में, उसी वर्ष के 15 जुलाई तक करेगा और उसके निस्तारण के लिये आदेश प्राप्त करेगा।

इसके अतिरिक्त कृषक पोस्त तृण का भण्डार अपने पास उस वर्ष के 31 जुलाई तक रख सकता है और इस अवधि में पोस्त तृण का निस्तारण या तो इसे निर्धारित रीति से बेच दे अथवा आबकारी विभाग के किसी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो की उपस्थिति में जला कर नष्ट कर दे अथवा खाद के रूप में प्रयोग करे ले। पोस्त तृण के निस्तारण पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित हो, इसलिये प्रत्येक कृषक वर्ष के 31 जुलाई के शीघ्र बाद उसके द्वारा उत्पादित मात्रा, विक्रय की गयी मात्रा एवं नष्ट की गयी मात्रा के सम्बन्ध में घोषणा करेगा।

पोस्त तृण का विक्रय केवल अनुज्ञापनधारी व्यापारी को ही किया जा सकता है, जो कि पोस्त तृण का विक्रय अन्य अनुज्ञापन धारी को अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्रों के विरुद्ध केवल वैज्ञानिक, चिकत्सीय, औद्योगिक या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिये कर सकेगा।

(i) जिला आबकारी अधिकारियों (बाराबंकी, बदायूं, बरेली, इटावा, गाजियाबाद, लखनऊ एवं शाहजहांपुर) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि गाजियाबाद एवं इटावा जिलों के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परमिटों के आधार पर पोस्त तृण का विक्रय किया गया, शेष 6 जिलों में, लेखापरीक्षा में एक भी परमिट धारक नहीं पाया गया। (इन जिलों में) पोस्त तृण के अंतिम उपभोक्ता कौन था, सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ii) नमूना जांच किये गये 6* जिलों में कृषकों द्वारा एसी कोई घोषणा प्रस्तुत न करने के कारण जिला आबकारी अधिकारियों को कृषकों द्वारा उत्पादित, विक्रय एवं नष्ट की गई पोस्त तृण की मात्रा की कोई सूचना नहीं थी। आबकारी विभाग उ. प्र. द्वारा न ही ऐसे कोई करार किया गया था।

इस प्रकार पोस्त तृण के लेखाकरण पर विभाग का कोई नियंत्रण न होने से अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता रहा। यह आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा भी उप नारकोटिक्स आयुक्त को संबोधित अपने पत्र दिनांक 2 जून, 1995 में स्वीकार किया गया है।

आगे, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये एन.डी.पी.एस. नियम, 1985 में नारकोटिक्स विभाग के जिला अफीम अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम में एक लम्बरदार के मनोनयन का प्रावधान रखा गया जिसे कुछ निर्दिष्ट कार्य जैसे अफीम की तौल का पर्यवेक्षण आदि करने की अनुमति दी कई है। राज्य आबकारी विभाग द्वारा पोस्त तृण के उत्पादन विक्रय एवं नष्ट किये जाने पर निगाह रखने के लिये इसी प्रकार के उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

(iii) बदायूं जिले में, यह देखा गया कि वर्ष 1993–94 से 1996–97 के दौरान वर्ष की 31 जुलाई के पश्चात् कृषकों से 57 कुन्तल पोस्त तृण क्रय करने हेतु 4 व्यापारियों को 9 ट्रान्जिट पास दिये गये जबकि इस अवधि में कृषकों के कब्जे में पोस्त तृण का भण्डार रखा जाना अपेक्षित नहीं था।

3.2.9 नियन्त्रण अभियंत्रिकी में कमियां

संयुक्त आबकारी आयुक्त (आबकारी सतर्कता ब्यूरो) द्वारा मई 1995 में जिला आबकारी अधिकारी, बरेली को अफीम अधिकारी नारकोटिक्स विभाग से अफीम पोस्त के कृषकों की सूची जिला अफीम अधिकारी (नारकोटिक्स विभाग) से प्राप्त करने व पोस्ततृण के दुरुपयोग, यदि हो तो, रोकने, के निर्देश दिये थे।

---

* बाराबंकी, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, गाजीपुर, लखनऊ

जिला आबकारी अधिकारी, बरेली द्वारा अवधि 1992–93 से 1996–97 के मध्य जिला अफीम अधिकारी (जि.अ.आ.) से इस प्रकार की काई सूची नहीं प्राप्त की गई। अन्य जिलों में भी जिला अफीम अधिकारी से इस प्रकार की कोई सूचना जिला आबकारियों द्वारा प्राप्त नहीं की गयी।

3.2.9(i) घोषणा–पत्र का प्रस्तुत न किया जाना

2 जिला आबकारी अधिकारी (शाहजहाँ–पुर, लखनऊ) अपने जिले में अफीम पोस्त की खेती से अनभिज्ञ थे।

नमूना जांच किये गये किन्हीं जिलों (बाराबंकी, बदायूं, बरेली, गाजीपुर, लखनऊ और शाहजहांपुर) में वर्ष 1992–93 से 1996–97 के दौरान कृषकों द्वारा पोस्ततृण उत्पादन संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। इन जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि अफीम पोस्त के कृषकों से इस प्रकार की कोई घोषणा प्राप्त नहीं हुई। शाहजहांपुर और लखनऊ के जिला आबकारी अधिकारी अपने जिलों में अफीम पोस्त की खेती से अनभिज्ञ थे। यद्यपि नारकोटिक विभाग, लखनऊ के अभिलेखों के अनुसार 1992–93 से 1996–97 की अवधि के दौरान, इन जिलों में पोस्त तृण का उत्पादन निरन्तर होता रहा।

3.2.9(ii) पोस्त तृण के भण्डारण की व्यवस्था न किया जाना

उत्तर प्रदेश नारकोटिक औषधि नियमावली, 1986, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी किसी स्थान को पोस्त तृण हेतु भाण्डागार घोषित कर सकता है जिसमें ऐसी समस्त पोस्त तृण को, जो वह उगाता है, जमा करना स्वामी का कर्तव्य होगा। किसी स्थान को भाण्डागार निर्दिष्ट करते समय, जिला अधिकारी से अपेक्षित हैं कि भाण्डागार में भाण्डारित पोस्त तृण की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये प्रावधान का उल्लेख करें और बिक्री के लिये उसे हटाने की शर्तों का निर्धारण करें।

जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी, बदायूं, बरेली, गाजियाबाद, गाजीपुर, लखनऊ व शाहजहांपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 1992–93 से 1996–97 तक उक्त किसी भी जिले में कोई स्थान भाण्डारागार के रूप में घोषित नहीं किया गया था। परिणामतः सम्पूर्ण स्टाक कृषकों के पास रहा और सीधे कृषि स्थान से व्यापारियों को बेचा गया। इससे भी पोस्त तृण के अवैध व्यापार हेतु अवसर मिला।

3.2.9(iii) व्यापारियों के अनुज्ञापन नवीनीकरण में विलम्ब

उत्तर प्रदेश नारकोटिक औषधि नियमावली, 1986 में दिये गये प्रावधानों के नुिसार जिलाधिकारी किसी व्यापारी को पोस्त तृण का क्रय, या भण्डारण करने के लिये 100 रुपये प्रतिवर्ष की अनुज्ञापन फीस देने

पर अनुज्ञापन दे सकता है। अनुज्ञापन समाप्त होने की तिथि उसके स्वीकृत होने के दिनांक से अनुवर्ती 31 मार्च होती है।

जिला आबकारी कार्यालय बरेली एवं बाराबंकी के अवधि 1992–93 से 1996–97 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 5 व्यापारियों के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण 1 माह से लेकर 22 माह तक के विलम्ब से किया गया।

3.2.9 (iv) बचे हुए स्टाक को नष्ट करना

पोस्त तृण के व्यापार के अनुज्ञापन की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार अनुज्ञापन के समापन की दशा में व्यापारी अपने पास बचे शेष स्टाक का निस्तारण दो सप्ताह के अन्दर नियम 20(3) में निर्धारित रीति के अनुसार करेगा। 5 मामलों में यह पाया गया कि अनुज्ञापन कि अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी व्यापारियों को 301.18 कुन्तल का स्टाक अपने पास रखने की अनुमति दी गयी थी।

3.2.10 व्यसनियों को विक्रय

नियमों के विपरीत व्यसनियों को बाह्य उपयोग तथा मौखिक उपभोग हेत अधिक मात्रा में पोस्त तृण निर्गत किया जाना

उत्तर प्रदेश नारकोटिक औषधि नियमावली, 1986 के नियम 26 में दिये गये प्रावधान के अनुसार पोस्त तृण की बिक्री केवल अनुज्ञापत्रों के विरुद्ध वैज्ञानिक, चिकत्सीय, औद्योगिक व अनुसंधान प्रयोजन हेतु ही अनुमन्य है, तथा इस प्रकार के अनुज्ञापत्र जिलाधिकारी द्वारा दिये जाते हैं। परमिट धारक व्यापारियों से पोस्त तृण प्राप्त कर सकते हैं। परमिट जारी करने का या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र के विरुद्ध व्यसनियों को मौखिक उपयोग हेतु पोस्त तृण की बिक्री करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने भी अपने परिपत्र दिनांक 5 अक्टूबर, 1991 में निर्देश दिये थे कि व्यसनियों को परमिट न जारी किये जायें।

(i) इटावा में मेडिकल बोर्ड की संस्तुतियों पर पोस्त तृण के बाह्य प्रयोग (चिकित्सकीय प्रयोजन) हेतु परमिट जारी किये गये थे जो अनियमित था। वर्ष वार परमिट और पोस्त तृण की मात्रा जो निर्गत की गयी का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया है :

वर्ष	परमिटों की संख्या	मात्रा जिसके लिये परमिट निर्गत (कुन्तल) किए गए	परमिट धारक द्वारा व्यापारी से प्राप्त मात्रा
1994–95	6	3.90	शून्य
1995–96	157	929.70	748.00
1996–97	151	841.80	604.80

निर्गत किये गये परमिटों में अत्याधिक बढ़ोत्तरी तथा नियमों में खुला उल्लंघन को देखते हुए पूर्ण जांच की आवश्यकता है।

(ii) गाजियाबाद में मुख्य चिकित्साधिकारी को संस्तुतियों पर जिलाधिकारी द्वारा व्यसनियों को पोस्त तृण उपभोग हेतु परमिट निर्गत किये गये थे। नीचे दी गयी सारिणी में गाजियाबाद में पिछले 3 वर्षों में व्यसनियों की संख्या एवं उनको मौखिक उपभोग हेतु विक्रय की गयी पोस्त तृण की मात्र इंगित करती है :–

वर्ष	व्यसनियों की संख्या	बिक्री की गयी पोस्त तृण की मात्रा (कुन्तल में)	प्रति व्यसनी औसत वार्षिक उपभोग (किलोग्राम में)
1994–95	270	453.18	167.84
1995–96	422	571.77	135.49
1996–97	425	830.37	195.38

सारिणी प्रदर्शित करती हैं कि 1996–97 में 1995–96 से व्यवसनियों की संख्या में ठीक 3 वृद्धि हुई, 1995–96 से मात्रा में बढ़ोत्तरी 258.60 कुन्तल की हो गयी और पूरे औसत उपभोग में 83 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। सम्पूर्ण मामले की पूर्ण जाँच की आवश्यकता है।

ये मामले विभाग तथा शासन को प्रतिवंदित किये गये थे (अगस्त 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

3.3 अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली

अनुज्ञापन अवधि के दौरान देशी मदिरा के कोटा में अनियमित वृद्धि के फल–स्वरूप 2.50 करोड़ रुपये के अभिकर की कम वसूली हुई

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन अप्रैल 1991 से यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, आबकारी दुकानों की नीलामी से पूर्व उस आबकारी वर्ष में उठाने वाले मादक पदार्थों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम.जी.क्यू.) नियत करता है। यदि अनुज्ञापी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम.जी.क्यू.) से अधिक मादक पदार्थ का उठान एवं बिक्री करना चाहता है तो मादक पदार्थ की ऐसी अतिरिक्त मात्रा के विक्रय के विशेष अधिकारों की स्वीकृति के लिये, अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर (11 रुपये प्रति बल्क लीटर) उसके द्वारा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

4 जिला आबकारी कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1995 और मार्च 1996 के मध्य) कि अतिरिक्त अभिकर की धनराशि 250 लाख रुपये कम आरोपित हुआ। विवरण निम्नांकित है :–

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्धारित एम.जी.क्यू.	उठाई गयी मात्रा	एम.जी.क्यू. से अधिक उठाई गयी मात्रा	वसूली योग्य अतिरिक्त अभिकर	वसूला गया अतिरिक्त अभिकर	अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली
1.	जि. आ. अधि. पीलीभीत	1993–94	14.00	17.00	3.00	33.00	3.00	30.00
2.	जि. आ. अधि. फिरोज़ाबाद	1993–94	13.00	15.00	2.00	22.00	2.00	20.00
		1994–95	16.50	21.50	5.00	55.00	5.00	50.00
3.	जि. आ. अधि. आगरा	1994–95	49.79	59.79	10.00	110.00	10.00	100.00
4.	जि. आ. अधि. हरिद्वार	1994–95	14.09	19.09	5.00	55.00	5.00	50.00
	कुल योग					**275.00**	**25.00**	**250.00**

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि यद्यपि अधिनियम/नियमों, में कोई संशोधन नहीं किया गया है, फिर भी जिलाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रस्ताव तथा आबकारी आयुक्त द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर यद्यपि सरकार द्वारा आबकारी वर्ष के मध्य में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा,

अधिनियम/नियमों में संशोधन किये बिना बढ़ा दी गई और तद्नुसार अभिकर लिया गया। विभागीय उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में वृद्धि, आबकारी वर्ष के मध्य में नहीं किया जा सकता।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 1995 और नवम्बर 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-102

3.4 अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न करना

लखनऊ आसवनी में बियर के अनियमित भंडारण के फलस्वरूप 20 लाख रुपये के अनुज्ञापन शुल्क की हानि हुई

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के साथ पठित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा वंछित गोदाम नियमावली, 1983 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी जो विदेशी मदिरा का निर्माण करती है, को विदशी मदिरा का वंधित गोदाम स्थापित करने एवं चलाने के लिये अनुज्ञापन प्रदान कर सकता है जिससे भारत संघ के भीतर किसी भी स्थान से जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो विदेशी मदिरा भरी बोतलों की प्राप्ति एवं भंडारण अभिकर अदा किये बिना उत्तर प्रदेश में आयात किया जा सके। वंधित गोदाम में भंडार की गयी इस प्रकार की विदेशी मदिरा अभिकर अदा करने पर विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को बेच दी जाती है या राज्य में किसी अन्य वंधित गोदाम को बंधपत्र पर निर्गत कर दी जाती है। अनुज्ञापन स्वीकृति की तिथि से अनुज्ञापन आगामी 1–वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये 5 लाख रुपये अनुज्ञापन शुल्क भुगतान कर प्रदान किया जाता है जो 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, इस अनुज्ञापन का नवीनीकरण वर्ष से वर्ष 5 लाख रुपया वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क अदा कर किया जा सकेगा।

गाजियाबाद स्थित एक यवासवनी की लेखा परीक्षा में देखा गया (नवम्बर 1995) कि यवासवनी के आबकारी अधिकारी ने पास स्वीकृत कर इस यवासवनी द्वारा निर्मित अभिकर अदा की हुई वियर को लखनऊ के आसवानी में भंडारण करने की अनुमति प्रदान की जो कि अनियमित था। इसके फलस्वरूप 20 लाख रुपये की अनुज्ञापन शुल्क की हानि हुई क्योंकि लखनऊ आसवनी के नाम 1992–93 से 1995–96 वर्षों के लिये इस प्रयोजन हेतु अलग से अनुज्ञापन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने सूचित किया (जून 1997), कि वांछित अनुज्ञापन शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं (मार्च 1997)। वसूली की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 1997)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-98
F-122

3.5 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण अभिकर का कम आरोपण

बोतल भराई नियमावली, 1969, के साथ पठित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विहस्की, ब्राण्डी, रम तथा जिन की विक्रय हेतु निर्धारित तीव्रता स्पिरिट की वह दृष्टिगत तीव्रता होती है जैसा कि उसमें रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित की गई हो। इस प्रकार इंगित तीव्रता का उल्लेख ढक्कनदार एवं मुहरबन्द बोतलों पर चिपकाये जाने वाले लेबिलों पर होना चाहिये। विहस्की, ब्राण्डी तथा रम की न्यूनतम तीव्रता 25 अंश अन्डर प्रूफ (42.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन) है। ढक्कनदार एवं मुहरबन्द बोतलों में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा में विद्यमान प्रति लीटर अल्कोहल पर अभिकर प्रभार्य है।

लखनऊ की एक आसवनी की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 1996 और फरवरी 1997) कि मार्च 1995 से जनवरी 1997 की अवधि में 97.30 लाख बल्क लीटर आई0एम.एफ.एल. का उत्पादन तथा निर्गम किया गया। बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम में विद्यमान अल्कोहल 25 अंश अन्डर प्रूफ (42.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन) प्रदर्शित किया गया तथा आबकारी अभिकर उसी आधार पर आरोपित किया गया यद्यपि रंजक तथा वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद स्पिरिट की हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक दृष्टिगत तीव्रता 42.9 प्रतिशत आयतन दर आयतन (आसवनी के अभिलेखों के अनुसार) थी जो निर्धारित तीव्रता से 0.1 प्रतिशत आयतन दर आयतन अधिक थी। हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक तीव्रता के स्थान पर निर्धारित तीव्रता के आधार पर आबकारी अभिकर आरोपित करेने के फलस्वरूप 4.16 लाख रुपये के अभिकर का कम आरोपण हुआ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (फरवरी 1996) विभाग ने बताया कि बोतलों में आई. एम. एफ. एल. की भराई उत्तर प्रदेश आबकारी हस्तपुस्तिका खण्ड–1 के नियम 805 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है जो मदिरा को शक्ति को बनाये रखने के लिये 0.5 डिग्री बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियम में प्रावधान के अनुसार आबकारी अभिकर दृष्टिगत तीव्रता (वास्तविक अल्कोहल की मात्रा) पर आरोपणीय है।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 1996 एवं अप्रैल 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-33
F-103

3.6 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

29 मार्च, 1985 से यथा संशोधित उत्तर प्रदेश, आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहां कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है वहां जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है। उस आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में जो अधिनियम, में संशोधन की तिथि के पूर्व देय था किन्तु संसोधन की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया गया, 29 मार्च, 1985 से उसी दर से ब्याज प्रभारित किया जाना अपेक्षित था।

2–जिला आबकारी कार्यालयों (मेरठ और देवरिया) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1996 और फरवरी 1996) कि विलम्बित भुगतानों पर 2.32 लाख रुपये का ब्याज आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया यद्यपि भुगतान 39 से 129 माह के विलम्ब से अदा किया गया।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1996 और नवम्बर 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-133

3.7 स्पिरिट के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत लकड़ी के पीपों, घातु पात्रों या टैंकरों में बंध के अन्तर्गत राज्य के अन्दर परिवहित मानव उपभोग के योग्य स्पिरिट की वास्तविक मार्गस्थ छीजन (रिसाव, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से) पर 0.5 प्रतिशत तक की छूट अनुमन्य है। नियमों के अन्तर्गत पाउचों या बन्द बोतलों में बंध के अधीन राज्य में परिवहित मदिरा पर कोई मार्गस्थ छीजन अनुमन्य नहीं है। ऐसे मामलों में स्पिरिट के मार्गस्थ छीजन पर पूर्ण शुल्क आबकारी आरोपणीय है।

नन्दगंज (गाजीपुर) स्थिति एक आसवनी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1996) कि पाउचों में बंधपत्र के अधीन मानव उपभोग योग्य देशी स्पिरिट आसवनी से विभिन्न वंधित गोदामों को वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक परिवहित की गयी, दिखाये गये छीजन पर रु. 33.33/32.00 रु. प्रति अल्कोहल लीटर (5360.5 अल्कोहलिक लीटर मसालेदार तथा 4311.7 अल्कोहलिक लीटर सादी स्पिरिट) की दर से मार्गस्थ छीजन पर 3.17 लाख रूपये का आबकारी अभिकर आरोपित नहीं हुआ।

लेखा परीक्षा में इंगित किया जाने पर आसवनी के प्रभारी अधिकारी ने सूचित कया (मई 1997) कि मार्गस्थ छीजन पर पूर्ण आबकारी अभिकर रु0 3.17 लाख रुपये वसूला जा चुका है।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

F-10

3.8 निर्यात शुल्क की गलत दर लगाये जाने से हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, आबकारी शुल्क आरोपित किये जाने के उद्देश्य से मदिरा को देशी अथवा विदेशी मदिरा में वर्गीकृत किया जाता है। स्पिरिट जिसकी तीव्रता 60 अंश ओवर प्रूफ (आयतन दर आयतन 91.27 प्रतिशत से कम अल्कोहल) से कम की है, सादी स्पिरिट तथा 60 अंश ओवर प्रूफ एवं उसके अधिक तीव्रता वाली परिशोधित स्पिरिट (विदेशी मदिरा) के नाम से जानी जाती है। 60 अंश ओवर प्रूफ से कम तीव्रता वाली सादी स्पिरिट चाहे वह शीरा, अंगूर अथवा माल्ट के आसवन से प्राप्त की गयी हो, आबकारी शुल्क के लिये देशी मदिरा की श्रेणी में आती है। देशी मदिरा (ताड़ी एवं किण्वीय अल्कोहल को छोडकर) एवं विदेशी मदिरा के निर्यात पर निर्धारित शुल्क को दरें 31 मार्च 1994 से क्रमशः 8 रुपये एवं 7 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर थी।

राजा का सहसपुर (मुरादाबाद) स्थित एक आसवनी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1996) कि आसवनी ने मई 1995 एवं मार्च 1996 के मध्य 1.38 लाख अल्कोहलिक लीटर, 60 अंश ओवर प्रूफ से कम तीव्रता से 60 प्रतिशत से 65.1 प्रतिशत आयतन दर आयतन तक) की सादी स्पिरिट जो देशी मदिरा की श्रेणी में वर्गीकृत है, उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात किया। उक्त स्पिरिट के निर्यात पर 8 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के सही दर के स्थान पर 7 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से शुल्क वसूल किया गया। इसके फलस्वरूप 1.38 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1996 एवं अनुस्मारक फरवरी 1997 में निर्गत किया गया), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

अध्याय 4

मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
4.1	लेखा परीक्षा परिणाम	83
4.2	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना तथा द्विपक्षीय अनुबन्ध	84
4.2.1	परिचय	84
4.2.2	संगठनात्मक ढांचा	84
4.2.3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	84
4.2.4	मुख्य मुख्य बातें	84
4.2.5	कम्पोजिट फीस की वसूली पर दृष्टि रखने के लिये आन्तरिक नियन्त्रण उपायों का अनुपालन न करना	85
4.2.6	द्विपक्षीय अनुबन्ध	86
4.2.7	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना	88
4.2.8	प्रणाली कमियों को अन्वेषणात्मक	91
4.3	मोटर वाहनों की बढ़ती हुयी बिक्री के संदर्भ में मार्गकर, मोटर वाहन कर के संग्रह में बढ़ोत्तरी तथा संभावित मोटर वाहन कर एवं वास्तविक संग्रह के मध्य सामंजस्य	92
4.3.1	वाहनों के पंजीयन पर अपर्याप्त नियन्त्रण	92
4.3.2	यात्रीकर की हानि	93
4.3.3	अनाधिकृत रूप से यात्री–कर का रोका जाना	94
4.4	अनुबंधित वाहनों पर यात्रीकर का निर्धारण न किया जाना	95
4.5	यात्री–कर का कम वसूल किया जाना	96
4.6	यात्री कर की अनियमित छूट	97
4.7	रजिस्ट्रेशन मार्क पृष्ठाकिंत न किये जाने से राजस्व की कम वसूली	98
4.8	स्वस्थता प्रमाण–पत्र का अनियमित रूप से जारी किया जाना	98

अध्याय 4

मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा परिणाम

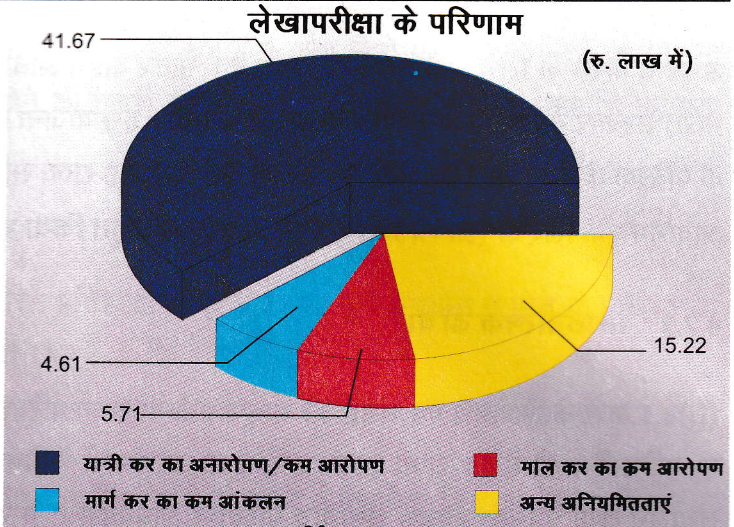

सन्दर्भित प्रस्तर 4.1

वर्ष 1996–97 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण से 91 मामलों में 67.21 लाख रुपये के करों तथा शुल्कों का कम आरोपण/अनारोपण लगाये जाने का पता चला है। जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :–

(रुपये लाख में)

क्र. सं.		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	यात्रीकर कर का अनारोपण/ कम आरोपण	35	41.67
2.	मार्गकर का अवधारण	15	4.61
3.	माल कर का कम आरोपण	8	5.71
4.	विभिन्न अनियमितताएँ	33	15.22
	योग	91	67.21

वर्ष 1996–97 में विभाग ने 44 मामलों में रु. 28.55 लाख कम अवधारण माना है, जिसे आडिट ने वर्ष 1996–97 में 25 मामलों में 21.29 लाख रु. तथा शेष पूर्व वर्षों में इंगित किया था। जिसमें से रु. 4.53 लाख वसूल कर लिया गया है। कुछ निदर्शी मामले तथा दो समीक्षाओं सहित, जिनमें (244.75) करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव सन्नहित है आगे प्रस्तरों में दिये गये हैं :–

F-143

4.2 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना तथा द्विपक्षीय अनुबन्ध

4.2.1 परिचय

लम्बी दूरी की अन्तर्राज्यीय यात्रा तथा सड़क द्वारा माल की ढुलाई के प्रोत्साहन द्वारा देश के आर्थिक विकास में शीघ्रता लाने की दृष्टि से राज्यों को दूसरे राज्यों से पारस्परिक आधार पर द्विपक्षीय अनुबन्ध करने के लिये अधिकृत किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजनाएं चलायी। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों व संघीय राज्य क्षेत्रों के पब्लिक कैरियर के परिचालकों को सम्पूर्ण देश में या गृह राज्य सहित कम से कम चार राज्यों में मालों के आवागमन के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

4.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

करों के आरोपण एवं संग्रह की सम्पूर्ण प्रक्रिया राज्य परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा शासित एवं परिचालित होती है। राज्य 17 सम्भागों व 43 उपसंभागों में विभाजित है। संभागों तथा उपसंभागों का संचालन तथा प्रबन्धन क्रमशः संभागीय परिवहन अधिकारी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा किया जाता है।

4.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना तथा द्विपक्षीय अनुबन्ध के सम्बन्ध में अधिनियमों, नियमों व आदेशों के प्रावधानों का निष्पादन तथा अनुपालन को मूल्यांकन करने की दृष्टि से परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा राज्य की सीमा पर स्थित 6* संभागीय परिवहन कार्यालयों व 4** सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों के 1991–92 से 1996–97 तक के अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी (अक्टूबर 1996 से मई 1997)।

4.2.4 मुख्य–मुख्य बातें

(i) **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम्पोजिट फीस की दर 1 अगस्त, 1994 से 3,000 रु. से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर देने के बावजूद, परिवहन आयुक्त, लखनऊ, अन्य राज्यों से कम दर पर फीस स्वीकार करना जारी रखा, फलस्वरूप रु. 53.26 करोड़ की कम वसूली हुई।**

(प्रस्तर 4.2.7(i))

* संभागीय परिवहन अधिकारी–झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, देहरादून, आगरा

** सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी–मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मिर्जापुर

(ii) राजस्व संग्रह का अनुश्रवण करने के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपयुक्त अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। समुचित अभिलेखों के अभाव में राज्य को देय राजस्व व वसूली की सत्यता (विशुद्धता) सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 4.2.5)

(iii) परिवहन आयुक्त कार्यालय में अभिलेखों के अभाव में जमा किये गये धन (क्रेडिट) का मिलान कोषागार के आकड़ों से न होने के कारण सरकारी खाते में वास्तविक जमा धनराशि का पता लगाना सम्भव नहीं हो सका।

(प्रस्तर 4.2.7(iv))

(iv) पारस्परिक समझौते में निर्धारित प्रतिहस्ताक्षरित कोटा का पूरा उपयोग न होने के फलस्वरूप रु. 1.13 करोड़ राजस्व की हानि।

(प्रस्तर 4.2.6(i))

4.2.5 कम्पोजिट फीस की वसूली पर दृष्टि रखने के लिये आन्तरिक नियन्त्रण उपायों का अनुपालन न करना

उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए अन्य राज्यों द्वारा निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में सूचना न तो अन्य राज्यों द्वारा भेजी गई न ही राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी।

अन्य राज्यों द्वारा देय कम्पोजिट फीस की मांग वसूली बकाये की संगणना पर दृष्टि रखने तथा तत्पश्चात् वसूली हेतु कार्यवाही के लिये विभाग द्वारा अन्य राज्यों से समय-समय पर जारी किये गये अनुज्ञापत्रों का विवरण रखना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उन राज्यों द्वारा उत्तर प्रदेश में वाहनों के संचालन हेतु जारी राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं न तो भेजी गयी और न ही राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा कभी उन्हें मांगा गया। इस आधारभूत सूचना के अभाव में अन्य राज्यों द्वारा देय कम्पोजिट फीस जो प्राप्त नहीं हुई है, लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इसके वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

4.2.6 द्विपक्षीय अनुबन्ध

मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र* राज्यों के साथ

* बिहार सरकार के साथ समझौते का फाइनल नहीं किया गया है क्योंकि सड़कों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जटिलता बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने द्विपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जिसमें निम्न शर्तों का प्रावधान है :–

(1) कि एक राज्य द्वारा जारी स्थायी अनुज्ञापत्र अनुबंधित राज्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।

(2) कि प्रतिहस्ताक्षर के अधीन संचालित वाहनों को अनुबंधित राज्यों में केवल मोटर वाहन कर से छूट है, न कि मालकर तथा यात्रीकर से।

(3) वाहनों की कुल संख्या जिनको प्रत्येक राज्य द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकता है, समझौते में दी गयी सीमा के अन्दर होना चाहिए।

(4) एक कैलेन्डर माह से अनाधिक अवधि के लिये अस्थाई अनुज्ञापत्र अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों के अनुमति के बिना जारी किया जा सकता है।

4.2.6 (i) द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के नवीकरण या कोटे के उपयोग में कमी

कोटे का पूर्ण प्रयोग न होने तथा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण न करने के फलस्वरूप 1.13 करोड़ रुपये प्रतिहस्ताक्षरित फीस की कम वसूली हुई।

यह देखा गया कि मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के क्रमशः 3000 तथा 225 अनुज्ञापत्रों की सीमा के विरुद्ध केवल 125 तथा 103 अनुज्ञापत्र परिवहन प्राधिकरण (उ. प्र.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये गये थे (अगस्त, 1996 तक)। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से सम्बन्धित क्रमशः 88, 316 तथा 454 समाप्त अनुज्ञापत्रों के विरुद्ध केवल 41, 36 तथा 12 अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया गया था। प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण न किये जाने तथा सम्पूर्ण कोटे का उपयोग न होने के फलस्वरूप रु. 1.13 करोड़ प्रति हस्ताक्षर फीस की वसूली नहीं की गयी।

विभाग ने उत्तर में बताया कि अन्य राज्यों से प्रतिहस्ताक्षर अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह सही नहीं है क्योंकि परिवहन आयुक्त द्वारा सम्बद्ध राज्यों को कोटे की सुलभता की सूचना देकर प्रार्थनापत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

4.2.6 (i) यात्री–कर/मालकर का कम/न वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश में प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध यात्री–कर सम्पूर्ण यात्रा के लिये लिया गया किराया और किये गये या अनुमानित फेरों की संख्या जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अन्दर किया जाना है, पर आरोपणीय है,

और मालकर, मालवाहनों के अधिकृत भार क्षमता के आधार पर आरोपणीय है।

5 मार्गों पर यात्रीकर का आरोपण/संग्रह, द्विपक्षीय अनुबन्ध में दी गयी दूरी/फेरों से कम पर करने के फलस्वरूप 0.19 करोड़ रुपये यात्रीकर, कम आरोपण हुआ।

(अ) 5* मार्गों के सम्बन्ध में, यात्रीकर का निर्धारण एवं वसूली द्विपक्षीय अनुबन्ध में दी गयी दूरी/फेरो से कम पर की गयी। इसके फलस्वरूप अवधि जून 1996 से मार्च 1997 के मध्य रु. 0.19 करोड़ यात्रीकर कम आरोपित हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर में बताया कि यात्रीकर की संगणना उनके अभिलेखों में दी गयी दूरी तथा वाहनों द्वारा वास्तविक रूप में तय किये गये फेरों के आधार पर की गयी। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि गणना, समझौते में दी गयी दूरी एवं फेरों के आधार पर नहीं की गयी।

342 सार्वजनिक भार वाहनों के स्वामियों द्वारा मालकर का आंशिक भुगतान किये जाने के फलस्वरूप 0.48 करोड़ रूपये की कम वसूली

(ब) मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तथा हरियाणा में पंजीकृत, उत्तर प्रदेश में प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के अधीन संचालित 342 सार्वजनिक भार वाहनों के सम्बन्ध में परिचालकों द्वारा वैधता की सम्पूर्ण अवधि (अप्रैल 1992 से दिसम्बर 1996) का मालकर सम्बन्धित संभागीय अधिकारियों को पूर्ण रूप से न करके आंशिक रूप से किया गया। विभाग द्वारा उपरोक्त अवधि का मालकर 0.48 करोड़ रुपये का निर्धारण एवं वसूली हेतु मांग सृजित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया जून 1997 की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(स) शासन द्वारा मार्च 1980 में जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य राज्यों की साधारण बसें जिनका संचालन अस्थाई अनुज्ञापत्र के अधीन किया जा रहा है, उनके वाहन स्वामियों द्वारा 240 रुपये प्रतिदिन की दर से यात्रीकर देय है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 368 बसों के वाहन स्वामियों द्वारा अनुज्ञापत्र की अवधि (14 दिन) के लिये मार्गकर अदा किया गया है, परन्तु अवधि जुलाई 1995 से मई 1996 के मध्य रु. 12.36 लाख यात्री कर बिल्कुल अदा नहीं किया गया क्योंकि अग्रसारित पत्र के साथ कोई भी ड्रॉफ्ट प्राप्त नहीं हुए थे।

* मुज्जफरनगर–करनाल, हरिद्वार–रोहतक, महोबा–ग्वालियर वाया नौगाँव, मऊरानीपुर, झाँसी, दतिया, दवरा, वाराणसी–जबलपुर वाया रीवां, मिर्जापुर–रीवां वाया हनुमना

(द) परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि देय करो की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु ऐसे अस्थाई अनुज्ञापत्रों की प्रतिलिपियां विभाग को न तो प्राप्त हुई थी, न ही मांगी गयी।

अस्थाई अनुज्ञापत्रों की प्रतियां न तो अन्य राज्यों से प्राप्त हुई, न ही विभाग द्वारा कर भुगतान की शुद्धता के सत्यापन हेतु मांगी गयी

विभाग ने अपने उत्तर में अन्य राज्यों से अनुज्ञापत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने का आश्वासन दिया।

4.2.7 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए इच्छित परिचालक द्वारा गृह राज्य को निर्धारित प्राधिकार फीस (500 रुपये प्रतिवर्ष) की अदायगी अपेक्षित है। ऐसे राज्यों जिनमें वाहन चलाने की अनुमति दी गयी है, में कम्पोजिट फीस का भुगतान भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापत्र धारक से यह भी ऐसे कर व फीस का भी भुगतान जो गृह राज्य में आरोपणीय हो, अपेक्षित है। कम्पोजिट फीस गृह राज्य द्वारा प्राप्त/एकत्र की जाती है और सम्बन्धित राज्यों को बैंक ड्राफ्टों द्वारा प्रेषित किया जाता है। लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्न का पता चला :

(1) कम्पोजिट फीस की कम वसूली

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जुलाई, 1994 में जारी अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अधीन माल वाहन जो उत्तर प्रदेश में संचालित होने के लिये अधिकृत है, उनके द्वारा कम्पोजिट फीस प्रतिवाहन प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये दिनांक 1 अगस्त, 1994 से 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया।

अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 52134 बैंक ड्राफ्ट पुरानी दरों पर प्राप्त होने के फलस्वरूप 36.84 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई। विलम्ब शुल्क 16.42 करोड़ रुपये का भी कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अगस्त 1994 से दिसम्बर 1996 की अवधि में कम्पोजिट फीस के मद में 52134 बैंक ड्राफ्ट अन्य राज्यों /केन्द्र शासित राज्यों से पुरानी/भिन्न दरों पर परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में प्राप्त हुआ था। फलस्वरूप 36.84 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

इसके अतिरिक्त, इन धनराशियों का भुगतान न किये जाने की स्थिति में (100 रुपया प्रतिमाह की दर से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये) 16.42 करोड़ रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में आरोपणीय था, अन्य राज्यों से प्राप्त कम कम्पोजिट–विलम्ब फीस के भुगतान की वसूली के लिए परिवहन आयुक्त लखनऊ द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया कि सम्बन्धित पक्षों से कम वसूली की गयी कम्पोजिट फीस की वसूली की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार अथराइजेशन के नवीनीकरण में कमियाँ

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार के नवीनीकरण में कमियों के कारण सन्निहित 8.19 करोड़ रुपये में से 0.16 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अस्थाई या स्पेशल अनुज्ञापत्र से भिन्न अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये बिना 5 वर्ष तक वैध रहेगा। केन्द्रीय मोटर गाड़ी वाहन नियमावली, 1989 के नियम 87(3) के अनुसार प्राधिकार के वैधता की अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह प्राधिकार एक अनवरण प्रक्रिया है जब तक कि अनुज्ञापत्र वाहन स्वामी द्वारा समर्पित नहीं किया जाता या परमिट समाप्त नहीं हो जाता।

यह देखा गया है (दिसम्बर 96, मार्च 97) कि अनुज्ञापत्र धारकों के 1,273 मामलों में परमिट धारकों द्वारा अक्टूबर 1991 से दिसम्बर 1996 के मध्य वैधता अवधि समाप्त होने पर प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं कराया गया। यद्यपि वाहनों के संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में कोई कागज उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया था, फिर भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे मामलों में निहित कुल राजस्व 8.19 करोड़ रुपये था, जिसमें 0.16 करोड़ रुपये गृह राज्य से सम्बन्धित हैं। परिवहन, आयुक्त उत्तर प्रदेश , लखनऊ द्वारा कम्पोजिट फीस की प्राप्तियों पर निगरानी रखने के लिए कोई पंजिका का रख रखाव नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उत्तर बताया गया कि राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारकों को नोटिस भेजी जा रही है कि वे निर्धारित फीस जमा कर प्राधिकार का नवीनीकरण करवायें।

(3) कम्पोजिट फीस के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1994 को जारी अधिसूचना के अनुसार नियत तिथि को कम्पोजिट फीस का भुगतान न किये की स्थिति में, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारक से प्रत्येक मास या उसके

भाग के लिए 100 रुपये की धनराशि विलम्ब शुल्क के रूप में प्रभारित की जायेगी।

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय में बैंक ड्राफ्टों के साथ प्राप्त अग्रसारित पत्रों की नमूना जांच से यह प्रकट हुआ कि अधिकांश मामलों में अनुज्ञापत्रों की वैधता अवधि का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया था। जिससे यह सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं था कि कम्पोजिट फीस समय से जमा किया गया है। विभाग ने अनुज्ञापत्रों की वैधता अवधि जानने के लिए, प्रयास नहीं किया और न ही कम्पोजिट फीस का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ही कोई प्रयास किया। 2,077 मामलों में विलम्बित भुगतान के लिए अर्थदण्ड 2.20 लाख रुपये की वर्ष 1995 और 1996 में वसूली नहीं की गयी।

इंगित किये जाने पर विभाग ने वसूली करने का आश्वासन दिया।

(4) कम्पोजिट फीस के बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति, निर्गम व निपटान का लेखा न रखना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V के प्रावधानों के अनुसार सभी डिमाण्ड ड्राफ्ट जैसे ही प्राप्त हों, उन्हें बैंक ड्राफ्टों के रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र में तुरन्त प्रविष्टि करना चाहिए और उनके निपटारे की निगरानी रोकड़ की तरह होनी चाहिए।

परिवहन आयुक्त, के अभिलेखों के नमूना जांच से यह प्रकट हुआ (नवम्बर 1996) कि अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति व निपटारे की निगरानी के लिए कोई पंजिका (रजिस्टर) नहीं बनाई गई थी। वास्तव में, अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को सेन्ट्रल पूल सेक्शन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, लखनऊ को हस्तगत् करा दिया जाता है और इसके बाद सरकारी खाते में उनके जमा होने को सुनिश्चित करने के लिए बाद में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कोषागार अभिलेखों से जमा राशि का मिलान भी समय–समय पर नहीं किया जाता है। जिससे वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 तक 583 बैंक ड्राफ्टों में सन्निहित 1.38 करोड़ रुपये का निस्तारण नहीं हो सका। वर्ष 1992–93, 1993–94 एवं 1996–97 (अक्टूबर 1996 तक) के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

(5) बैंक ड्राफ्टों की कम प्राप्ति

राज्य परिवहन प्राधिकरण, रोहतक द्वारा मार्च 1996 में प्रेषित 295 बैंक ड्राफ्ट 6.54 लाख रुपये के विरुद्ध परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ में अग्रसारित पत्र के साथ केवल 152 ड्राफ्ट 3.24 लाख रुपये प्राप्त किया गया था। अग्रसारित पत्र में 143 ड्राफ्ट 3.28 लाख रुपये के प्राप्त नहीं हुए थे।

विभाग द्वारा इन्हें तलाश करने के लिए कोई कार्य शुरू नहीं किया (अक्टूबर 1997), फलस्वरूप सरकार को 3.28 लाख रुपये की हानि हुई।

4.2.8 प्रणाली कमियों को अन्वेषणात्मक तथ्य

सीमा जाँच चौकियों के समाप्त हो जाने के कारण राज्य सरकार को वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान यात्रीकर/मालकर 3.74 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ा

उत्तर प्रदेश में पारस्परिक आधार पर वाहनों के परिचालन हेतु अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अस्थाई अनुज्ञापत्र भी जारी किये जा सकते हैं। अस्थाई अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत चलने वाले वाहनों पर उत्तर प्रदेश में आरोपणीय किसी कर के भुगतान से कोई छूट नहीं है (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (6) के अन्तर्गत पर्यटक वाहनों के सम्बन्ध में जारी किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्रों को छोड़कर) सितम्बर 1993 से पूर्व उत्तर प्रदेश में आरोपणीय कर अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पारस्परिक आधार पर अस्थाई अनुज्ञापत्रों के जारी करते समय बैंक ड्राफ्टों के रूप में संग्रहीत किया जाता था जिन्हें बाद में अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा इस राज्य की सीमाओं पर स्थापित जांच चौकियों पर परिवहन अधिकारियों को दे दिया जाता था।

अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा भेजे गये करों के सही होने की सत्यता की जांच करने की दृष्टि से उनके परिवहन प्राधिकारियों से अपेक्षित था कि वे सम्बन्धित जांच चौकियों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को अस्थाई अनुज्ञापत्रों की प्रतिलिपियाँ भेजें। सितम्बर 1993 से चेक पोस्टों के समाप्त होने के पश्चात इन प्रतिलिपियों को परिवहन आयुक्त को सीधे भेजा जाना था।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली के अभिलेखों की नमूना जांच, दिसम्बर 1996 तथा जनवरी 1997 में किया गया था जिसमें गम्भीर प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रकाश में आयी। उत्तर प्रदेश सीमा पर परिवहन प्राधिकरणों के जांच चौकियों के अभाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली परिवहन प्राधिकरण को सूचित किया कि वे बैंक ड्राफ्टों को सीधे परिवहन आयुक्त लखनऊ के कार्यालय को भेजे। परन्तु दिल्ली में यह देखा गया कि दिल्ली प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापत्रों को बिना बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किये ही जारी कर दिया जाता था और समझौते के प्रावधानों के विपरीत अनुज्ञापत्र धारकों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर कर जमा करने का निर्देश दे दिया जाता था। सम्भागीय परिवहन अधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय के लेखापरीक्षा में यह पता चला कि परिवहन विभाग के सचल दस्तों द्वारा प्रवर्तन क्रियाकलाप के फलस्वरूप वर्ष 1993–94 के मात्र 9 माह में जाँच चौकियों पर संग्रहीत 256.83 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 1994–95, 1995–96 तथा 1996–97 में क्रमशः 119.62 लाख रुपयें, 131.59 लाख रुपये तथा 144.90 लाख रुपये (कुल 396.11 लाख रुपये)* संग्रहीत किये गये थे। इसके बावजूद सम्बन्धित अधिकारी सावधान नहीं हुए न ही नई प्रणाली में सुधार के लिए कोई कदम ही उठाये जिससे प्रयोगात्मक रूप से वास्तविक राजस्व का ह्रास होता रहा।

* वर्ष 1993–94 की रुझान के आधार पर सम्भावित संग्रह 1994–95 से 1996–97 के मध्य कुल 770.49 लाख रुपये होना चाहिए।

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के अभिलेखों की जांच से यह पता चला कि अवधि सितम्बर 1993 से मार्च 1997 तक राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली से अस्थायी अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में कोई भी बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं हुए थे। जिससे यह सिद्ध भी होता है कि सीमा पर जांच चौकियों के अभाव में उत्तर प्रदेश की सीमा पर अथवा परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में कोई यात्रीकर/मालकर जमा ही नहीं किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1994–95 से 1996–97 के मध्य यात्रीकर व मालकर के 3.74 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने स्वीकार किया कि जांच चौकियों की समाप्ति के कारण राजस्व–संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पुनः दिनांक 28 फरवरी, 1997 से जाँच चौकियां पुनः कर संग्रह केन्द्र के रूप में स्थापित कर दी गयी।

वाहनों के पंजीयन पर अपर्याप्त नियन्त्रण के कारण राज्य सरकार को पंजीयन शुल्क तथा मार्ग कर 7.04 करोड़ रूपये से बंचित होना पड़ा

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

4.3 मोटर वाहनों की बढ़ती हुयी बिक्री के संदर्भ में मार्गकर, मोटर वाहन कर के संग्रह में बढ़ोत्तरी तथा संभावित मोटर वाहन कर एवं वास्तविक संग्रह के मध्य सामंजस्य

4.3.1 वाहनों के पंजीयन पर अपर्याप्त नियन्त्रण

मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र धारक व्यापारी बिना अस्थाई अथवा स्थाई पंजीकरण के किसी क्रेता को कोई मोटरयान हस्तान्तरित नहीं कर सकता। मोटरयान जब तक पंजीकृत न हो जाय, किसी भी व्यक्ति को मोटरयान चलाने की अनुमति नहीं होगी, और मोटरयान का कोई मालिक किसी सार्वजनिक स्थान अथवा अन्य किसी स्थान पर किसी यान को न तो चला सकता है, और न उसे चलाने की अनुमति दे सकता है। क्रेता को हस्तान्तरित करने से पूर्व यान को पंजीकृत करवाने में व्यवसायी की विफलता के मामले में व्यवसायी का व्यापार प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

* मोटर साइकिल के लिये रु.750 से 850; मोपेड के लिये रु.350 से 450; कार के लिये रु.2500 से 3000 (सन्दर्भ संलग्नक–2)

वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 के दौरान व्यापार प्रमाण–पत्र धारकों (व्यापारियों) द्वारा बेची गई 405826 हल्की वाहनों (दुपहिया एवं कारें) में से, केवल 355737 वाहनें परिवहन विभाग में पंजीकृत हुई थीं, जैसा की संलग्नक 1 में दर्शाया गया है। इस प्रकार 50089 वाहनों के पंजीयन कम होने के कारण शासन को क्रमशः 23.32 लाख रुपये (पंजीयन शुल्क) एवं एक वारीय कर (मार्ग कर) 6.81 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित उत्तर प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया कि वाहन स्वामियों से प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर ही पंजीयन शुल्क वसूल किया जाता है और वाहनों का पंजीयन किया जाता है।

उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है जैसा कि केन्द्रीय मोटरगाड़ी नियमावली, 1989 के नियम 42 में अपेक्षित है कि वाहन के पंजीयन की जिम्मेदारी व्यापार प्रमाण–पत्र धारक (व्यापारी) की होती है। इसके अतिरिक्त , प्रशासकीय तंत्र को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने तथा बड़ी कमियों से बचने के सम्बन्ध में विभाग ने कुछ नहीं बताया।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर, परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बताया कि सम्बन्धित व्यापारियों के विरुद्ध धारा 44 के अधीन कार्यवाही की जायेगी, चूंकि पंजीयन कराने की जिम्मेदारी वाहन स्वामियों की है, अतः धारा 44 के अधीन की गई कार्यवाही का कोई मतलब नहीं निकलता।

4.3.2 यात्री कर की हानि :

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत , यात्री द्वारा प्रक्रम वाहन से राज्य में की गयी अपनी यात्रा के लिए दिये जाने वाले किराए पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर पर यात्री कर, वाहन–स्वामी को देय है। कर, वाहन–स्वामियों द्वारा एकत्र किया जाता है, तथा राज्य सरकार को अदा किया जाता है। वाहन–स्वामी द्वारा देय यात्री कर की धनराशि के स्थान पर राज्य सरकार एकमुश्त धनराशि स्वीकार कर सकती है, या स्वीकार करने के लिए सहमति दे सकती है। आगे एकमुश्त अनुबंध संपूर्ण मार्ग, जिस पर प्रक्रम वाहन संचालित होता है, उसपर साधरणतयः देय कुल किराया, एवं निर्धारित अवधि के दौरान प्रक्रम वाहन को प्राधिकृत अथवा उसके द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्याशित एकतरफा फेरों की संख्या तथा प्राधिकृत भार–क्षमता (दखल की गयी सीटों का अनुपात) पर निर्भर करता है।

दोषपूर्ण एक मुश्त समझौते के कारण 67.95 करोड़ रुपये यात्री कर की हानि

परिवहन आयुक्त, के कार्यालय की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (मई 1997) कि

1994–95 में 22131 बसें और 5164 मिनी बसें तथा 1995–96 में 21094 बसें और 4922 मिनी बसें मार्गों पर संचालित बतायी गयी थीं। न्यूनतम कारकों* के आधार पर मार्गों पर संचालित वाहनों के प्रतिवर्ष 1994–95 एवं 1995–96 से संबधित सम्भावित राजस्व (यात्री कर) रु. 317.23 करोड़ के स्थान पर केवल रु. 294.28 करोड़ वसूल किया गया था। इसके फलस्वरूप यात्रीकर के रूप में (धनराशि) रु. 67.95 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में विभाग ने लेखा परीक्षा द्वारा मार्ग पर संचालित वाहनों की सूचित संख्या की सत्यता की पुष्टि की एवं बताया कि यात्री कर केवल उन्हीं वाहनों पर आरोपित किया जाता है, जो मार्ग अनुज्ञापत्र से आच्छादित होती हैं। विभागीय उत्तर अस्पष्ट है, क्योंकि मार्ग पर संचालित वाहनों से यात्री कर संग्रह न किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। इससे न तो यह पता चलता है कि बिना अनुज्ञापत्र के कितनी वाहने संचालित है एवं देय यात्री कर वसूलने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कौन से प्रभावी उपाय किये गये हैं।

4.3.3 अनाधिकृत रुप से यात्रीकर का रोका जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अनुसार वसूल किये गये सम्पूर्ण राजस्व को बिना अनावश्यक विलम्ब के कोषागार या बैंक में जमा कर देना चाहिए। मोटरगाड़ी यात्री कर नियमावली, 1962 के अन्तर्गत संचालक द्वारा किसी महीने का एकत्रित यात्री कर अगले महीने की 15 तारीख या उसके पहले देय है।

निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण यात्रीकर अनधिकृत रूप से रोका गया जिसमें 101.11 करोड़ रुपया राजकीय लेखों में समाहित नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 1991–92 से 1996–97 की अवधि के दौरान यात्री कर के रूप में रु. 101.11 करोड़ वसूल किया, लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि (मई 1997) तक इसे कोषागार में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया को न अपनाये जाने के कारण रु. 101.11 करोड़ की धनराशि राजकीय खाते से बाहर रही। वर्ष 1996–97 की लेखाबही निर्णायक होने को थी (नवम्बर 1997), तथापि उनके लेखों की किताबों में अदा न किये गये यात्री कर को उनकी देनदारी दिखायी गयी है जैसा कि उ. प्र. रा. सं. परि. निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है।

---

* **न्यूनतम कारक**

1. न्यूनतम भार कारक (75 प्रतिशत) 2. तय की जाने वाली दूरी (150 कि० मी०) 3. मार्ग (विशेष श्रेणी अथवा ए) 4. कर देय सीटें–बसें मिनी बसें

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया है (अक्टूबर 1997), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1997)।

4.4 अनुबंधित वाहनों पर यात्रीकर का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत राज्य में प्रक्रय वाहनों (अनुबंधित वाहनों सहित) द्वारा यात्रा करने पर यात्रियों द्वारा वाहन स्वामियों को देय किराये पर 16 प्रतिशत की दर से यात्री कर देय है। वाहन स्वामी कर इकट्ठा करता है तथा विकल्प के साथ या ता 'वे बिल'' पर (संग्रहीत कर की वास्तविक धनराशि के अनुसार) अथवा एक मुश्त आधार पर यात्री कर का भुगतान करता है। अनुबंधित वाहनों (मोटर कैब को छोड़कर) के सम्बन्ध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री कर का निर्धारण अन्य बातों के साथ–साथ देय किराया तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है। वसूली के लिए यात्री कर की गणना में किराया, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम किराये की दर के 75/85 प्रतिशत (2 सितम्बर 1992 से प्रभावी) से कम नहीं होगा तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4000 कि. मी. से कम नहीं होगी।

(i) 4 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा (जुलाई 1996 तथा फरवरी 1997 के मध्य) में अवगत हुआ कि यात्रीकर का निर्धारण न तो विवरणी के आधार और न ही एक मुश्त समझौते के अन्तर्गत किया गया है जिससे राजस्व रु. 5.95 लाख की कम वसूली हुई, विवरण निम्न हैं:

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	अवधि	धनराशि
1.	सहायक सम्भागीय कार्यालय, आजमगढ़	13	फरवरी 1996 से जुलाई 1996	1.02
2.	सहायक सम्भागीय कार्यालय, रायबरेली	4	मार्च 1995 से अक्टूबर 1996	2.60
3.	सहायक सम्भागीय कार्यालय, भदोही	1	अप्रैल 1995 से नवम्बर 1996	1.59
4.	सम्भागीय परिवहन परिवहन कार्यालय, आगरा	2	जनवरी 1994 से जून 1996	0.74
	योग	20		5.95

मामला विभाग/ राज्य सरकार को (सितम्बर 1996 तथा मई 1997 के मध्य), संदर्भित किया गया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (अक्टूबर 1997)।

F-124

(ii) सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय उन्नाव की लेखापरीक्षा (मई 1996) में संज्ञान में आया कि 9 सवारी गाड़ियाँ बिना परमिट के किराये पर सवारी ढोते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा अवधि अगस्त 1994 से दिसम्बर 1995 में पायी गयी परन्तु विभाग द्वारा यात्री कर आरोपण न्यूनतम एक माह का जिस माह में चलती पायी गयी, नहीं किया गया इससे रु. 73,899 का कर आरोपण नहीं हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने (जनवरी 1997) में उत्तर दिया कि वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। परन्तु वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं आई हैं (अक्टूबर 1997)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया है (सितम्बर 1996 एवं पुनः जनवरी 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

4.5 यात्री कर का कम वसूल किया जाना

F-18

(अ) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी निर्दिष्ट मार्ग पर किसी प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में एक अन्य मुस्त अनुबंध के अन्तर्गत देय यात्री कर, अन्य बातों के साथ–साथ सम्पूर्ण मार्ग पर देय कुल किराया, किसी प्रक्रम वाहन द्वारा लगाये जाने वाले स्वीकृत या प्रत्याशित एक तरफा फेरों की संख्या तथा भार कारक के आधार पर आगणित किया जाता है। मार्ग, फेरों की संख्या, बैठने अथवा खड़े होने की क्षमता या किराये में कोई परिवर्तन होने पर अनुबन्ध, ऐसे परिवर्ततन की तिथि से, निष्प्रभावी हो जाता है और तत्पश्चात् अनुबंध की असमाप्त अवधि के लिए एक नया अनुबंध निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

सहायक सम्भागीय कार्यालय, रामपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1995) कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार रामपुर–शाहाबाद–चंदौसी मार्ग के संचालकों द्वारा रामपुर–परवारी, रामपुर–शाहाबाद, रामपुर–चंदौसी तथा शाहाबाद–चंदौसी हेतु किराया क्रमशः 4.50 रुपये, 10 रुपये, 18 रुपये तथा 7 रुपये प्रभारित किया जा रहा था। परन्तु एक मुश्त किराये की गणना शुद्ध किराया 3.75 रुपये, 8.50 रुपये, 15.35 रुपये तथा 6.75 रुपये से की गयी। इसके फलस्वरूप जून 1994 से दिसम्बर 1995 की अवधि के दौरान 68,079 रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को (दिसम्बर 1996), में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

(ब) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, राज्य में की जाने वाली यात्रा के सम्बन्ध में यात्री कर उस दर से आरोपणीय है जो किसी प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किये गये अथवा अदा किये जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत के बराबर हो। दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को बीमा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रम वाहन में ले जाये जा रहे प्रत्येक यात्री से यात्री कर व अतिरिक्त यात्री कर के 5 प्रतिशत की दर से बीमा अधिभार की वसूली की जाती है। यात्रीकर तथा अधिभार को निकटतम पैसे में पूर्णांकित किया जायेगा। राजकीय विज्ञप्ति दिनांक दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा प्रक्रम वाहनों का न्यूनतम किराया निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत किराये को 50 पैसे के गुणांक में पुर्णांकित किया जायगा जिसमें यात्री कर, अधिभार तथा बीमा सम्मिलत होगा।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लखनऊ की लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी 1996) कि सम्भागीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ से महमूदाबाद तक के मार्ग का किराया, कर और अधिभार सहित 13.50 रुपये निर्धारित किया था (जून 1994) यात्री कर तथा उस पर लगने वाले अधिभार को निकालने पर शुद्ध किराया 12.80 रु. के स्थान पर विभाग द्वारा 11.45 रु. आगणित किया गया। इसके फलस्वरूप जून 1994 से जनवरी 1996 तक की अवधि के लिए यात्री कर तथा अधिभार की धनराशि 1.01 लाख रुपये कम आरोपित की गयी।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी, 1996), सम्भागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ ने बताया (नार्च, 1997) कि सम्पूर्ण धनराशि की वसूली मार्च 1996 से फरवरी 1997 के मध्य कर ली गयी है।

मामला विभाग तथा शासन को (नवम्बर 1996), में प्रतिवेदित किया गया था उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

4.6 यात्री कर की अनियमित छूट

शासन की विज्ञप्ति दिनांक 30 सितम्बर, 1962 द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के स्वामित्व वाली प्रक्रम वाहनों को यात्री कर से छूट दी गयी है।

सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सिद्धार्थनगर की सम्प्रेक्षा (अक्टूबर 1996) में संज्ञान में आया कि एक वाहन जिसकी क्षमता 23 सीट थी एवं स्कूल बस के रूप में अध्यक्ष, मदरसा ईसा सिद्धी की मधुवारा के नाम से पंजीकृत थी जो स्कूली बच्चों को घर से स्कूल पहुँचाने व स्कूल से घर ले जाने में प्रयोग होती थी। परन्तु वाहन का मान्यता प्रमाण–पत्र पंजीयन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिसके अभाव

में यात्री कर छूट के हकदार नहीं है के फलस्वरूप अवधि 12 मार्च 1996 से 24 अक्टूबर 1996 के मध्य यात्री कर रु. 51865 से कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग तथा शासन को (मई 1997), में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

4.7 रजिस्ट्रेशन मार्क पृष्ठाकिंत न किये जाने से राजस्व की कम वसूली

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988, के प्राविधानों के अन्तर्गत एक वाहन जो अन्य प्रान्त में पंजीकृत है दूसरे प्रान्त में बारह महीने से अधिक परिचालित हो तो वाहन स्वामी को निर्धारित प्रारूप में पंजीयन अधिकारी जिनके अधिकार क्षेत्र में वाहन रखा गया है एवं जिनसे नया पंजीयन चिन्ह प्राप्त करना है, को 300 रुपये भारी वाहनों के लिए तथा 100 रुपये हल्की वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर पंजीयन अधिकारी दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर (शहर) की लेखा परीक्षा (अगस्त 1996) में प्रकाश में आया कि 192 भारी वाहने अन्य प्रान्त की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ अवधि जनवरी 1988 से जून 1994 के मध्य सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर, (शहर) में कर जमा करने आयी। इन वाहनों पर मार्ग कर का आरोपण एवं वसूली की जा रही है। लेकिन इन वाहनों पर यू.पी. का पंजीयन चिन्ह पृष्ठांकित करने की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि वाहने 12 महीने से अधिक समय से संचालित है, जिसमें से 6 वाहने नया पंजीयन चिन्ह प्राप्त किये बिना प्रदेश से बाहर चली गयी। इससे रु. 55,800 की राजस्व की कम वसूली हुई।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (अक्टूबर 1997)।

4.8 स्वस्थता प्रमाण–पत्र का अनियमित रूप से जारी किया जाना

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988, तथा केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियमावली, 1989 के अन्तर्गत प्रावधान हैं कि किसी भी वाहन का पंजीकरण तब तक वैध नहीं माना जायेगा तब तक कि वाहन का स्वस्थता प्रमाण–पत्र परिवहन विभाग के अधिकृत जांच स्टेशन द्वारा, वाहन स्वामी द्वारा कर अदायगी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर निर्गत न कर दिया गया हो।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर (शहर), की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई, 1995) कि तीन ठेका वाहनों के स्वस्थता प्रमाण–पत्र दिनांक 5 सितम्बर, 1992 से 6 सितम्बर, 1994 के

मध्य विभिन्न तिथियों में निर्गत किये गये जबकि इन वाहन स्वामियों पर यात्री कर 2.24 लाख रुपये बकाया था। यह अनियमित स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करने के फलस्वरूप हुआ।

लेख परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 1997) कि उपरोक्त राशि की वसूली नवम्बर 1995 से मार्च 1997 के मध्य कर ली गयी है। तथापि अनियमित रूप से स्वस्थता प्रमाण–पत्र निर्गत करने का विभाग द्वारा कोई कारण बताया नहीं गया।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया है (नवम्बर, 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। (अक्टूबर, 1997)।

संलग्नक

संलग्नक I

(प्रस्तर 4.3.1 में संदर्भित)

(रुपये में)

वर्ष	वाहनों की संख्या				अंतर		राजस्व की कमी	
	विक्रीत		पंजीकृत					
	दुपहिया	कार	दुपहिया	कार	दुपहिया	कार	दुपहिया (रु 30 प्रतिवाहन की दर से)	कार (रु 100 प्रतिवाहन की दर से)
1994.95	171020	14825	168257	9957	2763	4868	82890	486800
1995.96	199818	20163	164344	13179	35474	6984	1064220	698400
						योग	1147110	+1185200
						महायोग	**रु. 2332310**	

संलग्नक II

(प्रस्तर 4.3.1 में संदर्भित)

(रुपये में)

वर्ष	वाहनों के नाम	वाहनों की संख्या विक्रीत	पंजीकृत	अंतर	कर की दर	धनराशि
1994–95	मोटर साइकिल	46490	168257	2763	850	2348550
	स्कूटर	101652	.....	.....	.....	.....
	मोपेड	22878	.....	.....	.....	.....
	कार	14825	9957	4868	3000	14604000
1995–96	मोटर साइकिल	58665	164344	35474	850	30152900
	स्कूटर	114107	.....	.....	.....	.....
	मोपेड	27046	.....	.....	.....	.....
	कार	20163	13179	6984	3000	20952000
	योग			**50089**		**68057450**

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
5.1	लेखा परीक्षा परिणाम	111
5.2	स्टाम्प शुल्क अरोपण हेतु भवनों के मूल्यांकन में कमियां एवं स्टाम्प वादों का लम्बित रहना	112
5.2.1	परिचय	112
5.2.2	संगठनात्मक ढांचा	112
5.2.3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	113
5.2.4	मुख्य अंश	113
5.2.5	राजस्व का रुझान	114
5.2.6	स्टाम्प शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों को व्यक्त न किये जाने से राजस्व क्षति	115
5.2.7	भवन की भूमि का सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन न किये जाने से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	115
5.2.8	पट्टा अवधि की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	116
5.2.9	सहकारी आवास समितियों की स्टाम्प शुल्क में अनियमित छूट	116
5.2.10	लेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	116
5.2.11	अनुसूचित दरों को न अपनाये जाने से भवनों का अवमूल्यांकन	118
5.2.12	यू.पी. स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 341 का गलत प्रयोग	118
5.2.13	नोएडा में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना	119
5.2.14	अन्य रुचिकर बिन्दु	119
5.2.15	बाजार मूल्य के निर्धारण में विलम्ब	121
5.2.16	स्टाम्प वादों के निसतारण के लिये मानक/कोटा	123
5.2.17	स्टाम्प वादों को चार वर्ष के अन्दर स्थापित दर्ज न किये जाने से राजस्व की क्षति	124
5.2.18	स्थगन एवं अपीलों के कारण स्टाम्प शुल्क की लम्बित वसूली	124
5.2.19	स्टाम्प शुल्क का बकाया	125
5.2.20	आन्तरिक नियंत्रण उपायों का पालन न किया जाना	125

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
5.3	उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों का महानगरों में निबन्धन	126
5.3.1	परिचय	126
5.3.2	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	127
5.3.3	संगठनात्मक ढांचा	127
5.3.4	मुख्य अंश	127
5.3.5	सम्पत्ति का अवैध निबन्धन	128
5.3.6	बिलेख पत्रों को प्रेषित न करने से स्टाम्प शुल्क की हानि	128
5.3.7	नियमों के अनुपालन न करने से राजस्व की क्षति	129
5.3.8	निबन्धन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न करना	130
5.4	कृषि–इतर भूमि का अवमूल्यन के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	130
5.5	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	131

F-145

F-1,2,3,86,35,40, 91,92,93,94,95,96,97,106,107,126,127,131,and 132

F-46,47,128and 129

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 लेखा परीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के परिणाम

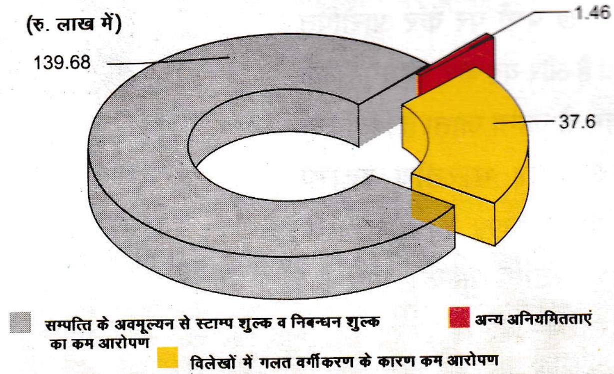

(सन्दर्भित प्रस्तर 5.1)

वर्ष 1996–97 की लेखा परीक्षा के दौरान जिला निबन्धकों, उप निबन्धकों तथा जिला स्टाम्प अधिकारियों, के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जांच में 217 मामलों में 178.74 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित किये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :–

(रुपये लाख में)

क्र.सं.		मामलों की संख्या	धनराशि
1	सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण शुल्क तथा निबन्धन फीस का कम आरोपण	200	139.68
2	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	10	37.60
3	अन्य अनियमितताएं	7	1.46
	योग	**217**	**178.74**

वर्ष 1996–97, के दौरान विभाग ने 67.89 लाख रुपये के 186 मामलों में अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जो वर्ष 1996–97 में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। कुछ निदर्शी मामले तथा दो समीक्षाओं सहित, जिनमें रूपये 102.26 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, आगे प्रस्तरों में दिये गये हैं :

F-142

5.2 स्टाम्प शुल्क अरोपण हेतु भवनों के मूल्यांकन में कमियां एवं स्टाम्प वादों का लंबित रहना

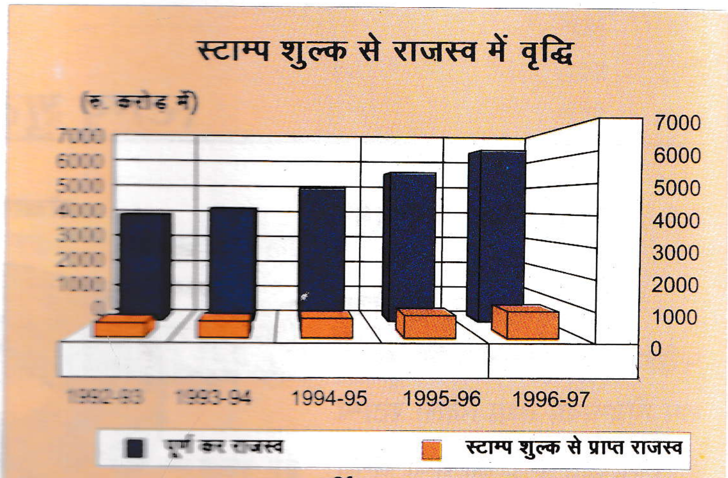

(सन्दर्मित प्रस्तर 5.2.1)

5.2.1 परिचय

स्टाम्प विधि एक वित्तीय कानून है जो राजस्व के उद्देश्य से विलेख पत्रों पर कर आरोपित करता है और यह कर, स्टाम्प शुल्क के नाम से जाना जाता है। विभिन्न विलेखों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। हस्तान्तरण–विलेख पर स्टाम्प शुल्क, विलेख पत्र में उल्लिखित मूल्य या सम्पत्ति का बाजार मूल्य में, जो भी अधिक हो, पर प्रभार्य है। विभिन्न स्थानों के लिये बाजार मूल्य जिलाधिकारी द्वारा, निर्धारित किया जाता है और पंजीकरण अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु द्विवार्षिक अधिसूचित किया जाता है। अवमूल्यांकन की दशा में पंजीकरण प्राधिकारी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 व 47 'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं।

स्टाम्प शुल्क राज्य के राजस्व के प्रमुख श्रोतों में से एक है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य का सम्पूर्ण कर राजस्व से	स्टाम्प शुल्क से प्राप्त राजस्व	कुल कर राजस्व से स्टाम्प शुल्क की प्रतिशतता
1992–93	3886.34	460.47	11.84
1993–94	4132.00	531.62	12.86
1994–95	4878.32	631.54	12.94
1995–96	5468.92	734.78	13.43
1996–97	6305.97	875.06	13.87

5.2.2 संगठनात्मक ढांचा

महानिरीक्षक निबन्धन, निबन्धन विभाग का संगठनात्मक प्रमुख होता है। वह राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव का भी कार्य करता है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जिला निबन्धक

एवं साथ ही जिला स्टाम्प अधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं तथा वे कलेक्टर स्टाम्प के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। महानिरीक्षक निबन्धक, प्रत्येक निबन्धन उप जिले तथा तहसील में उप निबन्धक द्वारा सहायतित है। उनके कार्यालय समय समय पर उप/सहायक निबन्धन महानिरीक्षकों, स्टाम्प एवं निबन्धन द्वारा निरीक्षित किये जाते हैं। कलेक्टर व अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प कलेक्टर के रूप में अधिकृत किये गये है, उप निबन्धकों द्वारा विलेख की विषय वस्तु का वास्तविक बाजार मूल्य का निर्धारण एवं उन पर उचित स्टाम्प देयता का निर्धारण करने के लिये संदर्भित किये जाने पर कमी स्टाम्प शुल्क के मामलों का निर्णीत करते हैं।

5.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 1992—93 से 1996—97 तक की अवधि में भवनों के बाजार मूल्य का निर्धारण एवं स्टाम्प वादों में स्टाम्प देयता हेतु विलेखों के अन्तिम मूल्यांकन का लम्बित रहने की व्यवस्था पर एक समीक्षा अक्टूबर 1996 से मई 1997 की अवधि में की गई थी। व्यवस्था की प्रभाव कारिता का अनुमान लगाने के उद्देश्य से 159 जिला निबन्धक उप निबन्धक एवं जिला स्टाम्प अधिकारियों के कार्यालयों में से 69 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। जिनका परिणाम प्रस्तरों में दिया गया है।

5.2.4 मुख्य अंश

(i) स्टाम्प शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों को व्यक्त न करने के कारण 99.36 लाख रुपये की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 5.2.6)

(ii) सर्किल रेट्स के अनुसार भवन की भूमि के मूल्यांकन न करने से स्टाम्प शुल्क 17.18 लाख रुपये का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.2.7)

(iii) सहकारी आवासीय समितियों को स्टाम्प शुल्क में 11.09 लाख रुपये की अनियमित माफी।

(प्रस्तर 5.2.9)

(iv) विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क 84.48 लाख रुपये का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.2.10)

(v) लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्माण की अनुसूचित दरों को लागू न करने के कारण स्टाम्प शुल्क 70.91 लाख रुपये का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.2.11)

(vi) यू. पी. स्टाम्प नियमावली 1942 के नियम 341 को गलत लागू किये जाने से स्टाम्प शुल्क 84.74 लाख रुपये का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.2.12)

(vii) नोएडा में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 1205 रुपये लाख का वसूल न किया जाना।

(प्रस्तर 5.2.13)

(viii) बाजार मूल्य के निर्धारण में विलम्ब।

(प्रस्तर 5.2.15)

(ix) शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम स्टाम्प वादों का निस्तारण।

(प्रस्तर 5.2.16)

(x) निर्धारित अवधि में स्टाम्प वादों को स्थापित करने में असफलता के कारण शासन को 57.39 लाख रुपये राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

प्रस्तर 5.2.17

(xi) स्थगन एवं अपील के कारण स्टाम्प शुल्क 1907 लाख रुपये की वसूली अवरुद्ध।

प्रस्तर 5.2.18

(xii) स्टाम्प शुल्क 3259 लाख रुपये का बकाया।

प्रस्तर 5.2.19

5.2.5 राजस्व का रुझान

स्टाम्प शुल्क के राजस्व का रुझान विगत पांच वर्षों में निम्नवत् रहा :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत
1992–93	489.78	460.47	(–) 29.31	(–) 6
1993–94	516.98	531.62	(+) 14.64	(+) 3
1994–95	588.18	631.54	(+) 43.36	(+) 7.3

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत
1995–96	647.66	734.78	(+) 87.12	(+) 13.50
1996–97	794.25	875.06	(+) 80.81	(+) 10.17

अ भवनों के मूल्यांकन में कमियां

5.2.6 स्टाम्प शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों को व्यक्त न किये जाने से राजस्व क्षति

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के अन्तर्गत किसी विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता, या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करने वाले अन्य सब तथ्य और परिस्थितयां उसमें सम्पूर्णतयां और सत्यतापूर्वक उल्लेख किये जायेंगे।

16 उपनिबंधक कार्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि भवनों से सम्बन्धित 51 लेखपत्रों का निबन्धन किया गया यद्यपि सम्पूर्ण एवं सत्यतापूर्वक तथ्य उल्लिखित नहीं किये गये थे। विलेखों में कमियों जैसे भवनों की उम्र तथा आच्छादित भूमि का पता लगाने में असफल रहने के फलस्वरूप कुल 99.36 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

5.2.7 भवन की भूमि का सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन न किये जाने से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अनुसार किसी जिले में स्थिति विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है।

18– उपनिबन्धकों द्वारा भवन की भूमि का सूची में अंकित दर के अनुसार मूल्यांकन न किये जाने के फलस्वरूप 17.18 लाख रुपये की हानि हुई

18 उपनिबंधकों, के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान देखा गया कि भवनों का अन्तरण से सम्बन्धित 31 लेखपत्रों को अवधि 1992 से 1996 में पंजीकृत किये गये थे जिसमें भवन की भूमि का जिलाधिकारी द्वारा अधिसूचित सर्किल रेट के

अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप 17.18 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

5.2.8 पट्टा अवधि की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, की अनुसूची 1 बी के अनुच्छेद 35 के अनुसार पट्टे या पट्टे के अनुबंध पर समान दरों पर ही स्टाम्प शुल्क देय है। स्टाम्प शुल्क आरोपित करने के लिये पट्टे की अवधि की गणना करते समय पट्टे की अवधि एवं पट्टे के अनुबंध की अवधि दोनों को मिला लिया जाता है।

9 उपनिबंधक कार्यालयों में बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के पक्ष में भवनों के पट्टे के 12 लेख पत्र निबन्धित किये गये थे परन्तु उपनिबंधकों द्वारा पट्टे की अवधि की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गयी। परिणामस्वरूप रु. 2.23 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

5.2.9 सहकारी आवास समितियों की स्टाम्प शुल्क में अनियमित छूट

सहकारी आवास समितियों की स्टाम्प शुल्क में अनियमित छूट के फलस्वरूप 11 लाख रुपये की हानि

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 1990 के अनुसार आवास सहकारी समितियों द्वारा भूमि के क्रय पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट 15 जुलाई, 1990 से वापस ले ली गयी है। यह देखा गया कि अवधि 1992–93 से 1995–96 में 3 उपनिबंधकों द्वारा सहकारी आवास समितियों के पक्ष में निष्पादित 19 लेखपत्रों को बिना स्टाम्प शुल्क लिये निबंधित किया गया। फलस्वरूप (कुल) 11 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट दी गयी।

5.2.10 लेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, के अन्तर्गत किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क विलेख में अभिलिखित संव्यवहार की विषय वस्तु या वास्तविक प्रकृति पर निर्भर करती है न कि निष्पादक द्वारा दिये गये आगम टाइटिल, विवरण या नामावली पर।

15 उपनिबंधकों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 84.78 लाख रुपये लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के 160 मामलों में कम आरोपित हुआ। विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	गलत वर्गीकृत लेखपत्रों की संख्या	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	गलत वर्गीकरण का प्रकार
1.	उपनिबन्धक–1 नोएडा	51	12.80	पट्टा अनुबन्ध के स्थान पर विक्रय अनुबन्ध
2.	उपनिबन्धक–2 नोएडा	41	20.79	तदैव
3.	उपनिबन्धक–3 नोएडा	32	11.94	तदैव
4.	उपनिबन्धक–1 गाजियाबाद	1	0.67	तदैव
5.	उपनिबन्धक–2 गाजियाबाद	5	2.03	तदैव
6.	उपनिबन्धक–3 गाजियाबाद	18	3.04	तदैव
7.	उपनिबन्धक–3 कानपुर	1	16.30	हस्तान्तरण के स्थान पर पट्टा
8.	उपनिबन्धक–1 बरेली	1	0.39	तदैव
9.	उपनिबन्धक मसूरी	1	4.93	हस्तान्तरण के स्थान पर दस्तबरदारी
10.	उपनिबन्धक–2 आगरा	1	0.26	हस्तान्तरण के स्थान पर मुख्तारनामा
11.	उपनिबन्धक–1 मुरादाबाद	1	3.99	तदैव
12.	उपनिबन्धक–1 इलाहाबाद	2	0.92	तदैव
13.	उपनिबन्धक–1 आगरा	1	3.29	हस्तान्तरण के स्थान पर तितिम्मा
14.	उपनिबन्धक–3 मेरठ	1	0.43	पट्टा के स्थान पर तितिम्मा
15.	उपनिबन्धक–1 आगरा	1	0.20	हस्तान्तरण के स्थान अनुबन्ध
16	उपनिबन्धक–1 मेरठ	1	2.26	तदैव
17	उपनिबन्धक–3 मेरठ	1	0.24	बन्धक के स्थान पर डिपाजिट ऑफ टाइटिललीड
	योग	**160**	**84.48**	

5.2.11 अनुसूचित दरों को न अपनाये जाने से भवनों का अवमूल्यांकन

भवनों के निर्माण में अनुसूचित दरों को न अपनाये जाने से 70.91 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपण

भवनों के बाजार मूल्य निर्धारण की विधि शासन के अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी, 1991 द्वारा "भूमि एवं निर्माण का अवमानित मूल्य" अपनाने के निर्देश जारी किया गया। जबकि लोक निर्माण विभाग की निर्माण अनुसूची दरों को परिषद् दिनांक 25 सितम्बर, 1991 द्वारा निर्माण मूल्यांकन का आधार बनाया गया।

36 उपनिबंधकों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 221 लेखपत्रों द्वारा भवनों का अन्तरण अवधि 1993 से 1996 में निबंधित किया गया था। जिसमें भवन के निर्माण का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्माण की अनुसूचित दरों के अनुसार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप कुल 70.91 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ

5.2.12 यू. पी. स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 341 का गलत प्रयोग

यू.पी. स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 341(3) के अनुसार स्टाम्प शुल्क की अदायगी के प्रयोजन से भवन का न्यूनतम बाजार मूल्य उस राशि से कम नहीं माना जायेगा जो निम्नलिखित गुणकों के आधार पर आगणित कर प्राप्त की जाये।

(क) जहां भवन पर भवन कर लगाया गया हो और स्वामी के कब्जे में हो या अंशतः या पूर्णतः किरायेदार को दिया गया हो, तो वास्तविक या निर्धारित वार्षिक किराया जो भी अधिक हो का –25 गुना।

किराया निर्धारण मानकों के प्रयोग न किये जाने एवं भवनों के गलत अनुमानित किराया माने जाने से 84.74 लाख रुपये का कम आरोपण

(ख) जब भवन पर भवन कर न लगाया गया हो और स्वामी के कब्जे में हो या पूर्णतया या अंशतः किरायेदारी में दिया गया हो तो वास्तविक या अनुमानित वार्षिक किराया में से जो भी अधिक हो का –25 गुना।

उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेसन आफ लेटिंग, रेन्ट एण्ड इविक्सन एक्ट, 1972* के अनुसार भवन का वार्षिक किराया भवन की लागत का 10 प्रतिशत होता है। 36 उपनिबंधकों के लेखापरीक्षा के

* उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग (रेगुलेशन ऑफ लेटिंग इविक्सन) एक्ट, 1972 के अन्तर्गत धारा 9–2–ए

दौरान देखा गया कि 210 विलेखों में किराया निर्धारण मानकों के प्रयोग न किये जाने एवं भवन के गलत अनुमानित किराया मानें जाने से 84.74 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

5.2.13 नोएडा में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना

यू. पी. अर्बन प्लानिंग एवं डेवलेपमेंट एक्ट,1973 की धारा 39(1) के प्राविधानों के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण के किसी विलेखपत्र पर आरोपित स्टाम्प शुल्क ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो किसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित हो, उस मूल्य पर प्रतिफल की राशि का 2 प्रतिशत अधिक होगा जिस पर उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाता है।

नोएडा में अचल सम्पत्तियों के अन्तरण के विलेख पत्र पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित न किये जाने से 12.05 करोड़ रुपये की हानि।

नोएडा के उपनिबंधकों की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि नोएडा विकसित क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कोई अरोपण नहीं किया गया। फलस्वरूप अप्रैल, 1993 से दिसम्बर, 1996 के दौरान पंजीकृत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर रु. 1205 लाख अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि 2 प्रतिशत की अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क चार राजस्व ग्रामों (हसनपुर–भावपुर, मोहिउद्दीन, कनवासी, छजारासी तथा मकनपुर) जो नोएड़ा क्षेत्र के प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र में स्थित है, पर लगाया गया है।

इंगित किये जाने पर आयुक्त स्टाम्प ने बताया कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नोएड़ा जैसे विकसित क्षेत्र में न लिये जाने का कारण जिला निबन्धक गाजियाबाद से सुनिश्चित किया जा रहा है।

5.2.14 अन्य रुचिकर बिन्दु

(i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 24 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार बन्धक या अन्य बार से प्रतिबंधित सम्पत्ति के विक्रय के मामले में बन्धक या कर के धन का अदा न किया गया भाग, मय उसके ब्याज के (यदि कोई हो) जो देय हो, विक्रय के प्रतिफल का भाग माना जायेगा। उपनिबंधक बरेली 1 एवं सहारनपुर 2 के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि प्रत्येक कार्यालय में एक लेखपत्र द्वारा औद्योगिक इकाई जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पक्ष मे बन्धक थी, का अन्तरण का निबन्धन किया गया। अदा न की गयी बन्धक की धनराशि को प्रतिफल में शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.56 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(ii) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, के अनुसूची 1 बी के अन्तर्गत अनुच्छेद 5 ('ख'–1) अचल सम्पत्ति के विक्रय के अनुबन्ध से सम्बन्धित है जहां संविदा के आंशिक अनुपालन में कब्जा दे दिया जाना स्वीकार किया गया हो या हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना, दे दिये जाने का करार किया हो, वही स्टाम्प शुल्क देय है जो हस्तान्तरण पत्र पर करार में दी गयी प्रतिफल की रकम के आधे पर प्रभार्य है।

उपनिबंधक 1, इलाहाबाद के लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि एक लेखपत्र द्वारा कुछ खुली जमीन सहित भवन के अन्तरण के इकरार का निबंधन, 4 व्यक्तियों के पक्ष में 100 रु. स्टाम्प शुल्क अदा करके किया गया। कुल प्रतिफल 8.35 लाख रुपये में से 8.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया। स्टाम्प शुल्क के न्यूनतम भुगतान हेतु कब्जा न दिये जाने का तथ्य लेखपत्र में स्थापित नहीं था और स्टाम्प शुल्क 0. 61 लाख रुपये का कम प्रभारित हुआ।

अभिलेखों का रख रखाव न किया जाना

(iii) लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया अक्टूबर, 1996 से मई, 1997 के निम्न कार्यालयों में कई अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था, विवरण निम्नवत है :–

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	अभिलेख जिसका रख रखाव नहीं हो रहा है	अभिलेखों के न रखे जाने की अवधि
1.	उपनिबन्धक–II आगरा	इन्डेक्स I एवं II	जनवरी 94
2.	उपनिबन्धक–I आगरा	–तदैव–	मार्च 95
3.	उपनिबन्धक–III आगरा	(अ) तदैव	जुलाई 95
		(ब) 47–ए(IV) से संदर्भित रजिस्टर	जुलाई 94
4.	उपनिबन्धक–III नोएडा	–तदैव–	मई 94
5.	उपनिबन्धक–III मेरठ	47(I) एवं (II) से संदर्भित रजिस्टर	जनवरी 93
6.	उपनिबन्धक–I अलीगढ़	इन्डेक्स I एवं II	जनवरी 97
7.	उपनिबन्धक–II इलाहाबाद	इन्डेक्स I एवं II	जनवरी 96

ब स्टाम्प वादों का लम्बित रहना

5.2.15 बाजार मूल्य के निर्धारण में विलम्ब

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 'ए' के अन्तर्गत निबन्धन प्राधिकारी को किसी विलेख जिस पर सम्पत्ति का बाजारी मूल्य प्रभार्य है, का निबन्धन करते हुए, विश्वास करने का कारण हो कि उस सम्पत्ति का, जो किसी विलेख का विषय हो, बाजारी मूल्य उस विलेख में सत्यता पूर्वक व्यक्त नहीं किया गया है तो वह विलेख का निबन्धन करने के बाद उस सम्पत्ति का बाजारी मूल्य और उस पर प्रभार्य उचित शुल्क निश्चित करने के लिये उसे कलेक्टर को सन्दर्भित कर सकता है। यू.पी. स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 349 के अनुसार कलेक्टर को सन्दर्भित विलेखों को जहां तक सम्भव हो तीन माह के अन्दर अधिनिर्णीत कर दिया जाना चाहिये।

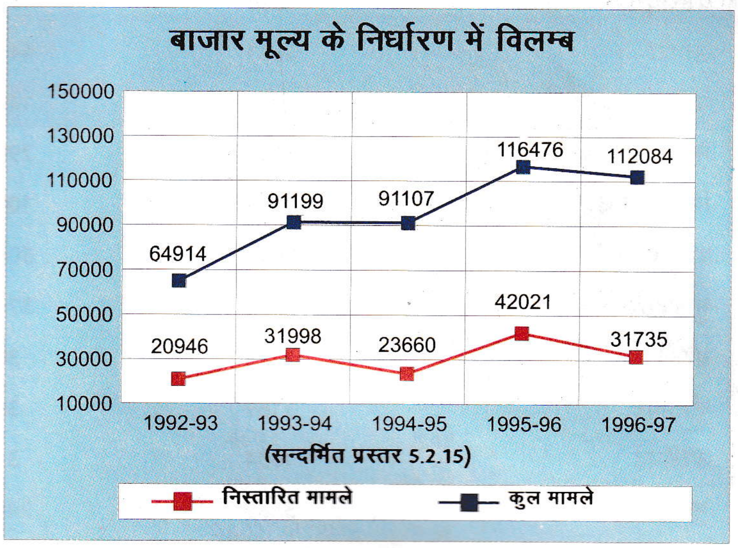

तथापि, वर्ष 1992–93 से 1996–97 की अवधि में 21 जनपदों में 80349 मामले, जो कलेक्टर को सन्दर्भित किये गये थे, अधिनिर्णीत नहीं किये गये थे, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका से सुस्पष्ट है:–

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष मे निर्धारण हेतु संदर्भित किये गये नए मामले	योग	मामले जो निस्तारित किये गये	वर्ष के अंत में अवशेष	कालम का प्रतिशत् (5 से 4 का)
1	2	3	4	5	6	7
1992–93	20536	44378	64914	20946	43968	32.26%
1993–94	43968	47231	91199	31998	59201	38.38%
1994–95	59201	31906	91107	23660	67447	25.97%
1995–96	67447	49029	116476	42021	74455	36.08%
1996–97	74455	37629	112084	31735	80349	28.31%

(ii) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, के अनुसूची 1 बी के अन्तर्गत अनुच्छेद 5 ('ख'–1) अचल सम्पत्ति के विक्रय के अनुबन्ध से सम्बन्धित है जहां संविदा के आंशिक अनुपालन में कब्जा दे दिया जाना स्वीकार किया गया हो या हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना, दे दिये जाने का करार किया हो, वही स्टाम्प शुल्क देय है जो हस्तान्तरण पत्र पर करार में दी गयी प्रतिफल की रकम के आधे पर प्रभार्य है।

उपनिबंधक 1, इलाहाबाद के लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि एक लेखपत्र द्वारा कुछ खुली जमीन सहित भवन के अन्तरण के इकरार का निबंधन, 4 व्यक्तियों के पक्ष में 100 रु. स्टाम्प शुल्क अदा करके किया गया। कुल प्रतिफल 8.35 लाख रुपये में से 8.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया। स्टाम्प शुल्क के न्यूनतम भुगतान हेतु कब्जा न दिये जाने का तथ्य लेखपत्र में स्थापित नहीं था और स्टाम्प शुल्क 0.61 लाख रुपये का कम प्रभारित हुआ।

अभिलेखों का रख रखाव न किया जाना

(iii) लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया अक्टूबर, 1996 से मई, 1997 के निम्न कार्यालयों में कई अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था, विवरण निम्नवत है :–

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	अभिलेख जिसका रख रखाव नहीं हो रहा है	अभिलेखों के न रखे जाने की अवधि
1.	उपनिबन्धक–II आगरा	इन्डेक्स I एवं II	जनवरी 94
2.	उपनिबन्धक–I आगरा	–तदैव–	मार्च 95
3.	उपनिबन्धक–III आगरा	(अ) तदैव	जुलाई 95
		(ब) 47–ए(IV) में संदर्भित रजिस्टर	जुलाई 94
4.	उपनिबन्धक–III नोएडा	–तदैव–	मई 94
5.	उपनिबन्धक–III मेरठ	47(I) एवं (II) में संदर्भित रजिस्टर	जनवरी 93
6.	उपनिबन्धक–I अलीगढ़	इन्डेक्स I एवं II	जनवरी 97
7.	उपनिबन्धक–II इलाहाबाद	इन्डेक्स I एवं II	जनवरी 96

1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च 1997 की अवधि में बकाया निर्धारण की कुल संख्या में 82.74 प्रतिशत (वर्ष 1992–93 के अन्त तक 43968 से वर्ष 1996–97 के अन्त तक 80349) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि विशेष रूप से इन तथ्यों के प्रकाश में चौकाने वाली है कि वर्ष में नये मामलों की संख्या जो निर्धारण के लिये अपेक्षित था, वर्ष 1992–93 से वर्ष 1996–97 तक गिरावट पर रहा।

स्टाम्प वादों के रैण्डम नमूना जांच से यह स्पष्ट है कि लम्बित वादों में निहित रु. 1299 लाख स्टाम्प शुल्क वसूल न किया जा सका। विवरण निम्नवत् हैः–

(रुपये लाख में)

जिला स्टाम्प अधिकारी	लम्बित वादों की सम्पूर्ण संख्या	नमूना लिये गये मामलों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
देहरादून	806	127	150
आगरा	3081	441	188
गाजियाबाद	9035	145	294
मेरठ	4024	293	76
फिरोजाबाद	3891	101	15
रामपुर	2084	505	57
मुजफ्फरनगर	2788	374	46
बरेली	2298	30	17
सीतापुर	1169	38	10
अलीगढ़	1634	31	14
मुरादाबाद	5589	248	43
गोरखपुर	4807	451	53
बुलन्दशहर	4079	698	118
नैनीताल	738	190	54
इलाहाबाद	1850	48	25
सहारनपुर	853	97	40
हरिद्वार	903	47	04
आजमगढ़	3318	945	87
फैजाबाद	1417	53	08
योग	**54364**	**4862**	**1299**

5.2.16 स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिये मानक/कोटा

शासन ने, स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण हेतु, सब डिवीजनल आफिसर के स्तर तक के दूसरे अधिकारियों को, कलेक्टर के अधिकारों को प्रदत्त किया था। विभाग ने प्रत्येक स्टाम्प कलेक्टर द्वारा 200 वाद प्रतिमाह निस्तारित करने का मानक निर्धारित किया है एवं जिला स्टाम्प अधिकारी से जिले के सभी स्टाम्प कलेक्टरों द्वारा स्टाम्प वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में, प्रारूप संख्या 8 में प्रतिमाह एक विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।

नीचे दी गयी तालिका, कलेक्टर स्टाम्प द्वारा स्टाम्प वादों के निस्तारण की गति एवं लक्ष्य के विरुद्ध निष्पादन का प्रतिशत, प्रदर्शित करती है :—

जिला	कलेक्टर स्टाम्प की संख्या	स्टाम्प वादों का निस्तारण	निष्पादन का प्रतिशत	अवधि
कानपुर	17	1878	7.89	4/96 से 10/96
देहरादून	6	565	7.85	4/96 से 9/96
आगरा	12	1947	13.52	—तदैव—
गाजियाबाद	7	382	4.55	—तदैव—
मेरठ	11	2804	15.93	4/96 से 11/96
फिरोजाबाद	7	294	3.50	4/96 से 9/96
रामपुर	7	460	5.47	—तदैव—
मुजफ्फरनगर	8	983	10.24	—तदैव—
वाराणसी	15	1507	8.37	—तदैव—
बरेली	9	957	8.97	—तदैव—
सीतापुर	8	424	4.42	—तदैव—
अलीगढ़	13	1482	9.50	—तदैव—
मुरादाबाद	18	3299	15.27	—तदैव—
गोरखपुर	12	722	5.01	—तदैव—
बुलंदशहर	8	1341	13.97	—तदैव—
नैनीताल	3	92	2.55	—तदैव—
इलाहाबाद	11	812	6.15	—तदैव—
सहारनपुर	6	2254	31.30	—तदैव—
हरिद्वार	3	625	17.63	—तदैव—
आजमगढ़	9	543	5.03	—तदैव—
फैजाबाद	5	357	5.95	—तदैव—

पिछले पृष्ठ पर दिये गये आंकड़ों के अवलोकन से प्रदर्शित होता है कि स्टाम्प वादों का निस्तारण शासन/विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत कम है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कलेक्टरों ने उत्तर दिया कि प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण उनके द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उनके द्वारा स्टाम्प वादों को मानक स्तर से कम निस्तारण किये जाने से कलेक्टर स्टाम्प के प्रमुख कार्य की अवहेलना हुई।

5.2.17 स्टाम्प वादों को चार वर्ष के अन्दर स्थापित दर्ज न किये जाने से राजस्व की क्षति

स्टाम्प वादों के चार वर्ष के अन्दर स्थापित (दर्ज) न किये जाने से 57.39 लाख रुपये की हानि

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47('ए' 4)के अन्तर्गत कलेक्टर स्वयमेव या संदर्भ हेतु प्रधिकृत किसी अधिकारी के संदर्भ पर ऐसे विलेख को, जिस पर सम्पत्ति के बाजारी मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, और जो उपधारा (1)या उप धारा (2) के अधीन उसको पहले सन्दर्भित न किया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चार वर्ष के अन्दर उप धारा (3) में बतायी गयी विधि से सम्पत्ति का बाजारी मूल्य या उस पर देय शुल्क निश्चित कर सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा 10* जिला स्टाम्प अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 795 मामलें बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निबन्धन अधिकारियों द्वारा सन्दर्भित किये गये लेखपत्रों के निबंधन की तिथि से चार वर्षों के अन्दर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। चार वर्षों के अन्दर, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है, कोई कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने में असफलता ने जिला स्टाम्प अधिकारियों की कार्यवाही को काल वाधित किया, परिणामस्वरूप शासन को निबंधन/संदर्भित अधिकारियों द्वारा इंगित किये गये 57.30 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क से वंचित होना पड़ा।

5.2.18 स्थगन एवं अपीलों के कारण स्टाम्प शुल्क की लम्बित वसूली

विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1907 लाख रुपये स्थगित है तथा कर्मचारियों की कमी के कारण पुनरीक्षण/अपीलेट अधिकारियों के सम्मुख विभाग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं था।

कोई व्यक्ति लेखपत्र में स्टाम्प शुल्क की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध होकर मण्डलीय आयुक्त, राजस्व परिषद् के न्यायालयों में पुनरीक्षण रिवीजन एवं माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। पुनरीक्षण/अपील प्राधिकारी इस प्रकार के आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित कर सकते हैं।

* गाजियाबाद (6), फिरोजाबाद (480), बरेली (161), सीतापुर (1), अलीगढ़ (7), मुरादाबाद (3), नैनीताल (1), इलाहाबाद (50), सहारनपुर (24), फैजाबाद (62)।

नमूना जांच एवं 20 जिलों से एकत्र किये गये (अक्टूबर 1996 से मार्च 1997) तक आंकड़ों से पता चला कि 1907 लाख रुपये विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित है। फिर भी, महानिरीक्षक निबंधन द्वारा स्वीकार किया गया था (मार्च 1997) कि स्टाम्प विभाग में कर्मचारियों की कमी (26 स्वीकृत पदों के स्थान पर 19 कर्मचारी कार्यरत थे) के कारण पुनरीक्षण/अपीलेट अधिकारियों के सम्मुख विभाग का प्रतिनिधित्व प्रर्याप्त नहीं था।

स्टाम्प अधिनियम में पुनरीक्षण/अपील की विचाराधीनता की अवधि में शासन के राजस्व हित की सुरक्षा का काई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि व्यापार कर विभाग में, विवादित कर के धनराशि का 1/3 भाग स्थगन की अनुमति देने के पूर्व, प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जाता है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में, वाद दायर होने के पूर्व इस प्रकार की जमानत की धनराशि का, जमा कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

विभाग ने दिनांक 17 जनवरी, 1997 के एक परिपत्र में सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वि. एवं रा.) एक उप/सहायक आयुक्त, स्टाम्प के वादों जिसमें रु. 50000 या अधिक की धनराशि वसूली योग्य थी, का विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, जिससे कि पुनरीक्षण/अपीलेट न्यायालय में स्थगन प्रदान किये जाते समय आपत्ति हेतु विभाग द्वारा कैबिएट दाखिल किया जा सके।

5.2.19 स्टाम्प शुल्क का बकाया

विलम्बित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का प्रावधान अधिनियम में न होने पर भी 32.59 लाख रुपये की बसूली का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया

न्यायालयों द्वारा स्थगित वसूली के अतिरिक्त, नमूना जांच एवं 21 जनपदों से एकत्र किये गये आंकडों से पता चला कि कलेक्टर द्वारा उनकों सन्दर्भित वादों के सम्बन्ध में आरोपित स्टाम्प शुल्क निबंधन फीस तथा अर्थदण्ड 32.59 करोड़ रुपये वसूली हेतु लम्बित थे।

समय के व्यतीत होने के साथ धन के अवमूल्यन की क्षतिपूर्ति करने के लिये राज्य आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत विलम्बित भुगतानों पर दण्ड रूप ब्याज का प्रावधान किया गया है परन्तु इस प्रकार की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु स्टाम्प अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। 32.59 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वसूली प्रमाण–प्रत्रों से आच्छादित है, परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा वसूली को प्रभावित करने वाली कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

5.2.20 आन्तरिक नियंत्रण उपायों का पालन न किया जाना

आन्तरिक नियंत्रण उपाय विभाग के प्रभावशाली एवं कुशल कार्यकलाप को सुनिश्चित करता है, एवं कर तथा शुल्क के अपवंचन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं का पता चला :–

(i) राजस्व परिषद् ने दिनांक 15 जनवरी, 1998 के एक परिपत्र द्वारा सभी निबन्धन प्राधिकारियों को धारा 47 'ए' के अन्तर्गत सन्दर्भण रजिस्टर के रख रखाव हेतु निर्देशित किया गया था, जो रखा नहीं जा रहा था।

(ii) निबन्धन प्राधिकारी द्वारा सन्दर्भित वादों के सम्बन्ध में जिला निबन्धक तथा जिला स्टाम्प अधिकारी के अभिलेखों का मिलान नहीं किया जा रहा है।

(iii) स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में पुनरीक्षण एवं अपील एवं सरकारी राजस्व हित के प्रतिवाद के लिये सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है।

(iv) विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा की पद्धति विद्यमान है किन्तु इसका क्षेत्राधिकार उप निबंधक कार्यालयों तक सीमित है। जिला स्टाम्प अधिकारियों के कार्यालय का आंन्तरिक लेखापरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जहां स्टाम्प शुल्क का लंम्बन निहित है।

मामला शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया है (सितम्बर 1977), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1977)।

F-145

5.3 उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों का महानगरों में निबन्धन

5.3.1 परिचय

अधिनियम से अनुबद्ध अनुसूची 1,1–अ एवं 1–ब में दिये गये विभिन्न अनुच्छेदों के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के अन्तर्गत विलेख पत्र पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है। किसी अन्तरण विलेख में सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा विलेख पत्र में उल्लिखित मूल्य, जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। निबन्धन अधिनियम, 1908 की धारा 30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारत के किसी भी भाग में स्थित सम्पत्ति को जिससे विलेख–पत्र सम्बन्धित है, विचार किये बिना उन जिलों के निबंधक जहां महाप्रान्तीय नगर स्थित हैं तथा दिल्ली का निबन्धक, निबन्धन अधिनियम की धारा 28 में संदर्भित किसी भी विलेख–पत्र को प्राप्त एवं निबंधित कर सकता है।

इन जिलों के निबन्धकों से यह अपेक्षित है कि हस्तान्तरित सम्पत्ति जहां स्थित है उस जिले के सम्बन्धित निबन्धक को सम्पत्ति के निबन्धन सम्बन्धी सूचना प्रेषित करें।

5.3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भारत के किसी भी भाग में स्थित हस्तान्तरित सम्पत्ति को 4 महानगरों यथा–दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, एवं चेन्नई में निबन्धित करने की, निबन्धन अधिनियम, 1908 की धारा 30 एक विशेष स्थित उत्पन्न करती है। उत्तर प्रदेश में स्थित किन्तु मुम्बई एवं दिल्ली में निबन्धित की जा रही सम्पत्ति के सामान्य कारणों जैसे स्टाम्प शुल्क के अपवंचन, अत्यधिक मूल्यवान सम्पत्ति पर कम स्टाम्प शुल्क निर्धारित करने आदि का पता लगाने हेतु मई–सितम्बर 1997 में एक समीक्षा की गयी कि इस उद्देश्य से 13* जिला निबन्धकों एवं जिला स्टाम्प अधिकारियों कार्यालयों में वर्ष 1992 से 1996 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी थी।

5.3.3. संगठनात्मक ढांचा

महानिरीक्षक निबन्धन, निबन्धन विभाग का संगठनात्मक प्रमुख होता है। वह राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त सचिव के साथ–साथ स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश भी होता है। उनके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी के रूप में मनोनीत अन्य अधिकारियों द्वारा निर्णित किये जाते हैं।

5.3.4 मुख्य अंश

(i) सक्षम प्राविधान के विलोप के बाद महानगरों में सम्पत्तियों के अवैधानिक निबन्धन के फलस्वरूप 9.35 करोड़ रुपये की हानि।

(प्रस्तर 5.3.1)

(ii) महानगरों में निबन्धित विलेख-पत्रों के उपलब्ध न कराने से 7.00 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क की हानि।

(प्रस्तर 5.3.2)

(iii) नियमों के अनुपालन न करने से 4.28 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि।

(प्रस्तर 5.3.3)

---

* (1) हरिद्वार, (2) सहारनपुर, (3) आजमगढ़, (4) वाराणसी, (5) जौनपुर, (6) मिर्जापुर, (7) बरेली, (8) मेरठ, (9) गाजियाबाद, (10) मथुरा, (11) कानपुर, (12) देहरादून, (13) लखनऊ

5.3.5 सम्पत्ति का अवैध निबन्धन

शासन ने दिनांक 1 अक्टूबर, 1994 को अधिसूचना निर्गत कर उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों का 4 महानगरों में निबंधन रोक दिया था। फिर भी मामलों का निबंधन किये जाने के फलस्वरूप 9.35 करोड़ रुपये की हानि हुई

उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी अधिसूचना संख्या दिनांक 23 सितम्बर, 1994 में कहा है कि निबन्धन अधिनियम, की धारा 30 की उपधारा (2) को उत्तर प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में विलुप्त माना जाये। यद्यपि उत्तर प्रदेश विधान–सभा ने आवश्यक संशोधन निबन्धन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27) पारित कर दिया तथा तत्पचात् उत्तर प्रदेश शासन ने एक अधिसूचना निर्गत किया। यह पाया गया कि 9.35 करोड़ रुपये के निहित स्टाम्प शुल्क के प्रकरण अवैधानिक निबन्धित हुए। कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुलग्नक (अ) में सूचीबद्ध हैं। इंगित किये जाने पर विभाग ने स्वीकार किया कि 1 अक्टूबर, 1994 के बाद लेख पत्रों का पंजीयन अनियमित है। पुनः जांच से पता चला कि महानिरीक्षक (निबन्धन) ने महानिरीक्षक निबन्धन, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व दिल्ली को विलेख के सम्बन्ध में सूचित किया था और अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति का पंजीयन बन्द किया जाये। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस परिवर्तन एवं इसके प्रभाव के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया जिससे ऐसे लेखपत्रों का महानगरों में 1 अक्टूबर, 1994 के बाद पंजीयन बन्द किया जा सके। पुनः जांच से पता चला कि निबन्धन अधिनियम की धारा में छूट के कारण 5 मामलों में दाखिल खारिज कर दिया गया।

5.3.6 बिलेख पत्रों को प्रेषित न करने से स्टाम्प शुल्क की हानि

4 महानगरों में निबंधित विलेख पत्रों की प्रतियां सम्बन्धित जिला निबंधकों को प्राप्त नहीं हुई। जिसके फलस्वरूप सम्पत्तियों के पुनर्मुल्यांकन/कमी स्टाम्प शुल्क 7 करोड़ रुपये कम आरोपित हुआ

13 जिला निबन्धकों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि जो बिलेख–पत्र 4 महानगरों में संशोधन के पूर्व में निबन्धित हुए थे, उनके विलेख कार्यालयों में प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार धारा 19–अ (1) एवं (2) के प्राविधानों को लागू नहीं किया जा सका, और उत्तर प्रदेश शासन को 7.00 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति उठानी पड़ी। महत्वपूर्ण मामले अनुलग्नक 'ब' में दर्शाए गये हैं।

13 जिला निबन्धक कार्यालयों में विलेखों की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। जिससे सही मूल्यांकन नही हो पाया है। विभाग ने अपने उत्तर में सूचित किया कि विलेख–पत्रों की प्रतियां प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा और उसके उपरान्त सम्पत्तियों का उचित मूल्यांकन किया जायेगा।

5.3.7 नियमों के अनुपालन न करने से राजस्व की क्षति

(i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 6 'अ' (1–'अ') के साथ पठित धारा 19 'अ'(1) के अनुसार, जब कोई विलेख–पत्र पर इस अधिनियम अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के किसी भाग में स्टाम्प शुल्क देय होता है और उसके उपरान्त विलेख–पत्र पर उच्चतर दर पर शुल्क देय हो जाता है तब विलेख–पत्र पर स्टाम्प शुल्क राज्यों में दिये गये स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो को घटाकर देय होगा तथा चिपकाये गये स्टाम्प, यदि कोई पहले से चिपकाया गया हो, के अतिरिक्त ऐसे विलेख–पत्रों पर उसी तरह से और उसी समय पर तथा उसी व्यक्ति द्वारा उपबन्ध (1) के अधीन देय आवश्यक धनराशि के स्टाम्प, जब उस पर उच्चतर दर पर स्टाम्प देय होते हैं, चिपकाए जायेंगे जैसा कि इन विलेख–पत्रों को राज्यों में प्रथम बार प्राप्त करने पर किया गया था।

13 निबन्धकों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि चार महानगरों में निबंधित विलेख–पत्र सम्बन्धित जिलों में प्राप्त हुए थे, किन्तु सम्बन्धित निबन्धक इन पर तेजी से अपेक्षित कार्यवाही करने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप 4.28 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुलग्नक 'स' में दर्शाए गये हैं।

लेखापरीक्षा की आपत्ति के उत्तर में कहा गया कि प्राप्त हुए लेखपत्र सही कर निर्धारण के लिये लम्बित थे एवं सम्बद्ध विक्रेताओं को सही कर निर्धारण के उपरान्त सूचित किया जायेगा। विभागीय उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि लेखपत्र प्राप्त होने के 1 वर्ष से अधिक समय के बीत जाने के पश्चात् सम्बद्ध विक्रेताओं को पहली नोटिस भी नहीं जा सके।

जिला निबंधन कार्यालयों में प्राप्त विलेख पत्रों की प्रतियों पर पुनर्मूल्यांकन कमी स्टाम्प शुल्क की कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप 4.28 करोड़ रुपये की हानि

5.3.8 निबन्धन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न करना

निबन्धन अधिनियम, 1908 की धारा 67 यह प्राविधान करती है कि धारा 30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई विलेख–पत्र निबन्धित होने पर विलेख–पत्र तथा संलग्नकों और उस पर लगे प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रत्येक उस निबन्धक को भेजी जोयेगी जिसके जिले में सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित हो तथा उपरोक्त धारा 66 के अनुसार ऐसी प्रति को प्राप्त करेने वाला निबन्धक इन असाक्ष्य विलेख–पत्रों को निबन्धित करके प्रत्येक उप–निबन्धकों को इन विलेख–पत्रों का ज्ञापन प्रेषित करेगें, जिनके उप–जिला में सम्पत्ति का कोई भाग स्थित हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि निबंधक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 19–'अ' (1) एवं (2) के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्यांकन करके उस पर कम दिये गये स्टाम्प शुल्क की वसूली करने के उपरान्त ही विलेख–पत्र निबन्धित करेंगे।

जिला निबन्धक, लखनऊ की लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि लखनऊ में स्थित सम्पत्तियों को जो 107 विलेख पत्र मुम्बई में निबन्धित किये गये थे उन्हें धारा 19–अ (i) एवं (ii) कम स्टाम्प शुल्क की वसूली एवं धारा 66 के अन्तर्गत जिला निबन्धक द्वारा विलेख पत्रों का निबंधन (पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली) की कार्यवाही किये बिना सम्बन्धित क्षेत्रों के उप–निबंधकों को भेज दिया गया। जैसा कि अनुलग्नक "द" में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा की आपत्ति के उत्तर में जिला निबन्धक, लखनऊ (मई, 1997) ने बताया कि स्थल सत्यापन के उपरान्त टिप्पणी हेतु विलेख–पत्र उप–निबंधकों को भेजे गये थे। वापस प्राप्त होने पर विलेख–पत्रों को जिला स्टाम्प अधिकारी, लखनऊ को उनके स्तर पर उचित कार्यावाही हेतु भेज दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार जिला निबन्धकों एवं जिला स्टाम्प अधिकारी से अपेक्षित है कि सम्बन्धित उप–निबन्धकों को संदर्भित किये बिना ही सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण करें एवं स्टाम्प शुल्क की कमी, यदि कोई हो, की वसूली करें।

मामला शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 1997), उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है।

1,2,3,8,16,35,48,81,92,93,94,95, 97,106,107,1026, 7,131 and 132

5.4 कृषि–इतर भूमि का अवमूल्यन के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत, किसी हस्तान्तरण विलेख का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अनुसार किसी जिले में स्थिति विभिन्न वर्गों की भूमि की बाजार दरें, निबन्धन प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निधारित की जाती है।

भूमि के अवमूल्यांकन के कारण 22.51 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

लेखा परीक्षा में 18 उपनिबन्धक, कार्यालयों के अभिलेखों की जांच (अवधि सितम्बर 1990 तथा जनवरी 1997) में पाया गया कि स्टाम्प शुल्क रु. 22.51 लाख का कम आरोपण जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित दर से मूल्यांकन न करने के कारण हुई।

सम्परीक्षा में इंगित करने पर सम्बन्धित कलेक्टरों ने (जनवरी 1997 तथा जून 1995) में स्टाम्प शुल्क तथा अर्थदण्ड के रूप में दो मामलों में 6.62 लाख रुपये आरोपित किया। वसूली के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 1997)।

मामला, विभाग तथा शासन को (मार्च 1991 व मार्च 1997) के मध्य प्रतिवेदित किया गया परन्तु उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

5.5 विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण

विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण 40.34 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

4 उपनिबंधन कार्यालयों के लेखा परीक्षा में (दिसम्बर 1994 व दिसम्बर 1996 के मध्य) प्रकाश में आया कि विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण रु. 40.34 लाख स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ। विवरण इस प्रकार है।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	निबन्धक कार्यालय का नाम	स्टाम्प शुल्क आरोपणीय	स्टाम्प शुल्क आरोपित	स्टाम्प शुल्क कम आरोपित	टिप्पणी
1	उप निबन्धक नानपारा (बहराइच)	1.63	0.09	1.54	निस्तारित विलेख को ट्रस्ट विलेख माना गया
2	उप निबन्धक निघासन (लखीमपुर खीरी)	29.70	केवल रु. 190.00	29.70	हस्तान्तरण को रिलीज माना गया
3	उप निबन्धक पीलीभीत	1.55	केवल रु. 100.00	1.55	हस्तान्तरण को अधिकार प्रमाण-पत्र मानने से
4	उप निबन्धक–III वाराणसी	7.60	0.05	7.55	हस्तान्तरण को पट्टा मानने से
	योग			**40.34**	

मामला विभाग तथा शासन को (नवम्बर 1996 तथा फरवरी 1997), में प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

संलग्नक

संलग्नक क

प्रस्तर 5.3.5 में संदर्भित
अधिनियम में प्रावधान के समाप्त होने के उपरान्त भी महानगरों में अनियमित पंजीयन

(रुपये में)

क्रम संख्या	विलेख पत्र संख्या प्रस्तुत करने की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य	देय स्टाम्प शुल्क
1	आर–3/पी.बी.बी.बी. 28–3–95	खसरा न. 622 खुशलगंज, लखनऊ 55 बीघा 17 बिस्वा 15,20237 वर्ग फीट दर 66 रुपये/प्र.व.फु.	100385642	14548668 +5000
2	आर–3/पी.बी.बी.बी.–1 23.9.95	खसरा न. 622 खुशलगंज, लखनऊ 14 बीघा 381080 वर्ग फीट दर 66 रुपये/प्रतिवर्ग फुट	25151280	3646936 +5000
3	आर–3पी.बी.बी.बी.–5 24.8.95	खसरा न. 237.237 (5–अ) अनौरा, लखनऊ12,249 वर्ग फिट 110 रुपये/प्रतिवर्ग फुट की दर से	1347390	195372 +5000
4	आर–3/पी.बी.बी.बी.–5 24.8.95	5444 वर्ग फीट खसरा न.–4 बिस्वां 229,229/1, अनौरा लखनऊ दर 110 रुपये/ प्रतिवर्ग फीट	598840	86832 +5000
5	आर–3/पी.बी.बी.बी.–5 28.8.95	खसरा न. 218,245,246, अनौरा 36 बीघा 1 बिस्वां 1 बिस्वांसी, लखनऊ 981349 वर्ग फीट दर 110 रुपये/ प्रतिवर्ग फीट	1079483901	15652517 +5000
6	आर–3/पी.बी.बी.बी.–5 24.8.95	6,329 वर्ग फीट खसरा न. 217,345 अनौरा 4 बिस्वां 13 बिस्वांसी लखनऊ दर 110 रुपये/ प्रतिवर्ग फीट	696190	100948 +5000
7	आर–3/पी.बी.बी.बी.–5 24.8.95	2314 वर्ग फीट खसरा न. 214,244 अनौरा 1 बस्वां 14 बिस्वांसी लखनऊ, दर 110 रुपये प्रतिवर्ग फीट	468000	67860 +5000

(रुपये में)

क्रम संख्या	विलेख पत्र संख्या प्रस्तुत करने की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य	देय स्टाम्प शुल्क
8	आर–3/पी.बी.बी.बी.–5 24.8.95	24838 वर्ग फीट खसरा न. 242,243 अनौरा 18 बिस्वां 5 बिस्वांसी लखनऊ दर 110 रुपये/प्रतिवर्ग फीट	2732180	396166 +5000
9	आर–3/पी.बी.बी.बी.–5 24.8.95	3539 वर्ग फीट खसरा न 226,232 एवं 237 अनौरा 2 बिस्वां 12 बिस्वांसी लखनऊ दर 110 प्रतिवर्ग फीट	498125	72228 +5000

संलग्नक ख

प्रस्तर 5.3.6 में संदर्भित

महानगरों में पंजीकृत विलेखों का इस प्रान्त में प्राप्त न होना

(रुपये में)

क्रम संख्या	विलेख पत्र संख्या प्रस्तुत करने की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का मूल्य	देय शुल्क	दिया गया शुल्क	कमी स्टाम्प शुल्क
1.	बी.बी.बी. 246/93 10.5.93	बंगला नं 97 सर्वे सं0 454 कैण्ट एरिया कानपुर 5773.16 वर्ग मी. दर 3600 रुपये/वर्ग मीटर	21283376	3086090 +5000	22000 +5000	3064090
2.	पी.–बी.बी.बी. 119/95 **30.3.95**	1025344 वर्ग फीट दर 30 रुपये, खुशलगंज लखनऊ	61520640	8920545	37240	8883305
3.	पी.–बी.बी.बी. 127/95 **31.3.95**	34272 वर्ग फीट दर 30रुपये, खुशलगंज, लखनऊ	20563200	2981780	37240	2944540
4.	119/95 30.3.95	1025344 वर्गफीट दर 60 रुपये, खुशलगंज, लखनऊ	61520640	8920545	37240	8883305
5.	127/95 31.3.95	342720 वर्गफीट दर 60 रुपये, खुशलगंज, लखनऊ	20563200	2981780	37240	2944540
6.	पी.–बी.बी.बी. 396/92 2.6.92	24975, 1 वर्गफीट दर 75 रुपये, मंसूरनगर लखनऊ	18731325	2716140	–	2716140
7.	पी.–बी.बी.बी. 165/92 1.9.92	13745वर्गफीट दर 175 रुपये, आलमबाग लखनऊ	21649320	3139250	5880	3139250

(रुपय में)

क्रम संख्या	विलेख पत्र संख्या प्रस्तुत करने की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का मूल्य	देय शुल्क	दिया गया शुल्क	कमी स्टाम्प शुल्क
8.	पी.–बी.बी.बी. 1403/96 28.11.96	251785 वर्ग फीट दर 100 रुपये अहिबरनपुर, लखनऊ	22644000	3283380	2000	3281380
9.	पी.–बी.बी.बी. 581/96 27.3.96	72400 वर्ग फीट दर 110 रुपये अनौरा लखनऊ	7964000	1154780	39600	1115180
10.	पी.–बी.बी.बी. 1378/96 20.11.96	178642 वर्ग फीट दर 75 रुपये, कंचनपुर मटियारी, लखनऊ	13398150	1942855	19000	1923855
11.	पी.–बी.बी.बी. 1124/96 31.8.96	17568 वर्ग फीट दर 160 रुपये, अशरफाबाद, लखनऊ	2810880	408755	7400	4013555
12.	पी.–बी.बी.बी. 1032/96 6.8.96	489600 वर्ग फीट दर 35 रुपये, चकनाली, लखनऊ	17136000	2484720	8000	2476720
13.	पी.–बी.बी.बी. 1436/96 21.6.96	190 बीघा, दर 300000 रुपये मजरापारा, लखनऊ	57000000	8265000	5400	8259600

संलग्नक ग

प्रस्तर 5.3.7 में संदर्भित

उत्तर प्रदेश में प्राप्त मामलों का मूल्यांकन न होना

(रुपये में)

क्रम संख्या	विलेख पत्र संख्या प्रस्तुत करने की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का मूल्य	देय शुल्क	दिया गया शुल्क	कमी स्टाम्प शुल्क
1.	1724/93 24.11.93	8855वर्गमी. ग्राम–बेरी अकबरपुर बाजार कानपुर दर 250 रुपये/वर्गमीटर	2213750	320994 +251	3000 +10	318145
2.	1757/93 3.12.93	11891वर्गमी. कल्यानपुर कलां लाटूश रोड, कानपुर दर 300 रुपये/वर्ग मीटर	3567300	517259 +251	3000 +100	514410
3.	555/93 26.3.93	हाता संख्या 80/20 कोपरगंज,कानपुर, 1बीघा 4 बिस्वा 5 बिस्वांसी+ 61 कमरा दर 100/रुपयेमाह 25 वर्ष तक	1830000	265350 +251	13050 +100	252451
4.	1432/93 6.10.93	20240वर्ग मी. (8 बीघा) बेरी, अकबरपुर, कानपुर 250रुपये/वर्ग मीटर	5060000	733700 +251	4800 +100	729151
5.	1274/94 13.6.94	15500वर्गमी. वागं डाड़ी कछार कानपुर दर 675 रुपये/वर्ग मी.	10462500	1517063 +251	5000 +100	1512214
6.	पी.–बी.बी.बी. 38/94 **4.8.94**	68050वर्ग फीट खसरा नं.–80 ग्राम–बेगरिया, लखनऊ (2–10–0 बीघा) दर 30रुपये प्रति/वर्गफीट	2041500	296018	12000	284018
7.	34/94 6.8.94	बरौरा हुसेनबाड़ी, लखनऊ 52632वर्गफीट दर 60रुपये	3157920	457898	8600	449298

(रुपये में)

क्रम संख्या	विलेख पत्र संख्या प्रस्तुत करने की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का मूल्य	देय शुल्क	दिया गया शुल्क	कमी स्टाम्प शुल्क
8.	33/94 6.8.94	ग्राम–बेगरिया, लखनऊ खसरा न.–80 61200 वर्गफीट दर 30 रुपये	1836000	266220	12000	254220
9.	2252/93 6.10.93	8 बीघा बेरी, अकबरपुर बाजार, कानपुर दर 250,000/एकड़ का दूना	2500000	362500 +251	4800 +112	357839
10.	6015/93 3.12.93	4–14–01470000 कल्यानपुर कलां, कानपुर दर 250,000 रुपये का दूना	213150	3000 +251	210289 +112	
11.	6014/93 3.12.93	1890वर्गमीटर बड़ा सिरोही, कानपुर दर 900 रुपये/वर्ग मीटर	1701000	246645 +251	1000 +112	245834
12.	5400/94 13.6.94	1.55 हेक्टेयर या 15500वर्ग मीटर बगदोदी कछार, कानपुर दर 675रुपये/वर्ग मीटर	10462500	1517063 +251	5000 +112	1512202

संलग्नक घ

प्रस्तर 5.3.8 में संदर्भित

प्राप्त मामलों को उपनिबन्धक कार्यालयों में भेजा जाना

क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या	क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या	क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या	क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या
1.	340/93	2.	277/94	3.	29/95	4.	30/95
5.	31/95	6.	32/95	7.	33/95	8.	34/95
9.	99/95	10.	108/95	11.	111/95	12.	112/95
13.	119/95	14.	109/95	15.	127/95	16.	133/95
17.	134/95	18.	141/95	19.	155/95	20.	129/95
21.	120/95	22.	131/95	23.	132/95	24.	202/95
25.	253/95	26.	258/95	27.	263/95	28.	264/95
29.	265/95	30.	266/95	31.	267/95	32.	264/95
33.	277/95	34.	330/95	35.	399/95	36.	400/95
37.	401/95	3 8.	402/95	39.	403/95	40.	405/95
41.	406/95	42.	407/95	43.	408/95	44.	409/95
45.	410/95	46.	411/96	47.	412/95	48.	413/95
49.	414/95	50.	415/95	51.	416/95	52.	482/95
53.	483/95	54.	484/95	55.	485/95	56.	552/95
57.	553/95	58.	560/95	59.	561/95	60.	562/95
61.	317/95	62.	318/95	63.	324/95	64.	325/95
65.	326/95	66.	422/95	67.	423/95	68.	424/95
69.	427/95	70.	636/95	71.	637/95	72.	638/95
73.	639/95	74.	640/95	75.	641/95	76.	642/95

क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या	क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या	क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या	क्रम संख्या	लेखपत्र संख्या
77.	643/95	78.	644/95	79.	645/95	80.	646/95
81.	647/95	82.	648/95	83.	649/95	84.	650/95
85.	686/95	86.	718/95	87.	663/95	88.	662/95
89.	688/95	90.	689/95	91.	690/95	92.	691/95
93.	692/95	94.	693/95	95.	694/95	96.	695/95
97.	721/95	98.	722/95	99.	735/95	100.	736/95
101.	737/95	102.	738/95	103.	739/95	104.	740/95
105.	741/95	106.	742/95	107.	743/95		

अध्याय 6

भू–राजस्व

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	147
6.2	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	148

अध्याय 6

भू–राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

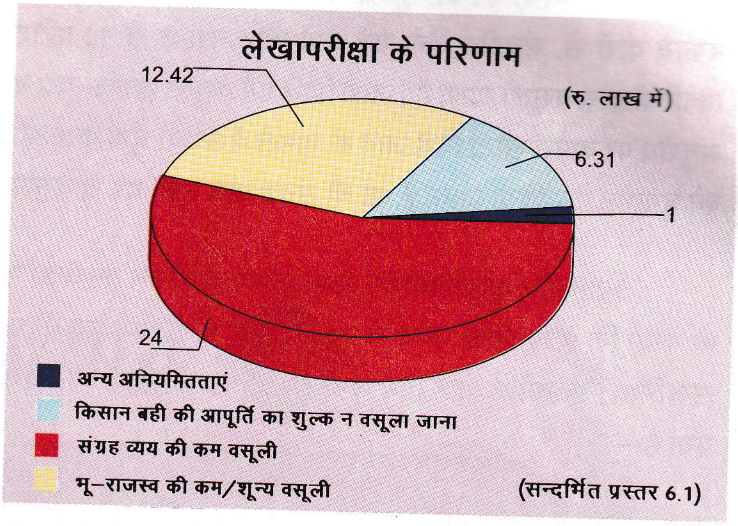

वर्ष 1996–97 की अवधि में लेखा परीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 50 मामलों में 43.73 लाख रूपये के संग्रह व्यय का कम वसूल किया जाना, भू–राजस्व का न/कम वसूल किया जाना, किसान बही की आपूर्ति पर शुल्क की वसूली न किये जाने तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :–

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	भू–राजस्व का न/ कम वसूल किया जाना	9	12.42
2.	संग्रह व्यय की कम वसूली	14	24.00
3.	किसान बही की आपूर्ति के लिए शुल्क की वसूली न किया जाना	7	6.31
4.	अन्य अनियमितताएँ	20	1.0
	योग	**50**	**43.73**

वर्ष 1996–97 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 294.28 लाख रुपये के 162 मामले विभाग द्वारा स्वीकार किये गये जिनमें से 5 मामलों में निहित 10.09 लाख रुपये वर्ष 1996–97 की लेखा परीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गये थे। इनमें से 3.29 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं। उदाहरण स्वरूप 9.39 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामलों को अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 तथा समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम या परिषद् या बैंकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय से वसूली प्रमाण–पत्र के प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि एवं कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) कीमत, भू–राज्स्व के बकाए की भाँति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे। सम्बन्धित बकाये दारों से, संग्रहीत किए गये देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत् की दर से संग्रह व्यय राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूली योग्य है। जारी किये गये वसूली प्रमाण–पत्र को सम्बन्धित निकायों द्वारा उनके अपने अनुरोध पर वापस लौटा दिये जाने के मामले में अथवा चूंक कर्ताओं द्वारा देयों को सीधे सम्बन्धित निकायों को भुगतान कर दिया जाता है, तो भी संग्रह व्यय उसी दर से वसूल किया जाएगा।

5 तहसील कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1995 और अक्टूबर 1996 के मध्य) कि 9.39 लाख रुपये के 245 मामलों में, जिसमें वसूली प्रमाण–पत्र लौटा दिये गये थे, धनराशि सम्बन्धित निकायों के पास सीधे जमा कर दी गई थी, संग्रह व्यय वसूल नहीं किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:–

(रुपये लाख में)

क्रम सं0	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	मामलों की अवधि	संग्रह प्रभार जो वसूल नहीं किये गये
1.	तहसीलदार, हमीरपुर	19	1994–95 और 1995–96	3.90
2.	तहसीलदार, खैर (अलीगढ़)	117	1993–94 से 1995–96	1.55
3.	तहसीलदार, जमनियां (गाजीपुर)	33	1993–94 और 1994–95	1.28
4.	तहसीलदार, सगड़ी (आजमगढ़)	44	1995–96	0.79
5.	तहसीलदार, तिलहर (शाहजहाँपुर)	32	1992–93 से 1995–96	1.87
	योग	**245**		**9.39**

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया था। (सितम्बर 1996 और मार्च 1997 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	153
7.2	रक्षा कर्मियों को आपूर्तित विद्युत शुल्क का अनारोपण	153
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	154
7.4	क्रय कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी	155

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

अ विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा के परिणाम

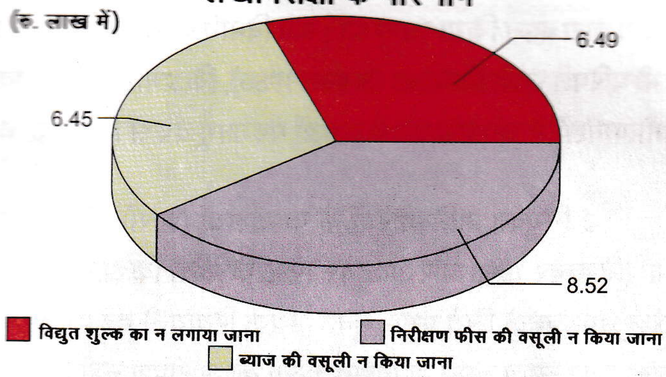

(सन्दर्भित प्रस्तर 7.1)

वर्ष 1996–97 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा)/नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों की नमूना जाँच से 20 मामलों मे 21.46 लाख रुपये के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न/कम लगाए जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विद्युत शुल्क का न ल गाया जाना	6	6.49
2.	ब्याज की वसूली न किया जाना	3	6.45
3.	निरीक्षण फीस की वसूली न किया जाना	11	8.52
	योग	**20**	**21.46**

उदाहरण स्वरूप 2.47 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव का एक मामला अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है।

7.2 रक्षा कर्मियों को आपूर्तित विद्युत शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने, नियमों के अन्तर्गत, किसी उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों पर आरोपणीय

है। अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि विद्युत शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु परिषद् या अनुज्ञापी द्वारा विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रभार मुक्त अथवा रिआयती दर पर आपूर्तित ऊर्जा उन्ही दरों पर बेची गई ऊर्जा मानी जाएगी जो दरें समान श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होती है। सितम्बर 1984 में शासन ने यह स्पष्ट किया था कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैन्य अधिकारियों को प्रभार मुक्त या रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा के सम्बन्ध में उपमुक्त ऊर्जा को प्रभारित दर समान श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं पर लागू पूर्ण दर को माना जाएगा। यद्यपि कि सामान्य दर एवं मुफ्त या रियायती दर के बीच का अन्तर रक्षा विभाग द्वारा बहन किया जाना था। रक्षा विभाग के समस्त नियुक्त प्राधिकारियों को निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने भी परिपत्र जारी किया था (अगस्त 1986), कि प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा के ऐसे सभी मामलों में सामान्य उपभोक्ताओं पर लागू दर से विद्युत शुल्क वसूल किया जाय।

2 नियुक्त प्राधिकारियों के कार्यालयों (झांसी और कानपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1995 और अक्टूबर 1996 के मध्य) कि अप्रैल 1992 तथा मार्च 1996 के मध्य रक्षा कर्मियों को घरेलू उपयोग के लिये प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर 49.48 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गई परन्तु 2.47 लाख रुपये के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

ये मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (नवम्बर 1996 तथा जनवरी 1997 के मध्य), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

ब गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार

7.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1996—97 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जांच में गन्ने के क्रय पर कर के 20 मामलों में 3.97 लाख रुपये तथा शीरे की बिक्री और आपूर्ति के 6 मामलों में 2.76 लाख रुपये के कर के अनारोपण/कम आरोपण का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :—

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	गन्ने के क्रय कर	मामलों की संख्या	धनराशि
1	गन्ने के क्रय कर पर स्थगन	8	3.92
2	अन्य अनियमितताएँ	12	0.05
	योग	**20**	**3.97**

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	प्रशासनिक प्रभार	मामलों की संख्या	धनराशि
3.	शीरे के छीजन से प्रशासनिक प्रभार की हानि	5	1.14
4.	अन्य अनियमितताएँ	1	1.62
	योग	**6**	**2.76**

वर्ष 1996–97 के दौरान विभाग ने 4 मामलों में 2.44 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये, जो पूर्ववर्ती वर्षों की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे। 155.57 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

7.4 क्रय कर का भुगतान किए बिना चीनी की निकासी

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत, किसी भी चीनी मिल का मालिक मिल में उत्पादित चीनी की निकासी तब तक नहीं करेगा या करायेगा जब तक वह इस प्रकार चीनी के निर्माण में उपभुक्त गन्ने के क्रय पर आरोपणीय कर का भुगतान न कर दे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने की दशा में, मिल मालिक कर के अतिरिक्त दण्ड के रूप में, कुल–देय धनराशि के सौ प्रतिशत से अनाधिक धनराशि के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम में शासन को कर के भुगतान को विलम्बित करने के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने, कुछ शर्तों के साथ सहकारी/सार्वजनिक उपक्रम की नई चीनी मिलों को उनके उत्पादन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान कर के भुगतान को विलम्बित करने के आदेश (अप्रैल 1982 एवं दिसम्बर 1988) निर्गत किए।

दो चीनी मिलों, तिलहर एवं पोवाया (शाहजहाँपुर) के गन्ना क्रय–कर से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया। (जनवरी 1994 एवं अक्टूबर 1996) कि इन सभी मिलों ने विलम्बित अवधि के दौरान, विलम्बन की शर्तों का पालन किए बिना चीनी की निकासी दिया था। यद्यपि विलम्बित कर, अवधि 1981–82 से 1985–86 (तिलहर) एवं 1987–88 से 1991–92 (पोवाया) क्रमशः 38.03 लाख रुपये एवं 117.54 लाख रुपये का भुगतान भी नहीं किया गया (अक्टूबर 1997)।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1997) कि सभी चीनी मिलों के विरुद्ध बकाया करों की वसूली, बकाया करों की धनराशि के अनुसार 1 से 5 वर्षों में करने के लिए शासकीय स्तर पर निर्णय लिये जा चुके थे (मई 1997) एवं तात्कालिक मामलों में करों की वसूली की कार्यवाही जारी थी। तथापि बकाये करों की वसूली की सूचना अपेक्षित है। (अक्टूबर 1997)

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (फरवरी–1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 1997)।

अध्याय 8

वन प्राप्तियाँ

for A.G. (Audit) I

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	161
8.2	विलम्ब शुल्क की वसूली का न होना	162
8.3	रायल्टी की वसूली न होना	162
8.4	कार्य न की गयी लाटें	163

अध्याय 8

वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1996–97 की लेखापरीक्षा के दौरान वन विभाग के प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जाँच में पाई गई अनियमितताएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :–

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वन उत्पादों का रियायती दर पर आबंटन	3	101.98
2.	लीसा निष्कर्षण में अनियमितताएँ	5	203.45
3.	रायल्टी का गलत निर्धारण	18	343.48
4.	आरा मिलों के पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	18	137.90
5.	स्टाम्प शुल्क, के अनारोपण से राजस्व की हानि	7	69.41
6.	अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण	5	68.09
7.	तेदू पत्तों के संग्रहण एवं निस्तारण में अनियमितताएँ	2	12.98
8.	पट्टा किराया का वसूल न किया जाना	1	24.27
9.	विविध अनियमितताएँ	117	2162.62
	योग	**176**	**3124.18**

वर्ष 1996–97 की अवधि में, सम्बन्धित विभाग ने 55 मामलों मे 1655.23 लाख रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें से 40 मामलों में निहित 737.42 लाख रुपये वर्ष 1996–97 की लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में, इनमें से 16.78 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। उदाहरण स्वरूप 36.40 लाख रुपये के कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं :

8.2 विलम्ब शुल्क की वसूली का न होना

शासनादेश (सितम्बर 1978) के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम (उ.प्र.व.नि.) से यह अपेक्षित था, कि निगम को आबंटित वन उत्पादों के विदोहन से प्राप्त रायल्टी लाट वर्षों में तीन किश्तों अर्थात 1 मार्च, 1 जून, 1 सितम्बर तक जमा कर दे जिसे न करने पर 60 दिनों के विलम्ब के लिए 5 पैसे प्रति सौ रुपये प्रतिदिन एवं 60 दिनों के ऊपर विलम्ब के लिए 7 पैसे प्रति सौ रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना था।

सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (दिसम्बर 1994) कि उ.प्र.व.नि. ने लाट वर्षों 1989– 90 से 1993–94 में रायल्टी किश्तों का भुगतान विलम्बित किया परन्तु विलम्ब शुल्क की मांग नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1994) प्रभाग ने दो वर्षों के अन्तराल से 18.52 लाख रुपये की मांग (जनवरी 1997) की। अन्तिम उत्तर में विभाग ने बताया (सितम्बर 1997), कि 16.78 लाख रुपये (1989–90 से 1995–96) की वसूली उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अधिक भुगतान की गयी रायल्टी के विरुद्ध समायोजन से कर ली गयी है।

8.3 रायल्टी की वसूली न होना

वन विभाग द्वारा वन उत्पादों (1995–96) के विक्रय हेतु बनाई गयी सामान्य नियमों एवं शर्तों के अनुसार, क्रेता (उ.प्र.व.नि.) को आवंटित वास के सभी लाटों पर चाहे उस पर कार्य किया हो अथवा नहीं, पूरी रायल्टी का भुगतान करना अपेक्षित था। अवाणिज्यिक होने के आधारों पर, कोई वाँस बिना प्रदोहन के नहीं छोड़ा जायेगा।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 1995–96 के प्रस्तर 8.7 में, बाँस की कोड़ी के विदोहन न किये जाने तथा रायल्टी की अदायगी न किये जाने से सम्बन्धित राजस्व की हानि का, उल्लेख था।

सोनभद्र वन प्रभाग, मिर्जापुर के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1996) कि 57491 कौड़ी बासों की 21 लाटे उत्तर प्रदेश वन निगम (उ.प्र.व.नि.) को वर्ष 1995–96 के दौरान संदोहन के लिए आवंटित किये थे जिसमें 22 लाख रुपये की रायल्टी निहित थी। इसके विरुद्ध उ.प्र.व.नि. द्वारा 13683 कौड़ी बाँस विदोहित किये गये और केवल 5.24 लाख रुपये, रायल्टी का भुगतान किया गया। 16.76 लाख रुपये की रायल्टी का भुगतान इस आधार पर नहीं किया गया कि शेष बाँसों का संदोहन नहीं किया गया क्योंकि वे अवाणिज्यिक थे। विभाग द्वारा निगम से इस रायल्टी की मांग भी नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1996), विभाग ने बताया (अगस्त 1997), कि 16.76 लाख रुपये की मांग सृजित कर दी गयी थी (मई एवं जुलाई 1997)।

मामला शासन को मई 1997 में संदर्भित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

8.4 कार्य न की गयी लाटें

वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) के अधिकारियेां की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार विदोहन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्ण सम्पूर्ण वन उत्पादों की लाटों की स्थिति का निगम द्वारा निरीक्षण अपेक्षित था, और विवाद के किसी मामले में, विक्रय आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी को सूचित किया जाना था, जिसके द्वारा विवाद के मामले में 15 दिन के अन्दर संयुक्त निरीक्षण कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा (सोनभद्र) के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया (अक्टूबर 1996) कि वर्ष 1995–96 में विदोहन हेतु वगई घास की दो लाटें निगम को जुलाई 1995 में आवंटित किये गये थे। निगम को 1.12 लाख रुपये रायल्टी का भुगतान करना था। तथापि निगम ने अक्टूबर 1995 में सूचित किया कि लाटों में वगई घास उपलब्ध नहीं थी और रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया। चूंकि लाटों में वगई घास की अनुपलब्धता सम्बन्धी तथ्यों को आदेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सूचित नहीं किया गया था, रायल्टी अदा करने का उत्तरदायित्व वन निगम का था। रायल्टी अदा न किये जाने के फलस्वरूप 1.12 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

मामला शासन एवं विभाग को क्रमशः मई एवं जुलाई 1997 में संदर्भित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 1997)।

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	169
9.2	संग्रह प्रभारों का न जमा किया जाना	169
9.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	171
9.4	स्टाम्प शुल्क का न/कम वसूल किया जाना	171
9.5	अंशदान कार्यों पर सेन्टेज प्रभारों का न लगाया जाना	173
9.6	लेखा परीक्षा के परिणाम	174
9.7	अनुबन्धनों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	174
9.8	राजस्व प्राप्तियों का अनियमित विनियोजन	175
9.9	ब्याज का न जमा किया जाना	176

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

अ. सहकारिता विभाग

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1996–97 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 116.58 लाख रुपये की अनियमितताओं के 11 मामले पाये गये, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :–

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	संग्रह प्रभारों का न जमा किया जाना	9	116.53
2.	अन्य अनियमिततायें	2	0.05
	योग	**11**	**116.58**

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 51.51 लाख रुपये का निहित प्रभाव सन्निहित था, नीचे दिये गये हैं:- ।–

9.2 संग्रह प्रभारों का न जमा किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 तथा उसके अधीन बनाये गये समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत, ऋणों के लाभार्थियों से सहकारी समितियों द्वारा वसूल किये गये संग्रह प्रभारों का 10 प्रतिशत उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के 6 कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1995 और अगस्त 1996 के मध्य) कि 55.22 लाख रुपये (पूरे संग्रह प्रभार का 10 प्रतिशत) के स्थान पर केवल 3.71 लाख रुपये राजकीय लेखों में जमा किये गये । विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :–

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	अवधि	राजकीय लेखे में जमा की जाने वाली धनराशि	राजकीय लेखे में जमा की गयी धनराशि	कम जमा की गयी धनराशि
1	सहायक निबन्धक, गाजियाबाद	1982—83 से 1994—95	9.80	0.29	9.51
2.	सहायक निबन्धक, जौनपुर	1990—91 से 1994—95	4.44	—	4.44
3.	सहायक निबन्धक, अलीगढ़	1993—94 से 1995—96	7.25	0.18	7.07
4.	सहायक निबन्धक, मेरठ	1982—83 से 1995—96	25.36	2.54	22.82
5.	सहायक निबन्धक, रायबरेली	1992—93 से 1995—96	4.29	0.43	3.86
6.	सहायक निबन्धक, उन्नाव	1992—93 और 1993—94	4.08	0.27	3.81
	योग		**55.22**	**3.71**	**51.51**

ये मामले विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (दिसम्बर 1996 और अप्रैल 1997 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

ब. सिंचाई विभाग

9.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1996–97 के दौरान लेखा परीक्षा में सिंचाई विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में 367.54 लाख रुपये के 57 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर अगले पृष्ठ पर दी गयी श्रेणियों में आते हैं :–

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	1	0.71
2.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि	7	2.00
3.	पुनरीक्षित दर पर निविदा शुल्क की वसूली न किया जाना	2	0.08
4.	सिंचाई प्रभारों की वसूली न किये जाने से राजस्व की हानि	3	71.14
5.	नलकूपों के बन्द होने से राजस्व की हानि	6	21.67
6.	अन्य अनियमितताएं	38	271.94
	योग	**57**	**367.54**

उदाहरण स्वरूप 36.22 लाख रुपये के सन्निहित वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

9.4 स्टाम्प शुल्क का न/कम वसूल किया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा–संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1991 से कार्यादेश सहित प्रत्येक साधारण अनुबन्ध के लेखा पत्र पर 100 रुपये की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य हैं।

8–सिंचाई प्रखण्डों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1995 तथा अगस्त 1996 के मध्य) कि अनुबन्धों पर 11.17 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया। विवरण अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :–

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	अनुबन्धों/ कार्यादेशों की संख्या	अवधि	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
1.	माताटीला बांध प्रखण्ड, झाँसी	936	नवम्बर 1991 से जुलाई 1993	0.93	0.09	0.84
2.	निचली गंगा नहर प्रखण्ड, फतेहपुर	1652	जुलाई 1990 से मार्च 1993	1.27	..	1.27
3.	नलकूप प्रखण्ड, बहराइच	606	नवम्बर 1991 से सितम्बर 1994	0.61	0.06	0.55
4.	अलीगढ़ प्रखण्ड, गंगा नहर अलीगढ़	4324	नवम्बर 1991 से मार्च 1993	4.32	..	4.32
5.	सिंचाई प्रखण्ड, गोरखपुर	2500	नवम्बर 1991 से दिसम्बर 1993	2.50	0.25	2.25
6.	लघु नहर प्रखण्ड, बाँदा	950	–तदैव–	0.95	0.09	0.86
7.	सिंचाई प्रखण्ड, सीतापुर	600	नवम्बर 1991 से दिसम्बर 1992	0.60	0.06	0.54
8.	सिंचाई निर्माण प्रखण्ड सहारनपुर	536	नवम्बर 1991 से अप्रैल 1992	0.54	..	0.54
	योग	**12,104**		**11.72**	**0.55**	**11.17**

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 1996 तथा अप्रैल 1997 के मध्य) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

9.5 अंशदान कार्यों पर सेन्टेज प्रभारों का न लगाया जाना

> ***केन्द्र/ राज्य सरकार के लिए 1993–94 से 1995–96 वर्षों के दौरान 122.13 लाख रुपये लागत पर लिये गये अंशदान कार्यों पर 25.05 लाख रुपये का सेन्टेज प्रभार न तो आरोपित किया गया और न ही वसूला गया।***

वित्तीय मामलों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V तथा VI के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य के वाणिज्यिक विभागों , स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र निकायों की ओर से लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा संभाले गये सभी वर्गों के अंशदान कार्यो के सम्बन्ध में, निर्माण पर आने वाले वास्तविक परिव्यय के 15 प्रतिशत की समान दर पर सेन्टेज प्रभार आरोपित करके उन्हें राजकीय खाते में जमा किया जाना होता है। तथापि स्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के अभिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के जो कार्य कार्यान्वित होते हैं उस पर 21 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभार आरोपित करने के आदेश केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये हैं।

शारदा नहर प्रखण्ड–45, रायबरेली की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मई – 1996) कि प्रखण्ड द्वारा, केन्द्र/राज्य सरकार के लिए 1993–94 से 1995– 96 वर्षों के दौरान, 122.13 लाख रुपये लागत पर किये गये अंशदान कार्यों पर 25.05 लाख रुपये का सेन्टेज प्रभार न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1996)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)।

स. लोक निर्माण विभाग

9.6 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1996–97 के दौरान लेखा परीक्षा में किये गये लोक निर्माण विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 133.12 लाख रुपये की अनियमितताओं के 20 मामलों का पता चला जो मोटे तौर पर अगले पृष्ठ पर दी गयी श्रेणियों में आते हैं :–

(रुपये में लाख)

क्रम संख्या		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	जल प्रभारों की वसूली न किये जाने से राजस्व की हानि	2	0.81
2.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	2	1.15
3.	निविदा प्रपत्रों की पूर्व पुनरीक्षित दरों पर बिक्री के कारण राजस्व की हानि	1	0.07
4.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न/कम करना	2	0.83
5.	परसेन्टेज प्रभारों को न लगाया जाना	2	117.31
6.	खाली मैक्स फाल्ट ड्रम/बोरियों की नीलामी न करने से राजस्व की हानि	3	0.64
7.	अन्य अनियमिततायें	8	12.31
	योग	**20**	**133.12**

उदाहरण स्वरूप 6.52 लाख रुपये के कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं :–

9.7 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

निविदा की वैधता अवधि के दौरान (निविदाओं के खुलने की तिथि और विभाग द्वारा उनकी अन्तिम स्वीकृति के बीच का समय) निविदा द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा

किये गये अग्रिम धन की जप्ती के वैधीकरण हेतु, उत्तर प्रदेश शासन ने 30 जून 1995 को जारी एक परिपत्र द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को अनुदेश निर्गत किया था कि प्रत्येक निविदा पत्र एक निर्धारित प्रपत्र में पर्याप्त स्टाम्प से युक्त अनुबन्ध के साथ होना चाहिए। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिए यथा संशोधित) की अनुसूची 1 – 'ख' के अनुच्छेद 5 'ग' के अन्तर्गत अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क 1 नवम्बर 1991 से 6 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया ।

निर्माण खण्ड–3 (लोक निर्माण विभाग) अलीगढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त, 1996) कि नवम्बर–1991 से मार्च 1994 की अवधि में निष्पादित 736 अनुबन्धों पर 100 रुपये प्रति निविदा की दर से 73600 रुपये के विरुद्ध केवल 9335 रुपये स्टाम्प शुल्क ही वसूल किया गया परिणाम स्वरूप 64265 रुपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1996), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)

9.8 राजस्व प्राप्तियों का अनियमित विनियोजन

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के प्रावधानों के अनुसार भण्डार लेखा बन्द करने पर प्राप्त लाभ को शासन के राजस्व में जमा किया जाता है।

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रुद्र–प्रयाग (चमोली) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1995) कि सितम्बर 1992 के अन्त से भण्डार लेखा बन्द करने पर 5.88 लाख रुपये के लाभ को शासकीय खातों में जमा नहीं किया गया था बल्कि वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध कार्यालय भवनों के निर्माण में उपयोग कर लिया गया। यह भी देखा गया कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विचलन प्रपत्र का अनुमोदन नहीं किया गया था।

मामला विभाग तथा शासन को प्रविवेदित किया गया था। (जनवरी 1996 तथा सितम्बर 1996) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1997)

द. वित्त विभाग

9.9 ब्याज का न जमा किया जाना

> ***निगम द्वारा अप्रैल 1981 से मार्च 1995 के दौरान स्वीकृत 117 ऋणों पर 56.43 करोड़ रुपये ऋण तथा 122.43 करोड़ रुपये ब्याज वसूला नहीं गया***

परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये, जो बाद में जल संस्थान/स्थानीय निकायों को हस्तांतरित हो जायेंगी, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जल निगम को ऋण स्वीकृत करती है। ऋण के स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में निहित उपबन्धों एवं शर्तों के अनुसार इनकी वापसी एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान का उत्तरदायित्व जल निगम का है। उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं जलोत्सारण अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल निगम को ऋणों की वापसी एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जल संस्थान/स्थानीय निकाय के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित करना चाहिए। अनुबन्ध के उपबन्धों / शर्तों के अनुपालन में असफल रहने पर जल निगम, राज्य सरकार से असफल ऋणी (जल संस्थान/स्थानीय निकाय) से ऋण की वसूली करने के लिए आवश्यक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

उ.प्र. जलनिगम के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया। (सितम्बर – 1996) कि निगम द्वारा अप्रैल 1981 से मार्च 1995 के दौरान 117 ऋण स्वीकृत हुए थे जिन पर मार्च 1996 तक कुल 122.43 करोड़ रुपये ब्याज आरोपणीय था परन्तु इसे शासकीय लेखों में जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त रु. 56.43 करोड़ के ऋण की वापसी भी नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि जल संस्थान/स्थानीय निकाय ब्याज के भुगतान एवं सम्पत्ति के रूप में प्राप्त ऋणों की वापसी में चूक किये थे। अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत, अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत जल निगम द्वारा चूक कर्त्ता सस्थानों (जल संस्थान/स्थानीय निकाय) से ऋणों /ब्याज की अदायगी हेतु अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी।

निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत निगम ने शासन को प्रस्ताव भेजा (अगस्त 1996) कि जल संस्थान/स्थानीय निकायों ने अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण ब्याज एवं ऋणों की वापसी नहीं की अतएव ब्याज को बट्टे खाते में डालने एवं ऋणों को अनुदान में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाय। फिर भी शासन ने 11 फरवरी 1997 को प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कर्जदारों द्वारा ब्याज जमा न करने पर असन्तोष व्यक्त किया। तथा जल निगम के प्रस्ताव पर असहमति भी व्यक्त की। शासन ने निर्देशित किया कि जल निगम द्वारा ब्याज के भुगतान एवं ऋणों की वापसी हेतु सघन कार्यवाही की जाय। यह भी इच्छा व्यक्त की गयी कि सम्बन्धित संस्थानों। जिसके लिये शासन जल निगम,

एवं जल संस्थान/स्थानीय निकायों के बीच अनुबन्ध निष्पादित कराया जाय। तथापि, तब तक कोई अन्तिम कार्यवाही नहीं की गयी थी। फलतः निगम के विरुद्ध रु. 122.43 करोड़ ब्याज का बकाया था। (अक्टूबर – 1997)।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था। (जून 1996 एवं मई 1997), शासन ने *बताया कि मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है (अक्टूबर 1997)*

पी. मुखर्जी

लखनऊ,
दिनांक 9-4-98

(पी. मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखा परीक्षा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनांक 22-4-98

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक